# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10] चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या: 10

सोमवार,

19 फरवरी 2018

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे**

**राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)**

**(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री अध्यक्ष**: नमस्कार, नमस्कार। राम-राम साहब। प्रश्न काल।

## अनुरोध एवं मांग

### नेता, प्रतिपक्ष पर लगाये गये आरोपों पर उनके स्पष्टीकरण हेतु अनुमति का अनुरोध

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से शुक्रवार को, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमें परमिशन दें, प्रतिपक्ष का अध्यक्ष ही संरक्षक होता.....

**श्री अध्यक्ष**: माननीय विधायक, प्रश्न काल होने दीजिए।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): जिस प्रकार से सत्ता पक्ष ने शुक्रवार को डैडलाक किया, सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के ऊपर आरोप लगाये, आपकी सदन की व्यवस्था, आसन की, 273 में नोटिस देकर के लगाएगा, उनका जवाब सुना जाएगा, नेता प्रतिपक्ष पर गम्भीर आरोप लगाये, उनको सुनने नहीं दिया...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: आरोप नहीं था, सत्यता थी।

**श्री अध्यक्ष**: आप प्रश्न काल को डिस्टर्ब मत कीजिए।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): प्रश्न काल से यह मुद्दा बड़ा है कि हमारे नेता के ऊपर आपने व्यक्तिगत आरोप लगाया, उनको सुनने का अवसर नहीं दिया, उसके बावजूद.....

**श्री अध्यक्ष**: बिना मेरी इजाजत के आप बोल रहे हैं...(व्यवधान) मैं प्रश्नकाल चलाना चाहता हूं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आप डैडलॉक तोड़ेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार...

**श्री अध्यक्ष**: मैं प्रश्न काल चलाना चाहता हूं। अंकित नहीं हो। यह कोई तरीका है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: अब बैठ जाइए। प्रश्न काल, श्री कैलाश भंसाली।

**श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर): प्रश्न संख्या 172 ।

**श्री अध्यक्ष**: आप प्रश्न काल चलने देना चाहते हैं या नहीं? प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण होता है और कई विधायकों के सवाल हैं, सवालों का जवाब आता....

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): 000

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): 000

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): 000

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न काल चलेगा। नहीं चलेगा तो आप सबके खिलाफ मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। प्रश्न काल चलेगा। सदन की प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई नोटिस लाइए, कोई नोटिस दीजिए, आपको इजाजत दी जाएगी।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: आप सदन को इस तरह रोक नहीं सकते हैं।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): 000

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): 000

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न काल के बाद में मैं आपको इजाजत दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, माननीय सदस्य, बैठ जाइये। प्रश्न काल के बाद मैं सबकी सुनूंगा।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री अध्यक्ष**: मिस्टर डोटासरा, अब अति हो रही है। मुझे प्रश्न काल चलाना है।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल** (संसदीय सचिव): 000

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न काल के बाद मैं आपको अवसर दूंगा, आपको अपनी बात कहने का स्पष्टीकरण करने का। आप अपने सदस्य से कहिए, बैंच पर चले जाएं। प्रश्न काल के बाद, मैं आपको स्पष्टीकरण देने का अवसर दूंगा, आपको अपनी बात कहने का, लेकिन अभी कहिए, ये सब चले जाएं।

श्री कैलाश भंसाली।

# तारांकित प्रश्नोत्तर

## जोधपुर में एम्स के पास से हाइटेंशन लाइनों की शिफ्टिंग

**172. श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को आश्वासन दिया था कि जोधपुर में एम्स का निर्माण होने पर उसके पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर शहर में वर्तमान में हाईटेंशन लाइनों के नीचे तथा आस-पास कितनी आबादी निवास कर रही है? सर्वे रिपोर्ट सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, ऊर्जा** (श्री पुष्पेन्द्र सिंह): (1) जोधपुर में एम्स परिसर में 132 केवी की हाईटेंशन लाइन गुजर रही है, जिसको अन्डर ग्राउण्ड केबल डालकर शिफ्ट करने हेतु दिनांक 26.12.2017 को कार्यादेश जारी कर दिया गया है एवं कार्य प्रगति पर है।

(2) जोधपुर शहर में वर्तमान में अति उच्च वोल्टेज (ईएचवी) की हाईटेंशन लाइन के आसपास लगभग 1148 आवासीय/व्यावसायिक परिसर हैं, उक्त हाईटेंशन लाइनों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के क्षेत्राधिकार में जोधपुर शहर में 11 के.वी. 33

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

के.वी. विद्युत लाइनों के नीचे अथवा आस-पास में निर्माण कर निवास कर रहे परिवारों का विवरण परिशिष्ट 'ब' में उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न एक।

**श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर): यह टेण्डर कब जारी किया गया, किसका टेण्डर स्वीकार किया गया और वर्क आर्डर कब और किस तारीख के लिए और कितने समय के लिए दिया गया?

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपको प्रश्न के उत्तर में बताया कि 26.12.2017 को हमने वर्क आर्डर जारी कर दिया है और बहुत ही जल्दी इस कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नम्बर दो। और कर रहे हैं एक प्रश्न।

**श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर): मेरा निवेदन यह है, साहब, वर्क आर्डर जारी कर दिया गया है। लेकिन जैसा मुझे चीफ इंजीनियर ने बताया कि वर्क आर्डर जारी नहीं किया गया है, 13 करोड़ का खर्चा है उसकी स्वीकृति आने के बाद में वर्क आर्डर जारी किया जाएगा और इस कार्य में एक साल का समय लगेगा तो कृपया मंत्री महोदय बताएं किस तरह से इस काम को करवा रहे हैं?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एम्स के परिसर हेतु सवा चौदह करोड़ का प्रोजेक्ट बना है और इसका टेण्डर भी हो गया है। हमने कांट्रेक्टर को एलओआई भी जारी कर दी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले चार महीनों के अन्दर इस कार्य को हम पूर्ण कर लेंगे। एम्स ने हमको इस कार्य हेतु 68 लाख रुपये दिये थे तब यह था कि हैवी लाइन इसके अन्दर से हम ले जा रहे थे परन्तु फिर जब मीटिंग की तो उसके बाद हमने यह किया और सवा चौदह करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये। इसके टेण्डर भी जारी कर दिये और हमने एलओआई भी जारी कर दी है और चार महीने के अन्दर-अन्दर हम ये काम पूर्ण कर लेंगे।

**श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर): सर, एक मिनट।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, हो गया। श्रीमती सूर्यकांता व्यास, आप कीजिये पूरक प्रश्न।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगी कि मंत्री महोदय ने यह बताया है कि ये लाइन एम्स वाली जो हाईटेंशन लाइन है इसको अण्डरग्राउंड करेंगे। ये अण्डरग्राउंड नहीं कर रहे हैं। ये तो खम्भे लगा करके डाल रहे हैं इसके लिए मैं दो-ढाई साल से इस बारे में पत्र-व्यवहार कर रही हूं और वो नहीं कर रहे हैं और वहां पर जिस-किसी के प्लाट थे, किसी जमाने में जमीनें खरीदी थीं उसके अन्दर से ले गये थे। अब वो उनसे अन्दर से ले जाने के बाद भी उन पार्टियों को कह रहे हैं कि तुम हमें धनराशि जमा कराओ तभी हम इस लाइन को बाहर निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। यह जोधपुर की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर इतनी जनता रहती है कि इस हाईटेंशन से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है इस तरह की स्थिति है। मैं यह जानकारी चाहूंगी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि यह बताएं कि अण्डरग्राउंड नहीं हो रही है वो खम्भे लग रहे हैं और वो भी टेण्डर हो गये ऐसा कह रहे हैं वो लेकिन हुए नहीं हैं और हो गये हों तो 15 दिन, महीना भर में हो, चार महीने किस बात के? काम करना है तो महीने भर का समय दे दो, दो महीने दे दो। चार-चार महीने का कोई टाइम होता है क्या फिर तो कब काम होगा? एम्स का काम होगा नहीं। जनता बड़ी भारी तकलीफ पा रही है। कई मृत्यु हो गई हैं।

**श्री अध्यक्ष**: स्थान ग्रहण कीजिये। जवाब दिलवा रहा हूं।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि यह बताएं आप कि खम्भे लगा रहे हैं आप अण्डरग्राउंड नहीं कर रहे हैं जैसा कि विधान सभा के विद्युत विभाग का ऑफिस है उसके बाहर मुझे वहां के अधिकारियों ने ले जाकर दिखाया कि हम इस तरीके से कर देंगे तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं करो मगर कुछ जनता को सहूलियत होनी चाहिए ऐसा काम करो तो वो भी अभी तक नहीं हो रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। मंत्री महोदय।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 132 केवी की लाइन जो एम्स के परिसर से जा रही है ये बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में 220 केवी सब स्टेशन है और न्यू पावर हाउस जोधपुर का वो भी 220 केवी सब स्टेशन हमने बना दिया है। यह लाइन 132 केवी की है और

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सूरसागर से आने वाली माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि एम्स परिसर में पूरी अण्डरग्राउंड केबलिंग हो रही है, 220 की अण्डरग्राउंड केबल कर रहे हैं और एम्स परिसर के जो बाहर है वहां हम एक मोनोपोल है जहां हमको बड़े टावर खरीदने की जरूरत थी शहरी क्षेत्र में जहां भी जगह कम होती है तो ये मोनोपोल पर हम उस 220 की लाइन को ले जाकर और एम्स परिसर आते ही उसको अण्डरग्राउंड केबलिंग करके न्यू पावर हाउस से हम जोड़ रहे हैं।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताएं कि जो बाहर भी डाल रहे हैं वो भी अण्डरग्राउंड नहीं कर रहे हैं खम्भे लगा करके कर रहे हैं वो कब तक कर देंगे? यह जानकारी चाह रहे हूं वो जानकारी ये नहीं दे रहे हैं। जो जानकारी चाही है वो तो दो आप। वो आप कब तक करवा देंगे? यह बताइये और पब्लिक से पैसा किस बात का ले रहे हैं?

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बासनी जो 220 केवी जीएसएस है, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह लाइन न्यू पावर हाउस जा रही है जो आपके दोनों साइड में 220 केवी सब स्टेशन है वहां से एक लाइन 132 केवी की और जा रही है, जोधपुर में ही सब स्टेशन है इस पूरी लाइन को जो परिसर एरिया में है उसको तो हम अण्डरग्राउंड केबलिंग कर रहे हैं, परिसर के बाहर जो कोई सकड़ा रोड है कोई तीस फुट रोड़ है उस रोड़ पर हम मोनोपोल लगा रहे हैं। मोनोपोल हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हम टावर लगाते हैं तो वो जगह ज्यादा लेता है।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): मोनोपोल लगाओ पर यह तो बताओ कि पब्लिक से पैसा किस बात का? जिसकी जमीन है आपने टावर बाद में लगाया मगर जमीन तो लोगों ने पहले ही ले ली थी। यह बताइये आप।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो पब्लिक से पैसा लेने की बात है तो पब्लिक से हमने एक रुपया भी नहीं लिया है। पूरा सवा चौदह करोड़ रुपये प्रसारण निगम ने इसमें स्वीकृत किये हैं। प्रसारण निगम पैसा स्वीकृत करके इसको अण्डरग्राउंड केबलिंग कर रहा है। एम्स ने तो मात्र 68 लाख रुपये दिये हैं हमको फिर भी प्रसारण निगम ने इस

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

काम को हाथ में लिया, क्योंकि जब ये सरकार द्वारा जमीन अलाट हुई थी तो कलक्टर ने वहां एक एमओयू, मतलब एक तरह से स्वीकृति दी थी कि जितनी भी हाईटेंशन लाइन इसके ऊपर से जा रही हैं उसको सरकार हटाएगी इसलिए प्रसारण निगम इस पर सवा चौदह करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, अन्यथा जो भी हाईटेंशन लाइन किसी मकान के ऊपर से गुजरती है अगर वो 132 केवी या 220 केवी की लाइन है तो उसको, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख प्रसारण निगम या कोई भी डिस्काम किसी भी मकान के ऊपर से कोई लाइन निकलने नहीं देता है। जैसे-जैसे आबादी क्षेत्र बढ़ रहा है तो लोग-बाग़ बिना नियम-कायदे से उसके नीचे मकान बना लेते हैं और उसके लिए भी पचास परसेंट डिस्काम वहन करता है और पचास परसेंट स्वयं वो व्यक्ति देता है और 220 और 132 की लाइन के नीचे अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बना लेता है तो हण्ड्रेड परसेंट पैसा उसको स्वयं देना पड़ता है। यह नियम है इस नियम के तहत और माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरसागर से आने वाली माननीय सदस्य ने जो बात कही है आज की तारीख में प्रसारण और डिस्काम द्वारा आबादी क्षेत्र से कोई मकान बने हुए हैं उनके ऊपर से कोई लाइन डालते नहीं हैं क्योंकि यह नियम विरुद्ध है और हम खुद नियम से बंधे हुए हैं और नियम के तहत हम आबादी क्षेत्र से लाइन खींचते नहीं हैं और खींचनी भी पड़े तो हम उसको अण्डरग्राउंड केबलिंग करके ले जाते हैं शहर के क्षेत्र से। आबादी बढ़ने के कारण व्यक्ति अपना मकान बना देता है और वह चाहता है कि उस लाइन को हटाए तो डिस्काम तो पचास परसेंट वहन करता है और प्रसारण निगम हण्ड्रेड परसेंट कास्ट वसूल करता है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। श्री जोगाराम पटेल।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आभार आपका। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रश्न तो था राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को आश्वासन दिया था कि जोधपुर में एम्स का निर्माण होने पर उसके आस-पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जायेगा और आपका उत्तर है कि एम्स परिसर के अन्दर जो लाइन है जोधपुर के एम्स के परिसर के अन्दर से 132 केवी की जो लाइन गुजर रही है उसको अण्डरग्राउंड केबल डाल कर के शिफ्ट करने हेतु कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। इस एम्स के आस-पास के परिसर की जो

(श्री जोगाराम पटेल)

तीन लाइनें गुजर रही हैं, बड़ी-बड़ी जहां इण्डस्ट्री भी हैं, आबादी भी है उसके बाद एम्स भी है उसको शिफ्ट करने का जो आश्वासन दिया था, इसका जवाब क्यों नहीं दिया? ये जो 132 केवी की लाइन है कुल कितनी लम्बाई की है, इसका कार्यादेश कब जारी किया है? क्योंकि मौक़े पर आज भी कोई काम नहीं हो रहा है ये जो तथ्य है कि कार्यादेश प्रगति पर है यह फैक्चुअली गलत है और यह काम कब तक पूर्ण हो जायेगा आपके सरकारी पेपर के अनुसार? कितनी लम्बी लाइन है, कितना खर्चा आएगा और कब तक पूर्ण हो जायेगा और जो पहला मेन प्रश्न था उसका जवाब क्यों नहीं दिया?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एम्स को जब जमीन अलाट हुई उसमें निश्चित रूप से सरकार ने यह विश्वास दिया था कि इस परिसर से हम 132 केवी की लाइन शिफ्ट करेंगे। उसके तहत एम्स परिसर, एम्स परिसर के आस-पास का तो मैं समझा नहीं इस बात का कोई मतलब तो आस-पास को तो हम नहीं करेंगे। आस-पास का तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति 132 और 220 केवी शिफ्ट करना चाहता है तो स्वयं अपना पैसा खर्च करे और इसको शिफ्ट कराये पर एम्स परिसर के लिए तो सरकार ने एग्रीमेंट में यह कहा था कि एम्स परिसर से 132 केवी या 220 केवी की लाइन जो भी हाईटेंशन लाइन है उसको शिफ्ट करेंगे तो उसके लिए हमने सवा चौदह करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी चार महीनों के अन्दर इस काम को हम पूर्ण कर लेंगे।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यादेश कब दिया?

**श्री अध्यक्ष**: बस हो गया। वो आप बात कर लीजिये। तीसरा पूरक प्रश्न श्री निर्मल कुमावत। अपनी सीट पर जाइये। बटन वहीं से दबाया है।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बटन नहीं दबाया। मेरा प्रश्न नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: अगला सवाल मास्टर मामन सिंह यादव।

## तिजारा की पुलिस चौकी का क्रमोन्नयन

**173. मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा में पुलिस थाना भिवाड़ी फेज-3 के अन्तर्गत आने वाली पुलिस चौकी मटिला व झिवाण के पास कोई वाहन नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिस चौकियों को वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थाना तिजारा का क्षेत्र बड़ा होने व वाहन एक होने के कारण पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में काफी समय लगता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिस को दूसरा वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थाना तिजारा का क्षेत्र बड़ा है? हां, क्या सरकार पुलिस चौकी शेखपुर को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**गृह मंत्री** (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) यह सही नहीं है। पुलिस चौकरी मटिला पुलिस थाना भिवाड़ी के पास जीप नं. आर.जे. 14-यू.बी.-5337 उपलब्ध है तथा पुलिस चौकी झिवाणा पुलिस थाना भिवाड़ी फेज-3 के पास मोटर साइकिल नं. आर.जे. 02 एस.आर. 9509 उपलब्ध है।

(2) पुलिस थाना तिजारा पर वर्तमान में 01 जीप व 02 मोटर साइकिल उपलब्ध है। जिनसे यथाशीघ्र घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। पुलिस थाना तिजारा को और वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में फिलहाल प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा के पुलिस थाना तिजारा का कार्य क्षेत्र बड़ा है। पुलिस चौकी शेखपुर को थाने में क्रमोन्नत किये जाने के प्रस्ताव पर भौतिक आवश्यकता, अपराध परिदृश्य एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नंबर एक, मिस्टर मामन सिंह।

**मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके

(मास्टर मामन सिंह यादव)

माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि तिजारा में चार साल पहले भिवाड़ी फेज थर्ड का जो थाना है, उसका पूरा क्षेत्र पहाड़ी है, वहां खनन माफिया है और गौ निकासी का रास्ता है। इसी तरह झिवाणा में भी है। वहां एक जीप और एक मोटर साइकिल से इतने लम्बे पहाड़ी क्षेत्र में सम्भव नहीं है। पूर्व सरकार के समय जो अपराध चरम सीमा पर थे उनमें आपके कार्यकाल के बाद 80 प्रतिशत की कमी आई है, इसके लिये तो आपको धन्यवाद। मेरा यही निवेदन है कि इनमें एक-एक जीप और एक-दो मोटर साइकिल और दी जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए, विराजिए।

**मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): मैं एक साथ ही बोल लेता हूं। जो तिजारा का थाना है, आपने जवाब में बताया है कि वहां एक जीप है। 100 गांवों का वह थाना है, पहाड़ी क्षेत्र है, अवैध खनन भी पहले होता था, गोकशी का रास्ता भी उधर से हरियाणा में जाता है। एक जीप से 100 गांवों के थाने में सम्भव नहीं है। तिजारा थाने का इतना लम्बा क्षेत्र है, शेखपुर बहुत पुरानी चौकी है, उसके लिये थाने का प्रस्ताव पहले भी बना था, क्या आप यह थाना बनाने का विचार रखते हैं? थाना बनना अति आवश्यक है। दो वर्ष पहले आपने गो रक्षा चौकी झारोली में खोली थी, उस चौकी का स्टाफ गांव के पास किसी भवन में रह रहा है, जबकि उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ तब मिले जब जहां से गायों की निकासी होती है, उस रास्ते पर अगर उस चौकी का भवन बन जाए और वहां पर वह पुलिसकर्मी शिफ्ट हो जाएं। मंत्री महोदय, यह दो तीन सवाल हैं, इनके लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, तिजारा का अपराध 751 है। अभी यहां पर एक जीप है और इसमें दो चौकियां हैं, एक पुलिस चौकी शहपुर है, जिसके पास एक मोटर साइकिल है। जो गौ रक्षा के लिये झारोली में चौकी है, उसके पास भी मोटर साइकिल है। एक जीप है, दो मोटर साइकिल है। मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से अपराध है उसकी आवश्यकता को देखते हुए ही इस जिले में 38 थाने हैं और 47 पुलिस चौकियां हैं। उसमें गो तस्करी के नियंत्रण के लिये हमने जहां-जहां आवश्यक समझा, वहां अलग से पुलिस चौकियां स्थापित की हैं। हमारे पास जितने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

साधन उपलब्ध हैं, उसी को हम देते हैं। अबकी बार मुख्य मंत्री जी ने बजट में कुछ प्रावधान रखा है। हम कोशिश करेंगे कुछ रिप्लेसमेंट होगा और चौकियों को कम से कम हम टू व्हिलर और दे सकें, उसके लिये प्रयत्न करेंगे। थाना खोलने के बारे में सारे राजस्थान से मांग है, पुलिस चौकियां खोलने के बारे में भी हैं, लेकिन जितने संसाधन उपलब्ध होंगे, उसको ध्यान में रखकर ही खोल सकेंगे। वैसे आज की तारीख में तिजारा थाने की जो शेखपुर चौकी है, वह केवल 8 किलोमीटर पर है। गौ रक्षा झारोली चौकी 15 किलोमीटर पर है। आपके क्षेत्र की आवश्यकता को देखकर मैं सोचता हूं कि केवल आपका ही ऐसा एरिया है राजस्थान में 861 थानों में से चौकियों पर अगर कहीं फोर व्हिलर दे रखा है, कुल 11 पर दे रखा है, उसमें से 2 आपके क्षेत्र में फोर व्हिलर दे रखे हैं। यह सौभाग्य है कि इन वर्षों में निश्चित रूप से वहां अपराध का ग्राफ काफी घटा है और स्थिति पूर्णत: नियंत्रण में है। यह आप भी महसूस करते हैं, क्षेत्र की जनता भी महसूस करती है। मांग आपकी हो सकती है कि थाने मिलें, चौकियां मिलें, साधन मिलें, पर जैसा आर्थिक दृष्टि से पैसा उपलब्ध होगा और सारे राजस्थान को ध्यान में रखकर जो कुछ किया जा सकता है, उस समय आपके प्रस्ताव को भी ध्यान में रखेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे? सीधा-सीधा सवाल कीजिए।

**मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): जी हां बिलकुल सीधा-सीधा। मंत्री महोदय, वहां थाना बहुत ही आवश्यक है। पिछले सत्र में भी आपने इसका प्रस्ताव बनाया था, पता नहीं वह प्रस्ताव कहां अटक गया। शेखपुर का थाना तो बहुत ही आवश्यक है। यह हाई वे पर भी पड़ता है, पुलिस तो हाई वे के आवागमन में ही लगी रहती है। बार्डर पर गोठड़ा और मोनीबाबा एक बहुत बडी गोशाला है जिसमें 1500 गायें हैं, वह मेवात क्षेत्र के बीच में है, वहां पर पुलिस की गौ रक्षा चौकी होना बहुत आवश्यक है, यही निवेदन है कि यह दो चौकी तो बजट में दे दो, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में कई माननीय सदस्यों ने इस विधान सभा के फ्लोर पर भी कई बार थाना खोलने के लिये प्रस्ताव रखा है लेकिन पिछले तीन साल से कोई भी एक्स्ट्रा बजट नहीं मिलने के कारण से हम किसी भी क्षेत्र में थाना नहीं खोल पाये। जिस समय खोलेंगे और जिस समय हमें संसाधन उपलब्ध होंगे, आपकी बात

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

का भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि पिछली बार भी आप इसे उठा चुके हैं और बाकी कई माननीय सदस्यों ने भी अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार इस विषय को उठाया है। मेरे पास भी पूरी सूचीबद्ध हैं कि कहां-कहां से थाने मांगे, कितनी चौकियां मांगी, पर संसाधन उपलब्ध होने के बाद ही उसकी पूर्ति की जाएगी। अभी मेरे पास जो कुछ उपलब्ध है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि आपके क्षेत्र में लॉ एण्ड आर्डर पहले से बहुत बेहतर है।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न श्री रामहेत सिंह यादव।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट कौन उपलब्ध कराएगा? जब संसाधन ही नहीं हैं तो सवा चार साल से सरकार कैसे चला रहे हो?

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): आपको जब बजट पर बोलने देते हैं न, यह हाउस ही मुझे उपलब्ध कराता है, उसी में से उपयोग करता हूं मैं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए माननीय मंत्री महोदय।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह बड़ा गम्भीर है और गम्भीर इस मायने में है कि चाहे तिजारा, चाहे किशनगढ़...

**श्री अध्यक्ष**: भाषण नहीं, आप सीधा सवाल पूछिए।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास): भाषण नहीं, सीधा ही क्वेश्चन है कि पुलिस को जो गाड़ियां दी गई हैं उनमें कोई तीन लाख चल गई, कोई चार लाख चल गई, खंडित गाडियां हैं। हरियाणा बार्डर से लगती जितनी चौकियां हैं चाहे वह मेरे यहां रावका चौकी हो, हरसोली हो, आपके यहां जो बता रहे हो झरोली चौकी हो, नीमराना एसएचओ के अंडर में जो चौकियां हैं, यह बार्डर एरिया की चौकी हैं। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो आपके नियम हैं कि दो लाख किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद उसको हटा दिया जाएगा, नई गाड़ी दे दी जाएगी। मेरे कोटकासिम, किशनगढ़ और खैरथल, तीनों थानों की ऐसी गाड़ियां हैं जो ढाई-ढाई लाख किलोमीटर चल गईं, खंडित हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आप नया विषय ले आये।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास): इसी से सम्बन्धित है, साधन से ही सम्बन्धित है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो बार्डर की चौकियां हैं- रैनवास है, खैरथल है, हरसोली, रावका और ऐसे ही झारोली में है, पुलिस मोटर साइकिल से कैसे पकड़ेगी?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए, विराजिए।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास): बड़े हथियार लेकर मुलजिम आते हैं और तिजारा में अपराध घटित करके मेरे यहां आ जाते हैं, मेरे घटित करके तिजारा में जाते हैं, मोटर साइकिल वाला क्या करेगा? उसको दो गोली मारकर ठंडा कर देगा, वह डरता है। हमारी सूचना के बाद पुलिस नहीं पहुंचती है, आधा घंटा लेट पहुंचती है और फिर कहती है कि निकल गये। माननीय गृह मंत्रीजी, ऐसी चौकियां हैं वहां एक तो टैम्परेरी स्टाफ नहीं होना चाहिये। मौखिक आदेश, मौखिक आदेश, वहां सारी चौकियों पर मौखिक आदेश से लगाये हैं, परमानेंट स्टाफ लगाइए, उनको साधन दीजिए, उनको गाड़ी दीजिए ताकि अपराधों पर अंकुश लग सके।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो दर्द है, वह सही है। राजस्थान में पुलिस थानों पर जो गाड़ियां हैं, वे बहुत अधिक किलोमीटर चल चुकी हैं। वे कंडम करने की स्थिति में हैं। मुख्यमंत्री जी ने अबकी बार बजट में हमको कुछ प्रावधान किया है। हम दो सौ-ढाई सौ गाड़ियां जो लम्बे समय से चल रही हैं, उनको रिप्लेस करने के लिये बहुत जल्दी नयी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: रामलाल जी आप क्या करेंगे, जवाब तो आ गया।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मटिला और झिवाणा जो चौकियां हैं..।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, नहीं। बैठिए। यह स्कोप में नहीं है।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): तिजारा का ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं चौकियों की बात कर रहा हूं, जिन चौकियों की बात की है। मटिला और झिवाणा या फिर तिजारा थाना ले लो, इन तीनों का क्षेत्रफल अगर ज्योग्राफिकल रूप से देखें तो ज्योग्राफिकल रूप से जो गांव मटिला के नजदीक हैं, वे झिवाणा के अन्दर हैं। जो झिवाणा के अन्दर आना चाहिए वे

(श्री रामलाल शर्मा)

मटिला के अन्दर हैं। क्या भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार इनका पुनर्गठन करने का विचार है या नहीं है?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, उस पर विभाग पूरी कार्यवाही कर चुका है। केवल अलवर में नहीं, राजस्थान के जिन-जिन थानों का भी क्षेत्रफल कहीं इधर-उधर है। इंतजार यह कर रहे थे कि परिसीमन कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो कुछ भी फाइनल हो, वह अच्छा है। अगर वह नहीं भी हुआ तो अपने लेवल पर भी एरिये को किसी थाने से निकालकर किसी दूसरे थाने में जनता की सुविधा की दृष्टि से डाला जा सकता है। हम आने वाले चार महीने में एक्सरसाइज करके उसको पूरा कर लेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: अर्जुन लाल जीनगर, यह तो तिजारा से सम्बन्धित है, तिजारा से सम्बन्धित ही सवाल पूछना।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): अध्यक्ष महोदय, मैं परिसीमन की बात कर रहा हूं। मैं तिजारा की ही बात कर रहा हूं। मैं तिजारा की ही बात करता हुआ...

**श्री अध्यक्ष**: सवाल कीजिये।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): मैं यही सवाल कर रहा हूं कि सांवलिया सेठ जो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहां पर आपकी जो चौकी है, उस चौकी को क्रमोनत करके थाना बना दें, तो ठीक रहेगा।

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): मैं कई बार आपसे आग्रह कर चुका हूं। मंत्री महोदय के आदेश से हमने थाने की बिल्डिंग सांवलिया सेठ के पैसे से बना दी है और वह थाना सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है।

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री): जिन-जिन थानों का पैसा मिला, उसका तो पहले धन्यवाद देते हैं। नई की बात बाद में करेंगे।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: अगला सवाल, श्री संदीप शर्मा।

## कोटा में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से कराये गये कार्य

**174. श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में गत 4 वर्षों में की गयी अनुशंसा में से कोटा दक्षिण में कौन-कौनसे कार्य लम्बित हैं?

(2) क्या यह सही है कि विधायक कोष से अनुशंसित कार्यों की नगर निगम कोटा द्वारा समय पर एस्टीमेट और टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण नहीं करवाने से कार्यों में अनावश्यक विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गत 4 वर्षों में जो-जो कार्य विधायक कोष से पूर्ण हुए हैं, उन पर कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना के उल्लेख की पट्टिका लगाई गई है? यदि हां, तो लगायी गयी पट्टिकाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा विधायक कोष से स्वीकृत होने वाले कार्यों को समय पर पूर्ण करवाने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) विधायक कोष योजनान्तर्गत गत 4 वर्षों में की गयी अनुशंसा में से कोटा दक्षिण में 42 कार्य लम्बित हैं। कार्यवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि विधायक कोष से अनुशंसित कार्यों के लिए नगर निगम कोटा से अधिकांश कार्यों की टी.एस. विलम्ब से जारी की गयी। कुछ कार्यों की निविदा प्रक्रिया में संवेदकों द्वारा भाग नहीं लेने एवं बार-बार निविदा आमंत्रित करने के कारण विलम्ब हुआ है। एस्टीमेट प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जा रही है। जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधायक कोष योजना के प्रावधानानुसार विगत 4 वर्षों में पूर्ण हो चुके 223 कार्यों पर डिसप्ले बोर्ड लगाये गये हैं, विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) विधायक कोष से स्वीकृत कार्यों को समय पर पूर्ण करवाने हेतु निम्नानुसार प्रयास किये जाते हैं :-

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

1. अति. मुख्य सचिव एवं शासन सचिव महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग एवं बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।
2. कम प्रगति वाले जिलों के जिला कलक्टर्स को अ.शा. पत्रों के माध्यम से प्रगति में सुधार हेतु निर्देशित किया जाता है।

विभाग स्तर से जारी अ.शा. पत्रों की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

3. जिला कलेक्टर को सभी कार्यकारी विभागों के साथ नियमित बैठक कर योजना की प्रगति एवं कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नंबर एक।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में विधायक कोष से स्वीकृत कार्यों में घोर लापरवाही हुई है और अनावश्यक देरी हुई है। कामों की गुणवत्ता भी बहुत खराब है। इनकी नेग्लीजेंसी के चलते विधायक कोष की जो राशि स्वीकृत होती है, उसके आधे कार्य भी अभी तक पूर्ण नहीं हो पाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यत: जो नगर निगम एजेंसी है, जिसको हम अधिकतर कार्य देते हैं, उसका हाल यह है कि अभियंता बिल्कुल लापरवाह है। बार-बार गलत एस्टीमेट बनाकर जिला परिषद में भेजते हैं। जिला परिषद से वह एस्टीमेट वापस आ जाता है और वे पुन: भेजते हैं। यह प्रक्रिया चलते-चलते एक साल व्यतीत हो जाता है। इनके चलते हम से जो लोगों की अपेक्षा है कि विधायक कोष जनहित के काम में आ सके। मैं बताऊं चार वर्षों में कोटा (दक्षिण) विधान सभा क्षेत्र में आपके बताये अनुसार 42 कार्य लम्बित पड़े हैं। ये वे काम हैं जो जनता ने हमें बताए। आपके बताए अनुसार अधिकारियों ने लापरवाही को भी स्वीकार किया है। उन्होंने यह बात स्वीकार की है कि टी.एस. जारी करने में विलम्ब हुआ है। इसे हम सहजता में नहीं ले सकते। इसमें हम नोटिस देकर इतिश्री नहीं कर सकते।

मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें दोषी अधिकारियों और अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। साल भर हो गया, डेंटल चेयर दिये हुए। डेंटल चेयर मेडिकल कालेज

(श्री संदीप शर्मा)

के लिये इतनी महत्वपूर्ण है, इसको दस माह हो गये अभी तक वह डेंटल चेयर नहीं आई। एफ.एस. भी पास हो गयी। महावीर नगर विस्तार योजना में सैक्टर-6 में सरकारी भूमि पर वाचनालय निर्माण के लिये अनुशंसा की गयी। 31.12.2016 को इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई। 09.03.2017 को एक वर्ष होने को आया, लेकिन नगर निगम की लापरवाही से यह कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, वफ नगर की चारदीवारी का काम भी लगभग एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह तो सिर्फ एक-दो हैं, ऐसी अनेकों अनुशंसाएं हैं जो विधायक कोष से अभी तक स्वीकृत नहीं हैं। टी.एस. और एफ.एस. के नाम पर मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछली बार भी मैंने विधान सभा में प्रश्न उठाया था।

**श्री अध्यक्ष**: सवाल कीजिये। सवाल कीजिये।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): वही मैं बता रहा हूं कि इन्होंने उस बात को सुनकर, पहले जो बड़ी लम्बी प्रक्रिया थी, उसको सहज..। जो विधायक कोष के कार्य हैं और जनता के कार्य हैं, उनको तुरन्त गति के साथ पूर्ण किया जाए और इनका जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो सके, जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके और ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने स्वीकार किया है कि उनके कारण यह टी.एस. और एफ.एस. विलम्ब से आये हैं।

**श्री अध्यक्ष**: भाषण लम्बा मत कीजिये, सवाल कीजिये।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): उनको दंडित करना होगा। सिर्फ दंडित करने से नहीं होगा।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड-2 में स्वयं ने स्वीकार किया है कि विधायक विकास कोष में कोटा, दक्षिण के माननीय विधायक महोदय ने जो पिछले चार साल में कुल 394 कार्यों की अनुशंसा की थी। इसमें से 108 कार्य ऐसे थे जो कि निरस्त हुए, जिनकी अनुमति नहीं थी, विधायक विकास कोष का जो प्रावधान है, उसमें जो अनुमत्त कार्य हैं, उसके इतर कार्य थे। यह बात सही है जो कि मैंने खुद ने स्वीकार की है कि कोटा नगर निगम जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसमें कुल 209 कार्य स्वीकृत हुए और 176 कार्यों में टी.एस. विलम्ब से जारी हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज को भी स्वीकार करता हूं कि यह जो टी.एस. जारी हुई उसमें 112 काम ऐसे थे जो 45 दिन तक विलम्बित रहे, 40 कार्य ऐसे थे जो 45 दिन से 3 महीने तक विलम्बित रहे और 24 कार्य ऐसे थे जो 3 से 6 महीने तक विलम्बित रहे। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह मैंने पहले ही कहा, मैंने परिशिष्ट-2 पर उसका उल्लेख भी किया है। इसमें उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए जो भी दोषी अधिकारी/कर्मचारी होगा, उसको बचाने का कोई मकसद नहीं है। निश्चित तौर पर विधायक विकास कार्य का जो काम है, वह समय पर हो। इसके लिये जो पहले गाइड लाइन थी, जो प्रक्रिया थी, उसमें हमने संशोधन किया था। 28.12.2017 को भी हमने एक संशोधन किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो माननीय विधायक अनुशंसा करते थे, उनसे लेकर तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति, यह पूरा सफर 40 दिन में पूरा होता था, हमने उसको कम करके 30 दिन में पूरा करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, पहले जिला कलक्टर विधायक विकास कोष की स्वीकृतियां जारी करता था। जिला कलक्टर चूंकि इतर कामों में व्यस्त रहता है, हमने सी.ई.ओ. को अधिकार दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर पर सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि विधायक विकास कोष के कार्यों की पूरे राजस्थान में समय पर स्वीकृति हो, समय पर पूरा हो। इसके लिए हम निरन्तर एवं सतत् मानिटरिंग भी कर रहे हैं एवं प्रयास भी कर रहे हैं और इस प्रयास को हम और सुदृढ़ करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नंबर दो।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में समाजों के भवन बने हुए हैं और इन भवनों के लिए राज्य सरकार ने अपनी जमीनें रियायती दर पर दी है उन पर भवन निर्माण कराने के लिए। जो हमारे समाज हैं वे निर्धन छात्रों के लिए छात्रावास बनाते हैं या अन्य उपयोग में इनको लेते हैं। राज्य सरकार समाज को उनके स्वामित्व की भूमि पर विधायक कोष से अभी वर्तमान में इन जनहित के निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति बंद है। मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे जो निर्माण कार्य हैं, उनमें हमें स्वीकृति प्रदान की जाए तथा धार्मिक स्थलों पर निर्माण के लिए भी काफी

(श्री संदीप शर्मा)

मांग आती है, उसके लिए भी राजस्थान सरकार हमें अनुमति प्रदान करे तथा अस्पताल में जो निर्धन रोगी हैं उनको पहले इम्प्लांट दिए जाते थे जिससे उनको बहुत सहायता मिल जाती थी, उनके कोई हड्डी के या अन्य चीजों में, ऐसी जो चीजें है, उन पर राज्य सरकार ने विधायक कोष से रोक लगा दी है, उसे पुन: प्रारम्भ करने की कृपा करें।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जाति और समाज विशेष के कार्य के लिए विधायक विकास कोष से पैसे की अनुमति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर ये पैसा जाति और विशेष समाज के कामों के लिए दिया जाने लगेगा तो उससे न केवल माननीय विधायकों पर ज्यादा दबाव आएगा बल्कि इसके अन्दर कोई अच्छा काम नहीं होगा। माननीय सदस्य ने इम्प्लांट जो अलग-अलग रोगियों के, गम्भीर रोगियों के लगते हैं, उनके बारे में अनुमति करने की बात कही है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में 1700 ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इम्प्लांट वाली बीमारियां ऐसी हैं, उनमें भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में अनुमति है। जब यह योजना गरीब के लिए लागू होगी इसलिए इस इम्प्लांट के लिए विधायक विकास कोष से पैसा दिया जाना मैं उचित नहीं समझ रहा था। फिर भी माननीय विधायकों की सब लोगों की यह मंशा होगी तो निश्चित तौर पर इसका परीक्षण करवा कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न, श्री ललित कुमार।

**श्री ललित कुमार** (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो सामुदायिक भवन पहले बने हुए हैं, एमएलए लैड या एमपी लैड द्वारा बने हुए हैं, उनकी बाउंड्री के लिए और सामुदायिक भवन के लिए अभी वर्तमान में पट्टे मांगे जा रहे हैं। दो साल से जो प्रावधान किए हैं, गाइड लाइन में कि जो पुराने सामुदायिक भवन हैं, वहां भी अगर वर्तमान में निर्माण कराना है एमएलए लैड या एमपी लैड द्वारा तो अभी भी वहां पट्टा मांगा जा रहा है जिससे काम में बहुत देरी हो जाती है। पट्टा अनिवार्य होने के कारण वहां पर जो पैसा हम जारी करते हैं, वह 6-6, 8-8 महीने तक पट्टा कार्यकारी एजेंसी से नहीं मिलता है। इसमें नियमों में शिथिलता बरतते हुए क्या हम पुराने दो साल पहले के जो प्रावधान

(श्री ललित कुमार)

थे कि बिना पट्टे के हम एमपी लैड या एमएलए लैड जारी करते थे तो उनसे कराने का हम विचार रखते हैं?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कोई भी सामुदायिक विकास केन्द्र बनेगा, उसका पट्टा आवश्यक है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दो वर्ष पहले कोई सामुदायिक विकास केन्द्र बन गया। मैं समझता हूं कि नहीं बनना चाहिए था। किन्तु फिर भी दो वर्ष पहले बन गया और उसकी मरम्मत और विस्तार के लिए विधायक विकास कोष से अगर अनुशंसा होती है तो निश्चित तौर पर हम इसको दिखवा लेंगे और प्रयास यह करेंगे कि हम इसमें संशोधन करके उसमें शामिल कर लेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री मान सिंह गंगापुर।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): आ गया साहब।

**श्री अध्यक्ष**: तीसरा पूरक प्रश्न, श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय जी से मैं पूछना चाहती हूं, जैसाकि आपने जवाब दिया 19.2.2017 को एक सर्कुलर जारी हुआ था कि इम्प्लांट्स के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। आपने हवाला दिया भामाशाह योजना का। मैं आपको इस बारे में अवगत कराना चाहती हूं कि अभी आठ दिन पहले एक पेशेंट के लिए हमने मेडिकल कालेज में फोन किया कि उसके पास भामाशाह कार्ड है, उसको इम्प्लांट दिया जाए। वहां से सम्बन्धित विभाग के डाक्टर्स का यह जवाब था कि अभी भामाशाह कोष से जो इम्प्लांट हम लोग देते हैं, उसकी राशि उपलब्ध नहीं होने की वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें वापस रिलीफ मिलेगा तो गरीब को इसका फायदा मिल सकता है। इसमें ऐसा दुबारा प्रावधान किया जाए। दूसरा, मेरा निवेदन है कि कोटा शहर में और कोटा ग्रामीण में ऐसे कौन-कौन से गांव है जो वन विभाग चरागाह में बसे होने के बाद हमारा जो एमएलए फंड का पैसा हैं, वह दो-दो साल से वहां नहीं लग पा रहा है। ऐसी कौन-कौन सी एजेंसियां हैं जिनका दो वर्ष पूर्व ठेका हुआ था, टेंडर हुआ था कि विधायक कोष के हैंडपम्प,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

ट्यूबवैल वे लगाएंगी और आज तक मैंने गुरदी में पांच साल पहले ट्यूबवैल के लिए पैसा दिया, फिर मैंने दो साल पहले पैसा दिया। वह राशि नहीं लग पा रही है। अधूरा काम छोड़कर एजेंसी भग चुकी है। क्या उस एजेंसी के खिलाफ कुछ कार्यवाही करने का विचार आप रखते हैं? भविष्य में उसको कोई टेंडर न हो, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, क्या ऐसा विचार रखते हैं?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, एमएलए लैड के मुख्यमंत्री जी ने सवा दो करोड़ की घोषणा की थी और आपने दो करोड़ रुपए ही दिए हैं एमएलए लैड में। आपकी मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद दो करोड़ रुपए ही दिए हैं। सवा दो करोड़ की घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने। मंत्री महोदय क्या हुआ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सवा दो करोड़ की विधायक विकास कोष की घोषणा की थी, सभी माननीय विधायकों के खाते के अन्दर सवा दो करोड़ रुपए गए हैं। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): नहीं गए। एक के भी नहीं गए। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रमाण है।

**श्री अध्यक्ष**: डोटासरा जी आप बैठिए।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): बार-बार चिट्ठी लिख रहे हैं सीईओ। उसके बावजूद भी दो करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृतियां नहीं निकल रही हैं। कोई बजट नहीं गया।

**श्री अध्यक्ष**: मिस्टर डोटासरा, यह नहीं। यह तरीका नहीं है। आप बैठ जाइए। मैं कह रहा हूं आप बैठ जाइए। ये तरीका नहीं है। उन्होंने जवाब दे दिया। अगर गलत है तो प्रक्रिया के अन्तर्गत आइए। यहां की यहां निर्णय चाहते हो। नो। अगला सवाल श्री कन्हैया लाल।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न मेरा भी है।

**श्री अध्यक्ष**: नो नो, कन्हैया लाल है या नहीं। एबसेंट। अगला सवाल श्री पब्बाराम।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): प्रश्न का जवाब तो दिलवाएं, साहब।

**श्री अध्यक्ष**: बैठिए आप। मिल लीजिए आप।

**प्रश्न संख्या 175**

**(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)**

## फलौदी में पौधरोपण के कार्य

**176. श्री पब्बाराम** (फलौदी): क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2013 से 2017 तक पौधरोपण के क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कराये गये? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में पौधारोपण के कौन-कौनसे कार्य कहां-कहां किये जा रहे हैं तथा उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है? कार्यवार व्यय राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में पौधारोपण किये गये पौधों में से कितने पौधे जीवित हैं तथा कितने समाप्त हो गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**वन एवं पर्यावरण मंत्री** (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक विभिन्न योजनाओं में करवाये गये कार्यों एवं व्यय राशि का ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2017-18 में विभिन्न योजनाओं में करवाये जा रहे कार्यों का स्थानवार, कार्यवार, आवंटित राशि एवं व्यय राशि सम्बन्धित विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक करवाये गये पौधारोपण कार्यों में रोपित पौधे एवं उनकी जीवितता प्रतिशत सम्बन्धित विवरण संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नंबर एक।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में वृक्षारोपण कर भूस्थरीकरण और रेगिस्तान को रोकना और इसी तरह से

(श्री पब्बाराम)

वन क्षेत्र को डवलप करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वन विभाग में जापान की सहायता से एक योजना चल रही है-आर.एफ.बी.पी. प्रोजेक्ट और यह वित्त वर्ष समाप्त होने जा रहा है। अत: भविष्य में हरियाली बढ़ाने और मरुस्थल प्रसार को रोकने की सरकार की क्या योजना है?

**श्री गजेन्द्रसिंह** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जायका जो है, इसका प्रोजेक्ट 31 मार्च, 2019 तक जारी रहेगा। फलौदी के अंदर अभी जुलाई, 2018 के अन्दर 110 हैक्टेयर के अन्दर 84000 हजार पौधे लगाए जाएंगे। हमारा जो डेजर्ट बढ़ता जा रहा है, हमारी जो टीबा स्थिरीकरण शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स वाली जो स्कीम है, हमारे एन्युअल प्लान के अन्दर 2018-19 के अन्दर दो हजार हैक्टेयर के अन्दर प्लांटेशन होंगे। जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक के कार्यक्रम होंगे। 2018-19 के अन्दर हमारे पास अच्छा बजट है, हम उसका प्रयोग करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। पूरक प्रश्न नंबर दो।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): माननीय अध्यक्ष जी मंत्री महोदय वन्य जीवों के भी मंत्री हैं। गत वर्ष घायल वन्य जीवों के उपचार हेतु जोधपुर जिले में 17 रेस्क्यू वार्डों का निर्माण किया गया जो कि सरकार की बहुत अच्छी पहल है परन्तु घायल वन्य जीवों के रेस्क्यू करने व रेस्क्यू वार्डों के संचालन हेतु कोई बजट की व्यवस्था नहीं होने के कारण रेस्क्यू वार्डों के उच्च संचालन हेतु कार्य की क्या योजना है इस बारे में माननीय मंत्री महोदय बताएं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

**श्री गजेन्द्रसिंह** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे रेस्क्यू सैंटर्स होते थे जो हमारे रेंज आफिस के पास बनाये जाते थे। जब भी कोई वन्य जीव घायल होकर आता है तो तुरन्त वेटरनरी डाक्टर की जरूरत पड़ती है। इस वजह से जहां भी पशु चिकित्सालय, उप सैंटर हैं हमने वहां पर रेस्क्यू वार्ड के नाम से एक नया सिस्टम चालू किया है जिसके अन्दर कैम्पा का फंड है उससे अक्सर क्या होता है कि जितने भी पशु चिकित्सालय हैं, वहां पर दवाइयां मिल जाती हैं। मेन समस्या ट्रांसपोर्टेशन कास्ट की है। कोई वन्य जीव घायल हो जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की है। इसके तहत कैम्पा फंड के थ्रू हमने प्रावधान किया है कि वन्य जीव को वहां पर लाया जाए, 17 रेस्क्यू वार्ड केवल जोधपुर जिले के अन्दर ही खोले हैं। विधायक महोदय का

(श्री गजेन्द्रसिंह)

फलौदी एक सब सैंटर है। इसके अलावा लूणी, खेजरली, औसिंया, खारा, जोधपुर में केवल यही सब सैंटर्स हैं। जावां में इनके लिए वार्ड खोला गया। जिस विधान सभा में इनका निवास हैं वहां पर अऊ, डेचू और लहट के अन्दर भी हमने रेस्क्यू वार्ड खोले हैं। कैम्पा फंड के थ्रू हम पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, वन्य जीव का इलाज करवाएंगे।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। अगला प्रश्न, श्री शंकर सिंह रावत।

## प्रदेश के मिनरल उद्योग को बचाने की कार्ययोजना

177. **श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मिनरल व्यवसाय का हब पूरे देश में राजस्थान ही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान में मिनरल एवं माइनिंग व्यवसाय मुख्य रूप से अजमेर और राजसमंद जिले में होता है?

(3) क्या यह भी सही है कि गुजरात के मोरबी में भी बड़े-बड़े मिनरल प्लान्ट लगाने से राजस्थान का सारा कच्चा माल गुजरात जाने के कारण राजस्थान के उद्योग धंधे बन्द हो जाएंगे व लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे ?

(4) क्या यह भी सही है कि कच्चे माल पर सरकार को प्राप्त राजस्व निर्मित माल के मुकाबले काफी कम है?

(5) क्या सरकार राजस्थान के मिनरल उद्योग को बचाने हेतु कच्चे माल के गुजरात जाने पर रोक लगाने हेतु कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उद्योग मंत्री** (श्री राजपाल सिंह शेखावत) : (1) जी नहीं। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी मिनरल व्यवसाय अच्छी स्थिति में है।

(2) जी हां, राजस्थान में मिनरल एवं माइनिंग व्यवसाय अन्य जिले के साथ-साथ अजमेर व राजसमन्द में भी होता है।

(3) जी नहीं। राजस्थान का समस्त कच्चा माल गुजरात नहीं जाता है, अपितु आवश्यकतानुसार खनिज का निर्गमन विभिन्न राज्यों व विदेशों में भी होता है।

(उद्योग मंत्री)

(4) राजस्थान से गुजरात जाने वाले मिनरल में मुख्यत: क्वार्ट्ज, फेल्सपार, चाइना क्ले का उपयोग टाइल इत्यादि के निर्माण में किया जाता है तथा जीएसटी कानून में इन सभी वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की दर से कर देयता अधिसूचित है।

इन वस्तुओं से तैयार टाइल्स (Finished Product) के विक्रय पर जीएसटी में 18 प्रतिशत की कर दर अधिसूचित है। जीएसटी के अन्तर्गत आगत कर का लाभ निर्बाध रूप से उपलब्ध होता है एवं अंतिम उत्पाद पर चुकाये गये कर में कच्चे माल पर देय कर भी सम्मिलित होता है। जीएसटी एक गन्तव्य आधारित (Destination base) कर प्रणाली है। अत: माल की खपत जिस राज्य में होती है, कुल कर राजस्व में से राज्य का हिस्सा उस राज्य को प्राप्त होता है, जहां उस माल की खपत हुई है।

(5) राजस्थान से कच्चा माल गुजरात जाने को रोकने हेतु कोई पालिसी विचाराधीन नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि मिनरल व्यवसाय से जुड़े जितने भी उद्योग हैं वह हज़ारों की संख्या में ब्यावर में लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश में, अन्य ज़िलों में भी लगे हुए हैं। कच्चा माल ज्यादा से ज्यादा अजमेर जिले में ही मिल पाता है। अजमेर से सारा रॉ मैटीरियल राजसमंद जिले में भी है। सारा का सारा रॉ मैटीरियल गुजरात जा रहा है। गुजरात के लोगों द्वारा डायरेक्ट ले जाने से हमारी सरकार को रेवेन्यू का काफी नुकसान हो रहा है। हज़ारों की तादाद में प्लांट बंद हो जाएंगे। लाखों लोग उससे बेराजगार हो जाएंगे। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि कच्चा माल के ऊपर तुरन्त रोक लगानी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान में बड़ी तादाद के अन्दर मिनरल ग्राइडिंग प्लांट लगे हुए हैं। पहले गुजरात के अन्दर, खास तौर से मोरबी के अन्दर माल जाता था श्रमिक इण्डस्ट्रीज के लिए वह ग्राइडिंग किया हुआ माल जाता था। अब वहां पर ग्राइडिंग के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जिसके कारण से जो

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इंटीग्रेटेड श्रमिक यूनिट्स बनी है उसके अन्दर अब वह सीधा कच्चा माल ले रहे हैं ग्राइडिंग के बिना। ग्राइडिंग से वेल्यू एडीशन होता है। यह बात भी सही है कि अगर वित्त विभाग उसको एग्जामिन करे, हम उद्योग डिपार्टमेंट की तरफ से माइनिंग डिपार्टमेंट को लिखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि माइनिंग डिपार्टमेंट वित्त विभाग की इसमें राय लेगा कि जो हमारा कच्चा माल ग्राइडिंग के माध्यम से वेल्यू एडीशन होता है उस वेल्यू एडीशन पर मिलने वाले टैक्स से हमको कोई और फायदा होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि उद्योग विभाग की संतुष्टि के साथ माइनिंग डिपार्टमेंट को यह भेजेंगे कि माइनिंग डिपार्टमेंट इस कच्चे माल को गुजरात जाने से रोकने के लिए कोई प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था करे। अगर टैक्स में राजस्थान को कोई फायदा होता है, वैल्यू एडीशन से फायदा होता है तो वित्त विभाग की राय के बाद निश्चित रूप से इस दिशा में हम कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): दूसरा यही है कि...

**श्री अध्यक्ष**: बस यही है तो।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): कि खान विभाग का भी इसमें सवाल है नहीं लेकिन मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि लाखों लोग उससे बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। शंकरसिंह राजपुरोहित, पूरक प्रश्न नम्बर एक। इनके साथ ही उनका भी जवाब दे देना।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं मिनरल को बाहर जाने से, कोई कच्चा माल रोकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मिनरल से सम्बन्धित उद्योग लगाने वाली नीति में कहीं न कहीं ऐसा, जिससे स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज डवलप हो, ऐसे कई जिले जैसे पाली, जालौर, सिरोही, ब्यावर, राजसमंद, जहां पर हम इन इण्डस्ट्रीज को डवलप कर सकते हैं। उद्योग विभाग के द्वारा उन इण्डस्ट्रीज को डवलप करने के लिए आपने क्या-क्या प्रयास किए और नहीं किए तो करेंगे क्या?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

यह बात सही है कि राजस्थान में मिनरल आधारित उद्योग लगाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से जो सवाल पूछा गया है उसमें जिस प्रकार फेल्सपार और क्वार्ट्ज की बात की गई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर गिलोज के अन्दर हमने श्रमिक और ग्लास का स्पेसिफिक जोन बनाया है। साथ ही मसूदा के पास सताना इण्डस्ट्रीयल एरिया के अन्दर डेढ़ लाख स्क्वायर मीटर जमीन को हमने रिजर्व किया है। कजारिया टाइल्स, शेरा काफी तादाद के अन्दर श्रमिक इण्डस्ट्री के लोग यहां पर आ रहे हैं। गिलोज के अन्दर कई फैक्ट्रियां लगभग-लगभग अपने प्रोडक्शन के कगार पर हैं। एक-दो फैक्ट्रियों ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। मसूदा के इण्डस्ट्रीयल एरिया की मैं बात कर रहा हूं वहां भी दो बड़े प्रोजेक्ट एक शेरा का प्रोजेक्ट लग रहा है। हम निश्चित रूप से इस दिशा में काम कर रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर जो मिनरल प्रोडयूस होते हैं उन मिनरल्स के आधार पर किस प्रकार का उद्योग राजस्थान में पालिश कर सकता है। सोचे समझे ढंग से उद्योग विभाग इसमें काम कर रहा है। निश्चित रूप से इस विषय में और भी आगे काम करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री देवेन्द्र कटारा।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि डूंगरपुर में माइन्स एंड मिनरल का जितना भी मैटेरियल है वह सारा का सारा आउट आफ एक क्षेत्र जा रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने और संविधान की पांचवी अनुसूची में विशेषकर शिडयूल्ड एरिया के लिए स्पेशल नीति के बारे में कमेंट्स कर रखे हैं। वर्तमान जो नीति चल रही है इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित क्षेत्र में मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखण्ड की तर्ज पर और समता जजमेंट के निर्देशों के अनुरूप क्या राजस्थान में शिडयूल्ड एरिया के लिए विशेष नीति का निर्माण, माइन्स एंड मिनरल के लिए, बनाने का विचार रखते हैं क्या?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि हमने 2014 में एक पॉलिसी घोषित की थी उसका नाम है

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रिप्स 14, रिप्स 14 के अन्दर बैकवर्ड एरिया के अन्दर, ज्यादा बैकवर्ड एरियाज में हमने सर्टेन इंसेंटिव्स दिए हैं। अभी राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में एम्प्लायमेंट सब्सिडी को बढ़ाने की बात की है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के बैकवर्ड एरियाज के अन्दर, ट्राइबल एरियाज के अंदर इण्डस्ट्रीयलाइजेशन करने के लिए जिस प्रकार की सब्सिडी, जिस प्रकार के इंसेंटिव्ज दिए जाने चाहिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रोवाइड कराए गए इंसेंटिव, हिन्दुस्तान के अंदर प्रोवाइड कराए गए बाकी स्टेट के इंसेंटिव्ज के मुकाबले ज्यादा कारगार हैं, ज्यादा इफेक्टिव हैं।

अभी एम्प्लायमेंट सब्सिडी में जिस प्रकार से पांच हजार रुपये की वृद्धि की गई है, एस सी, एस टी, ट्राइबल एरिया, बैकवर्ड एरिया, पूरे इलाके के अन्दर एम्प्लायमेंट सब्सिडी को बढ़ाया गया है। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए हमेशा यह चिंता का विषय रहा है कि बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया में किस प्रकार के इण्डस्ट्रीयलाइजेशन हो, किस प्रकार से इण्डस्ट्री यूनिट्स लगे। इण्डस्ट्री यूनिट्स लगने के माध्यम से उस क्षेत्र का विकास हो, वहां पर एम्प्लायमेंट जनरेशन हो, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: डूंगरपुर के बारे में भी पूछा है उन्होंने।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि स्थानीय, मूल निवासियों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, इस बारे में कोई नीति निर्माण, क्योंकि समता जजमेंट में स्थानीय निवासियों के बारे में कमेंट्स कर रखा है। अदर स्टेट में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता। न रोजगार के बारे में कोई कमेंट्स है, न ही वहां के स्थानीय लोगों को कोई लाभ हो रहा है। सारा दोहन बाहर जा रहा है।

**(12.00 बजे)**

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्नकाल समाप्त।

माननीय सदस्यगण, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि प्रतिपक्ष के नेता का वक्तव्य होगा। मैं इस सम्बन्ध में दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। परसों से अभी तक इस सदन का टैम्पर बड़ा हाई हुआ है। उसमें हम सबको मिलकर उसको कूल करने की कोशिश करनी चाहिए। आज दो महत्वपूर्ण भाषण भी होने हैं। चार बजे प्रतिपक्ष के नेता का भाषण होगा। पांच

(श्री अध्यक्ष)

बजे मुख्य मंत्री का भाषण होगा तो हमें सहयोग की एक समझ विकसित करनी पड़ेगी। इसीलिये ज्यादा आवेश में आकर या अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं करें, जिससे कि टैम्पर हाई रहे। वह कूल रहे। मैं सोचता हूं कि हमारे दोनों पक्ष, सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों सही रूप से अपनी-अपनी बात कहेंगे। प्रतिपक्ष के नेता अपना भाषण समाप्त करेंगे। उसके बाद मैं अगली व्यवस्था समाप्त करूंगा। उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, यह मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, कोई नहीं करेगा, किसी तरह का।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है। प्रतिपक्ष के नेता बोलें और आसन ने व्यवस्था दे दी, सर्वोपरि है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना-सा जानना चाहता हूं कि रूल 273 के अन्दर नोटिस दिया हुआ है। क्या प्रतिपक्ष के नेता रूल 276 के अन्दर अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं जरा स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अगर वे स्पष्टीकरण देंगे तो फिर हाउस की सम्पत्ति है। फिर हम उनसे सवाल, सिर्फ आपकी अनुमति से, बिना आपकी अनुमति से तो एक शब्द भी बोलना गुनाह है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय, आप विराजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमारे जैसे आदमी के मुंह से एक शब्द निकलता भी नहीं है, आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए, विराजिए।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये। यह नहीं होगा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्री की बात का तो जवाब दूंगा न। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मिस्टर डोटासरा, यह नहीं होगा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्री को आपने अलाउ किया है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, बैठिये आप। (व्यवधान) हां, यह नहीं होगा, आप बैठिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): जो बात इन्होंने कही है, उसका जवाब तो दूंगा। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: इनका अंकित नहीं हो। आप बैठ जाइये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठ जाइये। नो, आप बैठ जाइये। बिलकुल बैठ जाइये। मैं हूं उनका जवाब देने के लिये।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इंफार्मेशन।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इंफार्मेशन के तहत।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): आपको काहे का मौका मिले। किस बात का मौका दें आपको? कौनसी बहस हो रही थी, जिस पर मौका दें। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: कोई पाइण्ट आफ इंफार्मेशन नहीं है। (व्यवधान)

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): पाइण्ट आफ इंफार्मेशन। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, बैठ जाइये। ऐसा है, नियम-उप नियम, सब अपन जानते हैं। परसों जिस ढंग से एक मसला उठा और हमको तीन बार विधान सभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, वह आपके सामने है, बड़े भारी मन से मैंने किया था, लेकिन अब न तो कोई नियम हैं, न कोई उप नियम हैं। मेरा निर्देश है कि इनका वक्तव्य होने तक कोई किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): पाइण्ट आफ इंफार्मेशन।

**श्री अध्यक्ष**: बैठ जाइये, मिस्टर शंकर सिंह, बैठ जाइये। नहीं, एक शब्द भी नहीं। (व्यवधान) बैठ जाइये, प्लीज।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): इनके बाद में दे दीजिये।

**श्री अध्यक्ष**: हम हाउस को आर्डर में लाना चाहते हैं। एक सहयोग की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। आज शाम को महत्वपूर्ण भाषण होने हैं हमारे यहां। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। यहां ऊंचा-नीचा हो जाएगा। कोई

(श्री अध्यक्ष)

इधर बोल देगा, कोई उधर बोल देगा, तो कोई आसमान गिर जाएगा क्या। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि एक मर्यादित रूप में इस सदन की कार्यवाही चलने दें।

# स्पष्टीकरण

## रामेश्वरलाल डूडी, श्री, नेता, प्रतिपक्ष का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पवित्र सदन लोकतंत्र का एक मन्दिर है। इस लोकतंत्र के मंदिर में हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो कर्तव्य है, उस पूरे प्रदेश की जनता की आवाज, चाहे गरीब की हो, चाहे शोषित की हो, चाहे आम आदमी की जो आवाज हो ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मिस्टर श्री हबीबुर्रहमान, विराजिये।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): वह हम सरकार के सामने रखने का काम करते हैं, यह हमारा कर्तव्य है, लेकिन जिस तरीके से हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राजेन्द्रजी राठौड़ के द्वारा इस सदन का दुरुपयोग किया गया एक व्यक्तिगत लांछन लगा कर, न तो कोई इन्होंने नोटिस दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय।

यह हमेशा हरी किताब दिखाते हो, यह हरी किताब अभी भी आपने दिखाई थी। आप किस नियम कानून के तहत यहां पर आये। आप तो नियमों का भण्डार हो। हर माननीय सदस्य को, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, उनको आप अपनी किताब दिखाते हो। उस किताब में, नियम और कानूनों के तहत आओ। आपने शुक्रवार को, 16 तारीख को जिस तरीके से मेरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाया, उसमें कौन से नियम-कानून के तहत आये, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) मैं यहां पूछना चाहता हूं, किस नियम-कानून के तहत आये? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: कृपया शांत रहें।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): एक अख़बार की कटिंग, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अख़बार की कटिंग। (व्यवधान) उस कटिंग को लेकर, उस अख़बार का नाम लेकर मेरे पर व्यक्तिगत लांछन लगाया। आपने हाउस नहीं चलने दिया, मिलीभगत से आपने एडजोर्न करवाया। सत्तापक्ष

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

हाउस नहीं चलाना चाहता, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बीच में टोकना पड़ेगा। हाउस को हमने एडजोर्न करवाया। यह अधिकार आपका है, यह अधिकार आपका है। ये आपको चुनौती दे रहे हैं, ये आसन को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हाउस एडजोर्न होगा, नहीं होगा (व्यवधान) ये आपका अधिकार है। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आपके निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री। आपने कहा था, नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे तब तक कोई नहीं बोलेगा। ये अवहेलना कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से आपने शुक्रवार का पूरा दिन इस सदन का जाया किया। आज बहुत महत्वपूर्ण सदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट सत्र है। इस बजट में प्रदेश की आम जनता की भावना जुड़ी हुई है। उस बजट सत्र में, जो आपने बजट पेश किया, वह बिलकुल एक निराशाजनक बजट था।

**श्री अध्यक्ष**: बजट की बात मत करिये। नो, नो, आप सीमित रहिये। (व्यवधान) बजट पर आप चार बजे बोलेंगे।

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप क्या बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष?

**श्री अध्यक्ष**: बजट पर आप चार बजे बोलेंगे। (व्यवधान) आपको स्पष्टीकरण देने के लिये समय दिया है। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपको इसके बोलने के लिये अनुमति दी थी क्या। (व्यवधान) आप क्या बोलते जा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: बिलकुल नहीं। चार बजे आप बजट पर बोलेंगे। आप अपना स्पष्टीकरण दीजिये और उसके बाद मैं आगे कार्यवाही चलाऊंगा।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, मैं यही निवेदन करना चाह रहा था। निराशाजनक बजट की बात कर रहा था। (व्यवधान)

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

इसलिये, क्योंकि हम लोग उस जनता की आवाज उठाना चाह रहे थे। उस आवाज को दबाने के लिये, आप यह मुद्दा लेकर आ गये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये, बैठिये।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): यह मुद्दा लेकर आ गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इनको सदन का समय जाया करना था। उस जनता की आवाज सुनने के लिये ये तैयार नहीं थे। क्योंकि जनता का कहीं कोई हित नहीं किया। (व्यवधान) क्या मैं बोलूं नहीं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रोवोक कर रहे हैं जान बूझकर। ये स्पष्टीकरण थोड़े ही है, अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान) ये प्रोवोक कर रहे हैं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर खड़े हो गये। सत्ता पक्ष ने सदन को मछली बाजार बना रखा है।

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त हुई। आप सब बैठ जाइये।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): सर, मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरी बात कही।

**श्री अध्यक्ष**: मैंने आपको टाइम दिया। (व्यवधान) सीधे शब्दों में अपनी बात कह दीजिये। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ये खड़े हो गये न बीच में। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं दो शब्दों में मेरी बात कह दूंगा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो गये।

**श्री अध्यक्ष**: Mr. Dotasara, I will have to tell you. Every time, you have been disturbing me. आपने यह समझ लिया कि हाउस आपका ही है। नो, बैठ जाओ। (व्यवधान) ये बोलेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा, आपके कहने से नहीं। क्या मतलब है। इनको कण्ट्रोल में रखिये आप। नहीं तो मुझे बैन करना पड़ेगा। मैं किसी बात की चिंता नहीं करता हूं, इस मामले में। किसी भी सीमा तक जाना पड़े।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आप महान हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप महान हैं।

**श्री अध्यक्ष**: इनको कण्ट्रोल कीजिये। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): आप तजुर्बेकार हैं, आप महान हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आप अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिये।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं उसी बात पर आ रहा था। मैं कोई उल्टी-सीधी बात नहीं कर रहा था, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा था कि आप सब लोगों का ध्येय, क्योंकि सदन के अन्दर प्रदेश के उस गरीब की, उस किसान की, उस मजदूर की, उस खेत की आवाज उठाने का काम करता, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मुझे व्यक्तिगत घेरने का काम किया है। (व्यवधान) इन्होंने व्यक्तिगत लांछन लगाकर मेरे जैसे किसान को ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं? ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं?

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): विशेषाधिकार का हनन किया है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त हुई। विपक्ष के नेता ने अपना वक्तव्य दे दिया।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): वह वीडियो किसका था, वह वीडियो किसका था, पूछो। (व्यवधान) वीडियो में आवाज किसकी थी।

**श्री अध्यक्ष**: विपक्ष के नेता ने अपना वक्तव्य दे दिया। मैंने मान लिया।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): ओहो, होहो। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है। (व्यवधान) ये आपके सदस्य 'ओहो' कर रहे हैं, यह कोई जंगल है क्या। मिस्टर घनश्याम, बैठ जाओ, I will bar you ...(व्यवधान) बैठ जाओ, मैंने कहा बैठ जाओ। इनसे कहिये, 'ओहोहो' क्या होता है। इस सदन में 'ओहोहो', कैसे लोग लाये हो। (व्यवधान) बैठ जाओ। मजाक नहीं।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने मेरा जवाब दिया ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

# अनुपस्थिति अनुमति

## मनोहर सिंह, श्री, सदस्य को 12 फरवरी से 22 फरवरी, 2018 तक

**श्री अध्यक्ष**: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री मनोहर सिंह, सदस्य विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 12 फरवरी से 22 फरवरी तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। (व्यवधान) क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): सर, मैं बोलूं नहीं? (व्यवधान) सर, मेरा जवाब नहीं सुना। (व्यवधान) आपने व्यवस्था दी थी, माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने व्यवस्था दी थी और आप मेरा जवाब नहीं सुनना चाह रहे। (व्यवधान) आप मेरा जवाब नहीं सुनना चाह रहे, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: अनुमति प्रदान की गयी।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा जवाब नहीं सुनना चाह रहे, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: नो, नो। (व्यवधान) नो, नो।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने जवाब नहीं दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: मेरी सदाशयता का आपने नाजायज लाभ उठाया। (व्यवधान) मेरी सदाशयता का आपने नाजायज लाभ उठाया। नो, नो। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

# स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**श्री अध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से उप चुनाव से ठीक पहले स्वीकृत किये गये विकास कार्यों का चुनाव परिणाम आने के बाद लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

**(सदन कूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों का आगमन व नारे)**

(2) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में जन-सहभागिता से संचालित गौशालाओं को सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती सोनादेवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय घोषित करने एवं श्रीविजयनगर में कन्या महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से प्रदेश में वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों को अतिरिक्त पानी दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला रावत, श्रीमती सोनादेवी, श्री पूरणमल सैनी एवं श्री भंवरसिंह को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

**(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

यह सदन को जंगल नहीं बनने दिया जाएगा। जंगल में जिस तरह पशु हाका-हू करते हैं, उस तरह जैसे हाका-हू की गयी, मुझे अफसोस है इस बात का कि ऐसे जंगल में हाका-हू करने वाले लोग इस सदन में हैं और प्रतिपक्ष के नेता उनको रोक नहीं पा रहे हैं। मुझे अफसोस है यह। क्या हो-हो-हो? किया है अभी, आपके सामने हुआ है, आपने सुना है। यह हो-हो करने का

(श्री अध्यक्ष)

है? यह हो-हो करने का सदन है? यह हो-हो करने का सदन है? हा-हा, हू-हू करने का सदन है? मैंने आपको टाइम दिया, आपने मिस्यूज किया है। (व्यवधान). कोई टाइम नहीं दूंगा। प्रतिपक्ष का एक शब्द भी अंकित नहीं हो। एक शब्द भी अंकित नहीं हो। चिल्लाने दो इनको, जितना हाका-हू करना है। मेरी सदाशयता का लाभ उठाया है इन्होंने। मैंने टाइम दिया है और उसके बाद हो-हल्ला, हा-ही, हू-हू, +++ नहीं चलने दिया जाएगा, मर्जी आए जो कर लो।

**(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

चलिए, कुर्सी पर जाओ। यहां से नहीं, कुर्सी पर जाओ। कुछ कहना है तो वहां पर जाओ। कुछ कहना है तो वहां पर जाओ। आपको नहीं चलाना, सदन मुझे चलाना है। वहां जाओ, नहीं बोलने दूंगा। अब नहीं बोलने दूंगा, कह दिया मैंने यह मेरी रूलिंग है। मेरी रूलिंग का, मेरी सदाशयता का बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है आज, इस बात का मुझे अफसोस है और इसलिए एक शब्द भी नहीं लें इनका। (व्यवधान)

# नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से डिमांड नोटिस जमा कराने के उपरांत भी कनेक्शन नहीं दिये जाने के कारण फसलों के चौपट होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में यू.आई.टी. पेरीफेरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के 10 गांवों की अधिगृहीत जमीन का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती अनीता, सदस्य की ओर से भरतपुर जिले की नगर, कामां एवं डीग तहसीलों में स्वीकृत चंबल पेयजल परियोजना से पीने का पानी उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से अजमेर लोक सभा चुनाव के

(श्री अध्यक्ष)

दौरान आपस में हुई छुट-पुट मारपीट व गाली-गलौज के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त जैतपुरा बांध की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर में नोहर सिंचाई परियोजना के मसीतावाली हैड से 15 किलोमीटर नई नहर निकाले जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जोधपुर की राजीव गांधी नहर के पास स्थित आर.डी. किलोमीटर 190 से 204 आर.जी.एल.सी. एवं जोधपुर-तिंवरी सड़क से इन्द्रोका-माणकलाव तक सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम में नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जोधपुर जिले की बाप तहसील के ग्राम पंचायत ननेऊ के राजस्व ग्राम सालासर की रोही में शिकारियों द्वारा शैतान सिंह भादू को गोली मार देने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में प्रस्तावित मेडिकल कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में दानदाताओं व सरकार के बीच हुए एम.ओ.यू. के बावजूद निर्माण नहीं होने के सम्बन्ध में।

(12) मास्टर मामन सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र तिजारा में कस्टोडियन एवं सिवायचक गैर खातेदारी भूमि का कब्जा स्थानीय किसानों को दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

## पर्ची

आज दिनांक 19 फरवरी, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 40 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

(श्री अध्यक्ष)

| | |
|---|---|
| श्री तरुण राय कागा | विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सी.एच.सी. धनाऊ पर 108 एवं 104 एम्बुलैंस सेवाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। |
| श्री रामहेत सिंह यादव | अलवर जिले के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। |
| श्री कैलाश भंसाली | जोधपुर पुलिस द्वारा आर.टी.आई. कार्यकर्ता श्री नन्दलाल व्यास की अवैधानिक गिरफ्तारी के सम्बन्ध में। |
| श्री शंकरसिंह राजपुरोहित | जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा पाली, जालौर व सिरोही जिलों का विकास करने एवं आहौर के 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को माडा कलस्टर योजना से जोड़ने के सम्बन्ध में। |

**(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)**

विधान सभा की कार्यवाही ठीक ढंग से चले। यह एक भी नारा आप न तो अंकित कीजिए और न इधर की एक भी बात अंकित कीजिए। ये लोकतंत्र के दुश्मन हैं, जो लोकतंत्र की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चलाने दे रहे हैं। यह तरीका? यह तरीका देख लो, सारा राजस्थान यह तरीका देख रहा है। ये लोकतंत्र के दुश्मन किस तरह से आज कार्यवाही डिस्टर्ब कर रहे हैं। सारे सदन को इन्होंने सिर पर उठा रखा है, चार-पांच आदमियों ने। यह इनकी अमर्यादित कार्यवाही है। अमर्यादित कार्यवाही है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और इनको निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादा को निभाने के लिए आप सब अपनी-अपनी कुर्सियों पर चले जाइये, यह आपको निर्देश देता हूं और अब मैं बुलवाऊंगा। नो, मैंने इनको टाइम दिया है, अब नहीं दूंगा। चुप रहो, आप कौन होते हो कहने वाले? बैठिये। आप हैं राय देने वाले? जाओ, अपनी कुर्सी पर जाओ, वहां से बोलो। अपनी कुर्सी पर जाओ। नहीं जाओ तो बैठ जाओ। नहीं जाओ तो बैठ जाओ।

(श्री अध्यक्ष)

हां, माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला रावत को अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए पुकार रहा हूं। नहीं बोल रहीं?

**(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

माननीय सदस्य श्रीमती सोनादेवी, बोलिए। आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलिए।

# स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

## रायसिंहनगर के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय घोषित करने एवं श्रीविजयनगर में कन्या महाविद्यालय

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपकी आभारी हूं, धन्यवाद, सर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी में यह लाना चाहती हूं कि श्रीगंगानगर जिले में रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है और पिछले चार साल से मैं विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के लिए ....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: हां, आप बोलो-बोलो।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पाइंट आफ इन्फार्मेशन के तहत समय मांगा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन के तहत समय मांगा था। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: कोई पाइंट आफ इन्फार्मेशन नहीं। कोई पाइंट आफ इन्फार्मेशन नहीं है। आप बालिये, सारा जाएगा रिकार्ड में।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): शहीद भगत सिंह कालेज को सरकारीकरण करने के लिए व सरकारी कालेज श्रीविजयनगर में गर्ल्स कालेज खोलने की मांग पिछले चार साल से मैं कर रही हूं।

मैं यह जानकारी में देना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेसियों ने जाते-जाते रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में रायसिंहनगर शहीद भगत सिंह कालेज को सरकारीकरण किया था ....(व्यवधान)

**(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

**श्री अध्यक्ष**: चला रहा हूं और चलेगी। तानाशाही चला रहा हूं और चलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा किया तो बाहर फिंकवा दूंगा। (व्यवधान)

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): जो कि नाम मात्र का किया था इसलिए आज कांग्रेसियों का यह हाल है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: ज्यादा किया तो बाहर फिंकवा दूंगा। आप बोलो।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चार साल से यह मांग कर रही हूं कि रायसिंहनगर में शहीद भगत सिंह कालेज को सरकारीकरण किया जाए। मैं मांग करती हूं कि श्रीविजयनगर में कन्या महाविद्यालय खोला जाए।

**(इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

मैं मांग करती आ रही हूं पिछले चार साल से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी में देना चाहूंगी कि रायसिंहनगर विधान सभा में सबसे अधिक बहुल क्षेत्र एस.सी. जाति के लोग-बाग रहते हैं। निजी कालेज में इतनी मंहगी फीस होने के कारण वहां के बच्चे-बच्चियां उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मेरी तो चलेगी। मेरी तो चलेगी, जाओ आपकी जो मर्जी हो चाहे कर लेना। मेरी तानाशाही चलेगी।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): सरकारीकरण किया जाए व श्रीविजयनगर में एक गवर्नमेंट कालेज कन्या महाविद्यालय खोला जाए। मैं यह अनुरोध करना चाहती हूं सरकार से।

**श्री अध्यक्ष**: श्री पूरणमल सैनी।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिला दीजिये। जवाब दिला दीजिये। अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी से जवाब दिला दीजिये।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी जवाब दे दीजिये। (व्यवधान)

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात कही कि उनके शहीद भगत सिंह कालेज को राज्याधीन करने के संदर्भ में मैं उनको फैक्ट बताना चाहूंगी कि इस बार महाविद्यालय शहीद भगत सिंह को राजकीय

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

महाविद्यालय बनाने के संदर्भ में अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिये कि पूर्व में जिस तरीके की पूर्ववर्ती सरकार ने जब घोषणा की थी तो उसमें जो सारे मापदण्ड देखने चाहिये थे, वह नहीं देखे गये थे और केवल घोषणा के नाम पर, घोषणा कर दी थी। पांच एस.एफ.एस. और तीन पी.पी.पी.मोड के कालेजेज को राज्याधीन किया था, लेकिन जब मंत्रिमण्डल की उप-समिति के द्वारा इस पर विचार किया गया तो उसमें इन्होंने पाया कि इस कालेज को राज्याधीन करना अभी ठीक नहीं होगा और इसलिये इसको डी-नोटिफाई किया और रायसिंहनगर महाविद्यालय को दिनांक 26.09.2014 को डि-नोटिफाई कर वहां सरकार द्वारा लगाये गये जो कार्यवाहक प्राचार्य थे, उनको भी विथड्रा कर लिया गया। आपकी जानकारी के लिये यह भी कहना चाहूंगी कि रायसिंहनगर उपखण्ड में अभी वर्तमान में 10 निजी महाविद्यालय, दो महाविद्यालय हमारे कन्या महाविद्यालय वहां पर संचालित हैं और इसके 30 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय महाविद्यालय भी उपलब्ध है, लेकिन यह भी आपके माध्यम से सदन में जानकारी देना चाहूंगी कि वर्तमान में जो 141 उपखण्ड हैं, वहां पर राजकीय महाविद्यालय नहीं है, उनमें से 17-18 ऐसे उपखण्ड हैं, जिनकी इस बार बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। आपके इस रायसिंहनगर के उपखण्ड पर भी गुणावगुण के आधार पर, बजट की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा, यह आश्वस्त करती हूं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: श्री पूरणमल सैनी। (व्यवधान) अपनी सीट पर जाकर बोलें, बोलने का तरीका है, जो सदस्य बोलना चाहें, वह अपनी सीट से बोलें। वहां जाकर बोलो नये सदस्य हो। चल रही है। चला रहा हूं तानाशाही। गुण्डागर्दी नहीं चलेगी। लोकशाही में तानाशाही तो चलेगी, यह गुण्डागीरी नहीं चलेगी। यह जो गुण्डागीरी की जा रही है न लोकतंत्र के साथ, वह नहीं चलेगी। आप तो बोलो। (व्यवधान) घनश्याम जी, आप चले जाओ यहां से। चले जाओ आप। (व्यवधान)

**(इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

## दिनांक 1.1.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिये मेरा सवाल बड़ा अहम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा और अपनी बात रखने से पहले, हाउस थोड़ा-सा

(श्री पूरणमल सैनी)

आर्डर में हो। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के कर्मचारियों के हितों का मुद्दा है। मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि इस देश की 71 वर्ष की आजादी के बाद हमने बैलगाड़ी और ऊंटगाड़ी को छोड़कर आज मैट्रो तक का सफर तय कर लिया और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ट्रंककाल से आजकल स्मार्ट फोन और मोबाइल फोन पर यात्रा शुरू कर दी। उसके बावजूद भी मेरा निवेदन इस बात के माध्यम से है कि देश और प्रदेश प्रगतिरत है, उसके बावजूद भी इस प्रदेश की सरकार के लोगों ने 2004 में एक नियम लाकर जो इस देश के संविधान में राज्य कर्मचारियों के हितों के लिये जो प्रयोजन किया गया था उसके खिलाफ एक नियम को लेकर यह तय कर दिया गया कि राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को, जिनको 2004 के बाद नियुक्ति दी जा रही है, उनको भविष्य में पेंशन के लिये मात्र अंशदायी पेंशन देय होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब देश इस तरीके से प्रगति कर रहा है, जब पोस्टकार्ड से स्मार्ट फोन पर आ गया और बैलगाड़ी से मैट्रो पर आ गया, इसका मतलब प्रगति कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है तो राज्य के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने हमारी सरकारों का क्या बिगाड़ा है, मैं मांग करना चाहूंगा कि 2004 के बाद राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी गयी कर्मचारियों को भी पेंशन उसी प्रकार, जिस प्रकार से पहले नियम बना हुआ था, उसी प्रकार, क्योंकि अंशदायी पेंशन से राज्य के कर्मचारियों का, क्योंकि जीवन भर 60 वर्ष तक उस कर्मचारी को आपने काम में ले लिया और उसके बाद उसको अंशदायी पेंशन देकर घर भिजवा रहे हो, उसके परिवार का लालन-पालन चलना मुश्किल है। तो, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से और सरकार से मांग करता हूं कि 2004 के बाद विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी गयी कर्मचारियों को भी पेंशन उसी प्रकार दी जानी चाहिये जैसे 2004 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं और मंत्रीजी जवाब दें कि इसका प्रोविजन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। जय भीम। (व्यवधान)

**(इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

**श्री अध्यक्ष**: हो गया वह, अब नहीं लूंगा मैं। मुझे मालूम है, सब आ गया। (व्यवधान)

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि 1.1.2004 के बाद में जिन कर्मचारियों का सरकार की नौकरी में अपाइंटमेंट हुआ है, उनमें पेंशन स्कीम पूर्ववर्ती ढंग से लागू करनी चाहिये। आपका यह भी कहना है कि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के बारे में जितनी मुझे जानकारी है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि संविधान में इस प्रकार की पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। 1.1.2004 को केन्द्र की सरकार ने नेशनल कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम 2004 शुरू की। यह राज्य सरकार ने अपने आप लागू नहीं की। यह केन्द्र की सरकार ने 1.1.2004 को लागू की और चूंकि केन्द्र की सरकार ने लागू की और हिन्दुस्तान के लगभग सभी प्रदेशों ने उस नेशनल कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को स्वीकार किया, इसलिये राजस्थान की सरकार ने भी 1.1.2004 से उस नेशनल कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के हिसाब से किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसाकि माननीय सदस्य कह रहे हैं, अगर इसको स्वीकार कर लिया जाए तो जिस राजस्थान के अन्दर सातवां पे कमीशन लागू होने के बाद 60 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा सैलेरी और पेंशन पर खर्चा होता है, अगर इस बात को मान लिया जाए तो साढ़े 4 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष तो हमें कम्युटेशन और पेंशन के लिये देना पड़ेगा और 1100 करोड़ रुपये हर साल का बर्डन राजस्थान की जनता पर अकारण पड़ेगा। अभी भी सातवां वेतन आयोग लागू करने के बाद पेंशन और सैलेरी पर हमारा नोन टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा खर्चा हो रहा है। हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू है 58 हजार करोड़, सैलेरी पर खर्चा होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 48 हजार करोड़ और पेंशन पर खर्च होता है 19 हजार करोड़। जिस राज्य का नोन टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा सैलेरी और पेंशन पर खर्चा हो जाता है, मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के प्रति है और इसी के आधार पर दिल्ली की सरकार ने 1.1.2004 को यह नेशनल कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को लागू किया और राजस्थान समेत लगभग सभी राज्यों ने इस पेंशन स्कीम को शामिल किया, जिसमें बदलाव करने की न तो कोई जरूरत है और न कोई गुंजाइश है।

**(इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे और शोरगुल)**

**श्री अध्यक्ष**: श्री भंवर सिंह। श्री भंवर सिंह, अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलें। नहीं हैं। (अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

# नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री दर्शन सिंह। (अनुपस्थित) श्री फूल सिंह मीणा।

## उदयपुर ग्रामीण की यू.आई.टी. पैरीफेरी में पेयजल की उपलब्धता

**श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में यू.आई.टी. पैरीफेरी में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

**(प्रतिपक्ष द्वारा वैल में धरना एवं नारे जारी)**

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पैरीफेरी एरिया में यूआईटी व उप खण्ड अधिकारी द्वारा कन्वर्ट कालोनियां बसी हुई हैं जिनमें पेयजल की भारी समस्या है। इस सम्बन्ध में लगातार तीन वर्षों से विधान सभा प्रश्नों के माध्यम से या अन्य किसी न किसी माध्यम से यह मुद्दा उठाता आ रहा हूं परन्तु फिर भी पेयजल की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है जबकि इस क्षेत्र में मुख्य मंत्री द्वारा 1700 आवास बनाने की नींव रखी थी वह भी पूरी होने जा रही है, परन्तु उसके लिए भी पानी की कोई स्थायी योजना नहीं बनी है। आवासीय योजना पूरी होने जा रही है परन्तु तीन वर्ष में इस आवासीय योजना को स्थायी रूप से पानी देने के लिए कोई योजना अधिकारियों द्वारा नहीं बनाई गई है, इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि देवास योजना द्वारा जिंक स्मेल्टर को पानी दिया जा रहा है जो मीठा व पीने योग्य है और जिंक स्मेल्टर को उदय सागर से पानी देकर देवास के पानी को आम जनता के उपयोग में लिया जा सकता है क्योंकि अब उदय सागर भी देवास द्वितीय एवं तृतीय का पानी आने की वजह से कभी भी खाली नहीं होगा। मुझे मालूम है कि यह करना बड़ा मुश्किल है परन्तु सरकार जनहित को देखते हुए इस काम को करवाने की पहल करेगी तो उद्योग भी चलेगा व आम जनता को पीने का पर्याप्त एवं अच्छा पानी भी मिलेगा। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री धर्मपाल चौधरी। (अनुपस्थित)

श्रीमती अनीता। 295 का प्रस्ताव पढ़ दीजिए।

## भरतपुर जिले की नगर, डीग व कामां तहसीलों में चम्बल पेयजल परियोजना से पीने के पानी की उपलब्धता

**श्रीमती अनीता** (नगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के

(श्रीमती अनीता)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत नगर, डीग, कामां तहसीलों में स्वीकृत चम्बल पेयजल परियोजना से पीने का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निवेदन है कि भरतपुर जिले में 2008 में सरकार ने पीने के पानी की गम्भीर समस्या के निराकरण के लिए इस परियोजना को स्वीकृत किया था किन्तु आज भी पेयजल का संकट मंडरा रहा है। यहां खारा पानी होने की वजह से सब जनता परेशान व हैरान है। जिस कम्पनी को यह ठेका दिया था वह इस काम के प्रति गम्भीर नहीं है। क्या सरकार भरतपुर जिले के नगर व डीग विधान सभा क्षेत्र में चम्बल परियोजना के अन्तर्गत अब तक कितने-कितने गांवों व ढाणियों को पीने के पानी से लाभान्वित किया जा चुका है? विवरण से सदन को अवगत कराएं। उक्त दोनों विधान सभा क्षेत्र पेयजल परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले गांवों व ढाणियों में चल रहे कार्य के लक्ष्य के अनुरूप प्रगति रिपोर्ट आज भी नगण्य है। क्या जिस कम्पनी को यह कार्य दिया था, उस कम्पनी ने यह कार्य निर्धारित समय सीमा में नहीं किया? सरकार ने उस कम्पनी पर क्या लायिबिलिटी तय की? क्या उस पर पैनल्टी लगायी, तो कितनी? नहीं तो क्यों? 2017 तक चम्बल पेयजल परियोजना पूरी नहीं हो पाई। अब कब तक इसे दोबारा शुरू कर पाएंगे? इसकी अब क्या समय अवधि तय की है? क्या नयी और पुरानी शर्तों पर कम्पनी अब चम्बल परियोजना पर काम करने को राज़ी हुई? इससे अवगत कराया जाए और चम्बल परियोजना के पाइप लाइन चोरी कर बिहार में मिलने पर किनकी लापरवाही है व दोषी अधिकारियों पर आप क्या कार्यवाही करेंगे? क्या नगर, कामां, डीग तहसील के लोग इस चम्बल परियोजना से पीने का पानी कब तक उपलब्ध कराएगी और भरतपुर से डीग और डीग से नगर मेन पाइप लाइन का काम कब तक पूरा करेंगे और यह कम्पनी जिन शर्तों पर पहले कम्पनी को काम दिया, उन्हीं शर्तों पर शिथिलता प्रदान की, इससे हमें अवगत कराए और इस तरह की कार्यवाही करें कि नगर, डीग, कामां की जनता को पानी पीने के लिए मिल सके।

**श्री अध्यक्ष**: श्री रामनारायण (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री नारायण सिंह देवल (अनुपस्थित)

श्री अभिषेक मटोरिया (अनुपस्थित)

श्री जोगाराम पटेल।

## जोधपुर की राजीव गांधी नहर के पास स्थित सड़कों की मरम्मत

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): आभार माननीय अध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर की राजीव गांधी नहर के पास स्थित सड़क आरडी किमी 190 से 204 आरजीएलसी एवं जोधपुर तिंवरी सड़क से इन्द्रोका-माणकलाव सड़कें बहुत पुराने समय की बनी हुई हैं, जो पूर्ण रूप से टूट गईं एवं बड़े-बड़े खड्डे हो गये हैं। विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम जन का पैदल चलना ही मुश्किल हो गया है। वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से रुक गया है। ऐसी स्थिति में इन सड़कों की मरम्मत किया जाना अति आवश्यक था व है। इस हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रथम) जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 30.11.16 के द्वारा मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर को प्रस्ताव मय तखमीना के अपने पत्र क्रमांक ACE-1/PHE/JU/TA/16-17/7161-7165 Date 30.11.2016 भेजा था परन्तु मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जयपुर में यह कहते हुए अपने पत्र दिनांक 23.11.16 के द्वारा लौटा दिया था कि इसे एएफडी प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया जाए जबकि एएफडी प्रोजेक्ट में सड़क रिपेयर का कार्य नहीं करवाया जा सकता है और उसमें भी समय लगने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी अनेक बार लिखित में एवं जुबानी निवेदन किया गया है परन्तु अभी तक कोई यथोचित परिणाम नहीं निकला है। ऐसी स्थिति में इस महत्वपूर्ण कार्य को स्वीकृत कर पूर्ण करवाना अतिआवश्यक है क्योंकि जनता का पैदल चलना ही मुश्किल है। अत: इस कारण जनता में भारी रोष है।

इस अति संवेदनशील जनहित व तुरन्त आवश्यकता व आम जन के हित के विषय को आपके मार्फत सदन में रखने की अनुमति प्रदान करायें।

**श्री अध्यक्ष**: श्री हरि सिंह रावत। (अनुपस्थित)

श्री सुखराम विश्नोई। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री हनुमान बेनीवाल।

## श्रीगंगानगर जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का निर्माण

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत गंगानगर जिले में प्रस्तावित मेडिकल कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में दानदाताओं व सरकार के बीच हुए एमओयू के बावजूद निर्माण नहीं होने पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उक्त मेडिकल कालेज के सम्बन्ध

(श्री हनुमान बेनीवाल)

में दानदाताओं द्वारा करोड़ों रुपये दान देने के बावजूद भी बार-बार एमओयू की अवधि बढ़ाने तथा निर्माण नहीं करने पर स्थानीय युवाओं व आम जन में आक्रोश है। दानदाताओं द्वारा जिला कलक्टर पर निर्माण में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया जा रह है। कालेज के निर्माण की अनुमति के लिए दानदाता ने जून माह में कलक्टर को पत्र लिख कर एमओयू को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी थी लेकिन सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): यह तो मीटिंग हो ली न।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मैं 295 पढ़ रहा हूं, बैठ जाओ।

**श्री अध्यक्ष**: सोना देवीजी, इनको बोलने दो न।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): यह गंगानगर का विषय है, सर। इनको चिन्ता है? गंगानगर का विषय है। इनको क्या चिन्ता है? यह हमारा मामला है।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): हमें तो राजस्थान की चिन्ता है। बैठो आप।

कालेज के निर्माण के लिए दानदाता की ओर से 2013 में ही 215 करोड़ रुपये की बैंक गारन्टी के रूप में 21.5 करोड़ रुपये जमा करा दिये गये थे। उसके बावजूद मेडिकल कालेज की फाइल ठण्डे बस्ते में डाल दी गई। जिला कलक्टर सरकार की ओर से निर्देश का इन्तजार कर रहे हैं जबकि सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। दानदाताओं द्वारा जिला कलक्टर पर सहयोग नहीं करने के आरोप लगाये जा रहे हैं जबकि जिला कलक्टर दानदाता द्वारा निर्माण नहीं करने की बात कर रहे हैं। दानदाता व सरकार के बीच इस आरोप प्रत्यारोप से स्थानीय लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिलने में असुविधा हो रही है। विगत कई दिनों से गंगानगर युवा मंच द्वारा मेडिकल कालेज के निर्माण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में इनके द्वारा एक वाहन रैली का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। गंगानगर मेडिकल कालेज की मांग तथा जनता के साथ हो रहे अन्याय व वादाखिलाफी को ध्यान में रखते हुए गंगानगर जिले में चिकित्सा सुविधाओं की जायज मांग के तहत सरकार जल्द से जल्द मेडिकल कालेज का निमार्ण कराए। इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, यह मांग हम कर चुके हैं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री मामन सिंह यादव।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, यह हमारी मांग है। हमें हमारी मांग मनवाना आता है। आप इसकी चिन्ता मत कीजिए। हम गंगानगर की जनता के लिए मांग कर चुके हैं मेडिकल कालेज की। हनुमान बेनीवालजी, आप नम्बर मत बनाइये।

## तिजारा में कस्टोडियन एवं सिवाय चक गैर खातेदारी भूमि का कब्जा

**मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय,

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)**

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में कस्टोडियन एवं सिवाय चक काफी किसानों की गैर खातेदारी भूमि है जिस पर काफी वर्षों से किसान की कब्जा काश्त है। परिपत्र दिनांक 06.10.2009 और 30.10.2012 में वर्णित प्रावधानों अनुसार सही पाये जाने पर परिपत्र के अनुरूप पाये जाने वाले प्रकरणों को नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर अतिशीघ्र खातेदारी के अधिकार दिये जाने चाहिए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा के दस ग्रामों, लाड़मका, कमालपुर, कारौली, टपूकड़ा, धीरियावास, सलारपुर, शाहपुर, बनबीरपुर, कर्मपुर और खुशखेड़ा की भूमि रीको द्वारा 2011-12 में अवाप्त की गयी एवं किसानों की अवाप्त भूमि का कब्जा ले लिया गया। छह वर्षों में जमीन को रीको भिवाड़ी ने ले लिया लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया जिस कारण किसान बेघर एवं बेरोजगार हो गये हैं। अवाप्त की गई भूमि में गैर खातेदारी भूमि अधिकांशत: कस्टोडियन भूमि है।

उक्त प्रकरण में कस्टोडियन भूमि हेतु नियमानुसार राशि/शुल्क राज्य सरकार में जमा कराया जाकर शेष मुआवजा राशि का भुगतान गैर खातेदार कस्टोडियन भूमि धारक को किया जा सकता है लेकिन स्थानीय किसानों के पास 20 प्रतिशत शुल्क राज्य सरकार में जमा कराने के लिए नहीं है। कस्टोडियन भूमि धारक बहुत गरीब काश्तकार हैं।

(मास्टर मामन सिंह यादव)

अत: माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि मुआवजा राशि से ही 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार में जमा करा कर कस्टोडियन भूमि धारक को मुआवजे की शेष राशि काश्तकार को दिलवाया जाए एवं गैर खातेदार किसानों को अतिशीघ्र खातेदारी के अधिकार दिये जाएं। धन्यवाद।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)**

**श्री अध्यक्ष**: पर्ची के माध्यम से श्री तरुण राय कागा।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## चौहटन के सी.एच.सी. धनाऊ में 108 एवं 104 एम्बुलैंस सेवा

**श्री तरुण राय कागा** (चौहटन): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा जो मुझे बोलने का मौका मिला।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन में एक नव सृजित सी.एच.सी. जो एक साल पहले शुरुआत हुई है। हालांकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन पंचायत समिति, तीन तहसीलें, तीन सी.एच.सी. हैं लेकिन उसके बावजूद मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन की जो ह्रदय स्थली है वो धनाऊ है, वो दो साल पहले तो आदर्श पी.एच.सी. बनी और लास्ट ईयर सी.एच.सी. बनी, लेकिन हमारी बदकिस्मती है तो वहां धनाऊ में अभी तक 108 एम्बुलैंस की सेवाएं नहीं हैं। इस वजह से हमारे यहां बीच वाला जो बहुत बड़ा, लम्बा क्षेत्र है 150 किलोमीटर की दूरी पर, एक केन्द्र बिन्दु है, वहां आकर चिकित्सा सुविधा में एक 108 एम्बुलैंस की सेवा नहीं हो तो सारी स्वास्थ्य सेवा ही उससे प्रभावित हो रही है।

मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश है कि जो धनाऊ सी.एच.सी. है यहां पर 108 एम्बुलैंस ओर 104 की सुविधाएं दी जाएं। वहां का अगर आप सिस्टम देखोगे तो क्योंकि दूरदराज से लोग आते हैं, चारों ओर वहां से कनेक्टिविटी है, इस वजह से मेरी गुजारिश है वहां 108 एम्बूलैंस बहुत जरूरी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे रुखसत चाहूंगा। शुक्रिया।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)**

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री कालीचरण सराफ** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.एच.सी. धनाऊ, चौहटन जिला बाड़मेर में वर्तमान में 104 एम्बुलैंस

(श्री कालीचरण सराफ)

उपलब्ध है। प्रत्येक एक लाख से एक लाख 25 हजार तक की जनसंख्या पर एक 108 एम्बुलैंस लगाये जाने का प्रावधान है। उक्त एम्बुलैंस द्वारा शहरी क्षेत्र में लगभग 25 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 40 किलोमीटर की परिधि कवर की जाती है।

सी.एच.सी. धनाऊ से 12 किलोमीटर दूर पी.एच.सी. भूनिया पर 108 एम्बुलैंस और 104 जननी एक्सप्रेस उपलब्ध है, 19 किलोमीटर दूर सी.एच.सी. सेड़वा पर 108 एम्बुलैंस उपलब्ध है। 33 किलोमीटर दूर सी.एच.सी. चौहटन पर 108 एम्बुलैंस और 104 जननी एक्सप्रेस संचालित है। भूनिया, सेड़वा और चौहटन पर उपलब्ध वाहनों द्वारा अपने आबंटित क्षेत्र के अतिरिक्त सी.एच.सी. धनाऊ तथा आसपास के क्षेत्र के आम जन को अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सी.एच.सी. धनाऊ पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर 108 एम्बुलैंस उपलब्ध करवाने पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)**

**श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन था। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: रामहेत सिंह यादव।

## अलवर जिले के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार का अभाव

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में औद्योगिक दृष्टि से ...(व्यवधान) खुशखेड़ा, नीमराना, शाहजहांपुर और अलवर शहर में बहुत सारे औद्योगिक घरानों ने हमारे यहां उद्योग स्थापित किये। जब किसान की जमीन एक्वायर की गयी तो किसान का सपना था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनकर के भिवाड़ी में मेरे खेत में जो फैक्टरी बन रही है उसमें एक अच्छा इंजीनियर बनेगा। मजदूर जब उस फैक्टरी में जाता था तो वो सोचता था कि मेरे बच्चे को पढ़ाऊं, आई.टी.आई. कराऊं, पालिटेक्निक कराऊं ताकि जहां मैं मजदूरी कर रहा हूं उस फैक्टरी में मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि जिस सोच के साथ किसान ने जमीन दी, जिस सोच के साथ उस फैक्टरी निर्माण में मजदूर ने अपना काम किया, आज ये औद्योगिक घराने, ये फैक्टरियां स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देती हैं। ये सोचते हैं कि जितनी दूर से मजदूर आएगा, इंजीनियर

(श्री रामहेत सिंह यादव)

आएगा वो ज्यादा काम करेगा, लोकल व्यक्ति उद्योगों में ठीक से काम नहीं करता है, ऐसी धारणा अपने आप में बना ली और, अध्यक्ष महोदय, उसका कारण है कि हमारा जिला जो औद्योगिक जिला है, विस्फोट के कगार पर खड़ा है।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)**

मैं सरकार को और माननीय मंत्री महोदय को, श्रम मंत्री को बधाई देता हूं कि आपने प्रयास किया, औद्योगिक मेले लगाये, उद्योगपतियों को बुलाया और आपने आपके विभाग द्वारा दूसरे दिन बहुत बड़ा बयान जारी किया कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है।

मैं हकीकत में बात करना चाहता हूं। उन मेलों में जो लोग आये, फैक्टरी मैनेजमेंट के लोग आये, अपने लोगों की, ठेकेदारों की एप्लीकेशन साथ लाये, आंकड़ा सरकार को दे गये लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। जिनका चयन किया उसको कहा कि आठ हजार में उदयपुर में नौकरी करो, जालौर जाओ, जालंधर जाओ, जो स्थानीय फैक्टरी है उसमें हमारे अलवर जिले के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है।

**श्री अध्यक्ष**: आपने साबित कर दिया है कि आप मेरे से मिले हुए नहीं हो, अब आप कुर्सी पर चले जाओ। साबित कर दिया ताली बता कर... (व्यवधान)

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)**

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): यही नहीं, हमारा देश जिस सैनिक पर गर्व करता है, जिसके हाथ देश सुरक्षित रहता है, 35 साल की नौकरी करके वो घर आ जाता है और यहां उद्योगों में सुरक्षा गार्ड बनना चाहता है तो उसको नौकरी नहीं है। हमारे यहां के गरीब समाज के लोग अगर सफाई का ठेका लेना चाहे, वहां नौकरी करना चाहते तो नहीं हैं, हमारे यहां का बेरोजगार व्यक्ति रोजगार मांगने जाए तो उस इंजीनियर के लिए रोजगार नहीं है।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)**

**श्री अध्यक्ष**: इधर का अंकित नहीं हो।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): यही नहीं, स्किल डवलपमेंट का काम चलाया, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को सरकार की तरफ से एड दी

(श्री रामहेत सिंह यादव)

जाती है और फिर एक विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है कि इतनी-इतनी, यहां-यहां ये इन लोगों को ट्रेनिंग दी और इन-इन उद्योगों में रोजगार दिया लेकिन हकीकत में यह है कि उन लोगों को वो रोजगार नहीं मिल पाता। इस कारण से हमारा जिला है, आज अपराध बढ़े हैं तो उसका कारण है कि बेरोजगारी है।

यही नहीं, मेरे यहां कोटकासिम में माननीय मंत्री ने रोजगार मेला आयोजित किया, मैंने कहा कि मेरे यहां के चाहे पांच लोगों को रोजगार दीजिए लेकिन हमको यह बताइये कि कौन से गांव का किसका बेटा रोजगार लगा है। मैंने कई बार निवेदन किया लेकिन आज तक श्रम विभाग सूची मुझे नहीं दे पाया। ऐसी स्थिति है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप हमारे अलवर जिले से ही आते हैं, हमारे लोगों को स्थाई रूप से रोजगार मिले, वो किसान जिसकी जमीन फैक्टरी में गयी थी उसका स्वाभिमान बचे इसलिए आप कोई ऐसा उपाय करिये कि हमारे यहां पर जो रोजगार नियोजन कार्यालय हैं उनके माध्यम से आप एप्लिकेशन लीजिए, रोजगार मेला लगाएं, वहां से वो ही एप्लिकेशंस आएं, उनको सूचना देकर आप बुलवाइये और उनकी योग्यता के अनुसार उन फैक्टरियों में नौकरी दीजिए। नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह से आज नीमराना हो, चाहे बहरोड़ हो, चाहे भिवाड़ी हो, नौजवान सरेआम हथियार उठा कर के अपराध की तरफ बढ़ रहा है।

सरकार की जिम्मेदारी है। माननीय मंत्री महोदय आपकी भी जिम्मेदारी है कि यह बेरोजगार लोग हथियार नहीं उठाएं और अमन चैन से रहें। पढ़े-लिखे बेरोजगारों को स्थानीय उद्योगों में रोजगार मिले इसके लिए आप कोई पुख्ता इंतजाम करें।

अध्यक्ष महोदय, आप एक बात कहेंगे कि स्थानीय लोगों को कैसे रोजगार दूं, इसका कोई कानून नहीं है। आपकी सरकार है, आप कानून बना दीजिए। जब जमीन लेने का कानून है। जब किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता तो आपने कानून बना दिया कि पैसे लो और आप अपनी जमीन दो तो इसमें क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था हो सकती?

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जो उद्योग हमारे खेतों पर लगे थे, मिनिमम पेमेंट पर लगे थे, उन्होंने सारे इलाके को प्रदूषित किया हुआ है,

(श्री रामहेत सिंह यादव)

उनका गंदा पानी फैलता है। वहां रहना मुश्किल है। पीने का पानी खराब हो गया। रोजगार दे नहीं रहे।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह है कि कोई ऐसी नीति बनाएं और स्थानीय लोगों को नियोजन कार्यालय के माध्यम से निश्चित रूप से रोजगार देने की व्यवस्था करें।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

जो आपने स्किल डवलपमेंट के सैंटर खोले हैं, अब तक जितने लोगों के आंकड़े आए कि इनको हमने रोजगार दे दिया, उसका सत्यापन कराएं। आपके जो मेले आयोजित किए गए थे, विभाग द्वारा जो आपको सूची दी गई है कि हमने इतने-इतने लोगों को इस-इस उद्योग में रोजगार दिया है, उसका सत्यापन कराएं। अगर वह सूची गलत हो तो चाहे आपका अधिकारी हो, चाहे उद्योगपति हो, जिसने सरकार को गलत सूचना दी है, जिस अधिकारी ने सरकार को गुमराह किया है, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें। अध्यक्ष महोदय, यही कहता हुआ, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय। बोलिए आप बोलिए, अपना जवाब दीजिए। नोट नहीं हो रहा है इधर कुछ भी।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय किशनगढ़ बास से आने वाले विधायक महोदय जी ने जो बात उठाई है उसमें निवेदन है कि रोजगार कार्यालय अधिनियम 1960 की धारा 4 के अनुसार निजी क्षेत्र के नियोजन को स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की अनिवार्यता तो है नहीं, न ही हम इसके अन्दर उद्योगपतियों को बाध्य कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई कानूनी हथियार भी नहीं है कि जिसके तहत हम उद्योगपतियों से अपनी बात मनवा सकें।

लेकिन हमारी सरकार, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी चाहती हैं कि अधिक से अधिक हमारे स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिले। इसके अन्दर जितना हमारी सरकार ने प्रयास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सरकार आगे बढ़ी है, इतना शायद आज तक कभी भी नौजवानों को रोजगार देने के लिए किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

**श्री अध्यक्ष**: अब पूरा प्रमाण दे दिया कि आप मेरे से मिले हुए नहीं हो ...(व्यवधान)

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हमारे माननीय विधायक महोदय ने पूछा है तो निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले में 2013 से लेकर के 2018 तक करीबन 45 रोजगार शिविरों का आयोजन कर चुके हैं। जिसके अन्दर लगभग 45,306 टोटल अभ्यर्थी आए, इनमें से 33,367 लोगों को काम करने का मौका मिला।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पहली बार राजस्थान के इतिहास में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रयासों से सेना की जितनी भर्तियां राजस्थान में हुईं, अलवर में भी हमारे कार्यकाल में 4 हुई हैं, जिसका पूरा खर्चा हमारा विभाग उठाता है जिससे कि नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलें। एक रैली पर हमारे विभाग के 35 से 40 लाख रुपए खर्च होते हैं। यह भी अपने आप में अनूठा रिकार्ड है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारी मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि एक-एक नौजवान अपना काम करने लायक हो जाए। उनको रोजगार के अवसर मिल जाएं।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

**श्री अध्यक्ष**: नोट नहीं हो रहा है। गला क्यों खराब कर रहे हो?

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (श्रम एवं नियोजन मंत्री): इसके लिए हमारे स्किल डवलपमेंट के सैंटर पूरे राजस्थान में चलाए जा रहे हैं। उसके अन्दर हमारे अलवर जिले में भी चलाए जा रहे हैं। अब तक 19,258 युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें 7,545 युवाओं को अब तक अलवर जिले में रोजगार मिल चुका है।

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो रहा है इनका।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक जी ने जो जानकारी मांगी है, इनको मैं यह जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

इसी तरह से राजस्थान भर में नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए आईटीआई से कैम्पस सलेक्शन कराने के लिए उद्योगपतियों को इनवाइट करते हैं। इससे अलवर जिले के अन्दर भी करीबन 136 को तो

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

सरकारी नौकरियां मिलीं और 1740 आईटीआई के माध्यम से स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री को कोटि-कोटि धन्यवाद दे सकते हैं कि जापान इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, दाइकिन के साथ जो हमारा समझौता हुआ है, जल्दी ही हमारी यह इकाई चालू हो जाएगी। जिसमें 10 हजार बच्चों के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

इसी तरह स्थानीय उद्योगों के अनुसार लोगों को रोजगार मिले सके, उसमें स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी राजस्थान के अन्दर जो भारत का पहला प्रयास है, इसमें विभिन्न ट्रेडों में काम करते हैं, जो बच्चे इसके अन्दर ट्रेंड होते हैं उनको शत-प्रतिशत नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। अभी माननीय उद्योग मंत्रीजी ने भी जवाब दिया था।

पहली बार किसी सरकार ने सब्सिडी इतनी बढ़ाई है उद्योगों के अंदर जिससे कि केवल स्थानीय बच्चों को रोजगार मिल सके। जिस उद्योगपति को यह सब्सिडी चाहिए उसको सरकार के पास आंकड़ा भेजना पड़ेगा कि मैंने इतने स्थानीय बच्चों को रोजगार दिया, 40 हजार से 45 हजार तक सब्सिडी बढ़ाना, यह एक ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए कोटि-कोटि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक महोदय ने जो जानकारियां मांगी हैं, निश्चित रूप से उनको भी एकत्रित करके उनके पास भिजवा दूंगा। जहां जैसा कहेंगे, वहां उनकी इनक्वायरी भी करा सकता हूं। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। श्री कैलाश भंसाली।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

**श्री अध्यक्ष**: हां पूछ लीजिए।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़बास): मंत्रीजी, आपने जिनको कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से ट्रेंड किया है, नौकरी देने के लिए सूचित किया है। आपके विभाग ने कहा है कि रोजगार मेले लगाए, उसमें रोजगार दिया गया। आपको गुमराह किया गया है। क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर के उनको सज़ा देने का काम करेंगे? जरा इस बात को भी बता दें।

**श्री अध्यक्ष**: ठीक है बस। रामहेत सिंह जी बैठिए।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम स्किल डवलपमेंट में पेमेंट तब करते हैं जब हम 3 महीने की ट्रेकिंग कर लेते हैं, 3 महीने की तनख्वाह जिसको हम ट्रेंड करते हैं, जिसको नौकरी दी जाती है, उसके बैंक खाते में पैसा आ जाता है, तभी उसके माध्यम से पैसा दिया जाता है।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

**श्री अध्यक्ष**: ठीक है। श्री कैलाश भंसाली।

**श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंट आफ इन्फार्मेशन था।

**श्री अध्यक्ष**: बैठ जाइए, प्लीज।

**श्रीमती संजना आगरी** (सोजत): अध्यक्ष महोदय, मेहंदी और किसानों से जुड़ा हुआ है। एक ही मिनट में मेरी बात समाप्त कर दूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो।

**श्री अध्यक्ष**: श्री कैलाश भंसाली। (अनुपस्थित)

विराजें। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): कैलाश जी भंसाली हैं नहीं। जोधपुर का मैटर है।

**श्री अध्यक्ष**: सूर्यकान्ता जी, आप बैठो। मैंने राजपुरोहित जी को पुकारा है। आप विराजिए।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर का मैटर है। मैं बताना चाहूंगी।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, बीच में नहीं। आप बैठिए।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): वह कैलाश जी नहीं हैं न।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): नहीं हैं तो क्या हुआ? मैं जोधपुर की बात तो बताऊंगी न।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): ऐसा थोड़े ही हो सकता है।

**श्री अध्यक्ष**: सूर्यकान्ता जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन ले लो आप।

**श्री अध्यक्ष**: आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं शंकर सिंह जी को पुकार चुका हूं।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर का मैटर है।

**श्री अध्यक्ष**: आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। शंकर सिंह जी।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): जोधपुर का मैटर है। मैं बताना चाहूंगी।

**श्री अध्यक्ष**: नो, नो। ऐसा नहीं होगा। आप स्थान ग्रहण करें। यह बीच में नहीं। शंकर सिंह जी राजपुरोहित।

## जनजाति विकास विभाग द्वारा पाली, जालौर व सिरोही जिलों का विकास

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी वर्ग के साथ न्याय नहीं हो पाता है तो उसका न्याय करने के लिए विधान सभा है। उसी विषय में निवेदन है कि जन जाति विभाग पूरे राजस्थान में 3 भागों में बंटा हुआ है। एक तो दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, दूसरा मेवाड़ और मेवाड़ के बाद में तीसरा आता है पाली, जालौर और सिरोही, यह 3 भागों में है।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

अध्यक्ष महोदय, एस.टी. के रिजर्वेशन के तहत सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा के क्षेत्र में लिटरेसी अधिक होने के कारण से, पढ़ाई-लिखाई अधिक होने के कारण से और वहां की जागीरी अधिक होने के कारण से वहां के मीणा समाज को पहले से बढ़ावा मिल गया और उनका विकास हो गया। आज सवाई माधोपुर, दौसा, करौली में यह ऊपर वाले की कृपा है कि उनकी लिटरेसी ज्यादा होने के कारण से एक-एक घर में 4-4, 5-5 आईएएस, आईपीएस मिलते हैं। उसकी एवज में मेवाड़ का जो भील और मीणा है, उसकी टीएफसी के तहत विशेष व्यवस्था है। इस कारण से उनको भी लाभ मिल पाता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पाली, जालौर और सिरोही, इन 3 जिलों का जो मीणा और भील समाज है, उसको किसी प्रकार से सुविधा नहीं मिल पा रही है। यह मीणा समाज चौकीदार मीणा हैं। इनमें पूरे 3 जिलों में मिलाकर के कुल 450 सरकारी नौकर हैं। जिसमें से 300 थर्ड ग्रेड के हैं और 135 फोर्थ

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

ग्रेड के हैं, चपरासी हैं। सिर्फ 15 फर्स्ट ग्रेड और सैकिण्ड ग्रेड में हैं। यह इनकी शिक्षा का दर्जा है। नौकरी में कुल 450 लोग हैं।

**(13.00 बजे)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज पाली, सिरोही और जालौर, इन तीनों का जो मीणा समाज है, उस मीणा समाज के लिए एक गोमाजी महाराज, गौतम ऋषि का जो मेला भरता है सिरोही जिले में वहां एक महाराज गायें चराने जाते थे, एक बार पुराने जमाने में उनको गौतम ऋषि ने दर्शन दिए और उनके सामने गौतम ऋषि को उन बावजी महाराज ने कहा कि बावजी, मेरा जो मीणा समाज है, भील समाज है वह हरिद्वार नहीं जा सकता है अंतिम क्रिया के लिए तो उन्होंने कहा कि आपको तीन दिन यहां पर गंगा मिलेगी। तो सिरोही जिले में गौतम ऋषि के वहां वर्ष में तीन गंगाजी आती हैं और वहां पर मीणा समाज अपनी अंतिम क्रिया के लिए, अस्थि विसर्जन के लिए आता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ऊपर वाले भगवान ने इन पाली, जालौर, सिरोही के मीणा समाज की सुन ली थी तो इस विधान सभा के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे पाली, जालौर, सिरोही के मीणा समाज की वेदना अपने को सुननी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले की 2011 की जनसंख्या के तहत साढ़े सात प्रतिशत मीणा और भील समाज है। मेरे विधान सभा क्षेत्र आहौर में वर्ष 2011 में लगभग ढाई लाख की पापुलेशन थी, उसका साढ़े उन्नीस प्रतिशत मीणा और भील मेरे आहौर में है। लगभग बीस हजार की संख्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी केन्द्र सरकार ने बीस हजार से अधिक एससी हैं वहां पर एकलव्य माडल स्कूल देने की घोषणा की है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी की कृपा से जनजाति विभाग ने मेरे यहां पाली, जालौर, सिरोही, तीन जिलों के बीच में एक अलावासी गांव है, जहां से सिरोही जिले की सीमा सिर्फ पांच किलोमीटर है और पाली जिले की सीमा दो किलोमीटर है, वहां पर पचास बीघा जमीन जनजाति विभाग को अलाट कर दी है शिक्षा के लिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे को पाली, जालौर, सिरोही जिले में एक ऐसा

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

एकलव्य माडल स्कूल खोलने के लिए आप केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजें और इस पर कार्यवाही कराएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन है कि कुछ पंचायतें जो मेरे यहां पर पचास प्रतिशत से अधिक जनसंख्या है, उनमें गांव हैं, पांचौटा, जिसमें 54 प्रतिशत मीणा है, प्रतापगढ़ जिसमें 61 प्रतिशत मीणा और भील है, अंतेरा, जहां 56 प्रतिशत है। भाद्राजून, जहां पर 57 प्रतिशत है, नबी, इसमें 53 प्रतिशत है, पाणवा जहां 55 प्रतिशत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बदानाखुर्द, पूरा का पूरा गांव मीणा समाज का है, उसमें 60 प्रतिशत कुल आबादी है। हरियाली में 57 प्रतिशत है, सुगालिया बालोतान में 51 प्रतिशत और आलावा में 100 प्रतिशत मीणा है। मंडला में 51 प्रतिशत तो यह जो 50 प्रतिशत से अधिक है उन पंचायतों को माडा कलस्टर में लेकर कोई न कोई सुविधा आप दिलाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पाली, जालौर, सिरोही, इन तीनों जिलों के मीणों का बहुत बड़ा प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से उनको आगे बढ़ाने के लिए एक आवासीय विद्यालय दें और मेरे आहौर के पचास प्रतिशत से अधिक गांवों को माडा क्लस्टर में शामिल करने की कार्यवाही करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बिलकुल चिंतित हैं, आपके आदेश से 50 बीघा जमीन अलॉट हुई है, आगे की कार्यवाही के लिए आप आदेश फरमाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)**

**श्री नन्दलाल मीणा** (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): ...(व्यवधान) बैठ जाओ न।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शंकर सिंहजी ने जनजाति विकास विभाग द्वारा पाली, जालौर और सिरोही में और इसके साथ-साथ आहौर की पचास प्रतिशत जनसंख्या वाले गांवों को माडा क्लस्टर योजना के अन्तर्गत जोड़ने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा है, मैं ऐसे जनजाति गांवों का समूह जिनकी कुल जनसंख्या पांच हजार या इससे अधिक है तथा इसकी पचास प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या जनजाति की है तो उसको माडा क्लस्टर क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है। वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के

(श्री नन्दलाल मीणा)

प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के अनुमोदन के पश्चात् माडा एवं माडा क्लस्टर क्षेत्रों के विस्तार के प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र भारत सरकार द्वारा माडा एवं माडा क्लस्टर के निर्धारित मानदंडों की पूर्ति करने पर उन्हें उन प्रस्तावों में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

मैं माननीय सदस्य से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं वहां से अनुमोदन के पश्चात् स्वीकृति आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, इस सम्बन्ध में और भी कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार उसके बारे में गहनता से अध्ययन करके आपके प्रस्ताव का समर्थन करने की कोशिश करेगी। धन्यवाद।

# शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

## ब्यावर में विवाह समारोह में हुए दु:खद हादसे के मृतक

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्यगण, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही दु:खद घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अखबारों में कि ब्यावर में सिलेंडर की गैस के इधर-उधर भरने में हुई लापरवाही हुई, उस लापरवाही से जो सिलेंडर फटे उसमें 19 लोगों की मृत्यु हो गई, यह बहुत ही दु:खद प्रसंग है। कई घायल भी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है उन सबके परिवार जनों को भगवान शक्ति दे, इस दु:खद प्रसंग को सहन करने की क्षमता दे, जो घायल हैं, सरकार उनका पूरा से पूरा इलाज कराए, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरते। उन सबको मैं आपकी ओर से, मेरी ओर से, सबकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करना हूं कि दो मिनट के लिए खड़े रहकर इन आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें।

**(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खडे रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)**

ओम शांति।

सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 13:08 बजे 13.38 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

**(13:38 बजे)**

**पुन: समवेत् होने पर**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

# समिति प्रतिवेदन

## अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (क्र. सं. 6)

**श्री उपाध्यक्ष**: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री उपाध्यक्ष**: एक मिनट आप सभी विराजें। I will be very clear with you. आसन से दी हुई व्यवस्था को मैं नहीं बदल सकता।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री उपाध्यक्ष**: एक मिनट आप विराज जाएं। एक मिनट आप विराज जाएं। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री उपाध्यक्ष**: आसन ने प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में आज्ञा दी है, बाकी किसी का अंकित नहीं होगा।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री राजेन्द्र सिंह भादू** (सूरतगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 2017-18 के षष्टम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती अलका सिंह।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री उपाध्यक्ष**: एक मिनट आप विराज जाएं। ये मैं 4 कर लूं। Again, I will give you some time, लेकिन एक बार मैंने यह जो पुकार लिया, यह तो मैं कम्प्लीट कर लूं

# याचिका

## बांदीकुई नगरपालिका के विस्तारित क्षेत्र में सड़क निर्माण

**श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में नगरपालिका के विस्तारित क्षेत्र में सड़क निर्माण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: डा. मंजू बाघमार।

## जायल में नवीन पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र

**डा. मंजू बाघमार** (जायल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र जायल में नवीन पशु उप स्वास्थ्य खोले जाने के बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्रीमती सोना देवी।

## रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) में बावरी समाज के लिए धर्मशाला एवं छात्रावास हेतु भूमि का आबंटन

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर में अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आने वाले बावरी समाज के लिए धर्मशाला एवं छात्रावास के निर्माण हेतु भूमि आवंटन किये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

## सूरसागर (जोधपुर) के वार्ड नं. 65 में सीवरेज लाइन का निर्माण

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के वार्ड नं. 65 के नई भाखरी बास में कबूतरों के चबूतरों वाली गली में सीवरेज लाइन नहीं होने से उक्त क्षेत्र के निवासियों को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री संदीप शर्मा।

## कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में माड्यूलर ऑपरेशन थियेटर एवं जोइंट रिप्लेसमेंट संटर की स्थापना

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी

(श्री संदीप शर्मा)

अनुमति से न्यू मेडिकल कालेज, कोटा में माड्यूलर आपरेशन थियेटर एवं जोइंट रिप्लेसमेंट सैंटर खोले जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री जीतमल खांट।

## बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत परतापुर में नगरपालिका की स्थापना

**श्री जीतमल खांट** (गढ़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, जिला बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत परतापुर को 3 अन्य ग्राम पंचायतें- खेरन का पारडा, बेडवा एवं गढ़ी के साथ मिलाकर नगरपालिका बनाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री अर्जुन लाल।

## बिलाड़ा के ट्रोमा सेंटर में चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ का पदस्थापन तथा उपकरणों (मशीनरी) की स्थापना

**श्री अर्जुन लाल** (बिलाडा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से बिलाड़ा शहर में जन-सहयोग से 4 करोड़ की लागत के ट्रोमा सैंटर के भवन का निर्माण पूर्ण होने के उपरांत भी चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ का पदस्थापन नहीं करने एवं उपकरण (मशीनरी) स्थापित नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आप क्या फरमाना चाहते हैं?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में निश्चित रूप से जनता के हितों की बात हो, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे लेकिन जिस प्रकार माननीय नेता प्रतिपक्ष के ऊपर सरकार के संसदीय कार्य मंत्री ने एक साजिश रचकर फर्जी वीडियो लाकर जिस प्रकार से शुक्रवार को सदन को बाधित किया.....

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्षीय निर्णय के उपरांत कोई और इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं दे सकता। अगर इस सम्बन्ध में आप लोगों को कोई चर्चा करनी है तो सम्माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में आप पधार जाएं और वहां आप बैठकर उनसे कोई चर्चा कर लें। अगर अध्यक्ष जी मुझे कुछ बात फर्माएं तो I can

(श्री उपाध्यक्ष)

change that. बट, अध्यक्ष के आर्डर को चैंज करने की परिस्थिति में अब आसन नहीं है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 000

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

**श्री उपाध्यक्ष**: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19 श्री मानसिंह जी। श्री मानसिंह जी।

## आय-व्ययक

### आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट, 2018-19 पर वाद विवाद पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): साथ ही साथ, मैं, प्रतिपक्ष के लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार जिस प्रकार का बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है, गांव, गरीब और किसान हितैषी बजट के बारे में चर्चा हो, प्रदेश की जनता इसको सुने।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): किसानों का जिस प्रकार कर्जा माफ हुआ है..... (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): 000

**श्री कैलाश वर्मा** (संसदीय सचिव): 000

**श्री उपाध्यक्ष**: सदन की कार्यवाही 4.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 13.45 बजे 16.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

**(16.00 बजे)**

**पुन: समवेत होने पर**

**(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री अध्यक्ष**: नमस्कार, नमस्कार। राम राम सा। श्री मानसिंह अपना भाषण पूरा करेंगे।

## आय-व्ययक

### आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। सबसे पहले गतिरोध हुआ था, माननीय नेता प्रतिपक्ष को आपने इजाजत दी थी कि वह वीडियो के बारे में अपनी बात रखें। नेता प्रतिपक्ष उस वीडियो को साजिशी करार दे रहे थे, फर्जी करार दे रहे थे। यह बात बोलने नहीं दी, वह रिकार्ड पर नहीं आया उसका जवाब, उससे पहले सरकार ने जान बूझकर...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने वक्ता का नाम पुकार लिया है।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर, इस बजट का आकार है... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): 1 लाख 7,865.40 करोड़ का है...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ...चलाकर एक ऐसा माहौल बनाने की चेष्टा की कि राजस्थान की विधान सभा में राजस्थान की समस्याओं, जनता की समस्याओं के मुद्दे नहीं आने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप महान हैं, विद्वान हैं। ये सरकार साजिश करना चाहती है। सरकार साजिशी तौर पर मुख्य मंत्री को...

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): ...कांग्रेस के 2014-15 के बजट से लगभग बढ़ा है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के आकार को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये निराधार बोल रहे हैं। बिलकुल निराधार बोल रहे हैं। (व्यवधान) आपने नाम पुकारा है मान सिंहजी का। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। (व्यवधान) इनका वक्तव्य पूरा होने के बाद कोई बात कर लें। (व्यवधान) प्रतिपक्ष को अगर कोई अपनी बात कहनी है तो इनका वक्तव्य पूरा हो जाए, उसके बाद कोई बात कर लें। (व्यवधान) हाउस को आर्डर में लाओ। (व्यवधान) हाउस को तो आर्डर में कराओ माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): हम भी मुख्य मंत्रीजी को सुनना चाह रहे हैं। हम भी जनता के मुद्दे उठाना चाह रहे हैं। (व्यवधान) नाजायज बेजा फायदा लेते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री स्वयं ही इस कार्यवाही को बाधित करके ऐसा माहौल बना रहे हैं। क्या आसमान टूट जाएगा अगर नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कर दें... (व्यवधान) प्रतिपक्ष अपनी बात करना चाहता है।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): 2018-19 के अन्दर जिस प्रकार से 6,744.18 का प्रावधान किया गया है, जो 50 प्रतिशत... (व्यवधान)

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सुबह भी व्यवस्था दी, तब ही आपने व्यवस्था दे दी। आपने माननीय सदस्य को अपना भाषण पूरा करने का नाम पुकार लिया। अब ये बीच-बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। वीडियो का बहाना बना रहे हैं। ये सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): ... केवल 2,855 करोड़ रखा है। यह भी एक तरीके से... (व्यवधान) ग्रामीण विकास के 14,473 करोड़ रुपया है, जो कांग्रेस ने मात्र 3,780 करोड़ रुपया, इस प्रकार से 400 गुना हमारा ग्रामीण विकास के ऊपर जो हमारा बजट है, वह 400 गुना अधिक है। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): यह नेता प्रतिपक्ष का विशेषाधिकार बनता है। बिना नोटिस दिये, बिना नोटिस के नेता प्रतिपक्ष पर व्यक्तिगत आरोप लगाये गये हैं। (व्यवधान) आज तक की व्यवस्थाएं हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि अगर किसी माननीय सदस्य के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगता है तो उसको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। उसको जवाब का पूरा मौका दिया जाता है। ये राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में पहली बार, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, संख्या बल का दुरुपयोग हो रहा है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष की जब तक बात पूरी नहीं हो... (व्यवधान)

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): इनको सदन को चलने देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे की कार्यवाही शुरु की जाए। (व्यवधान)

**(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन)**

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत पर खर्च को जब आप देखते हैं तो विद्युत का खर्च हमारा 2018-19 में 2,75,342 करोड़ रुपये किया गया है, जो कांग्रेस के 11,262 करोड़ से 125 गुना अधिक है, 125 गुना बजट देकर के सरकार ने यह काम किया है कि हम विद्युत के अन्दर हमारे लोगों को राहत देने का काम करेंगे और बजट का सबसे बड़ा हैड होता है सामाजिक एवं सामुदायिक विकास। सामाजिक एवं सामुदायिक विकास पर हमारी सरकार ने 44,135 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो कांग्रेस के 14,965.21 करोड़ के 300 गुना अधिक है, 300 गुना बजट सामुदायिक विकास पर सरकार ने देकर अपनी मंशा को यह साबित किया है कि हमारा सामाजिक और सामुदायिक विकास जो एक तरीके से विकास की धुरी होता है, उस पर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कांग्रेस से 300 गुना अधिक बजट देने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

**(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

**श्रीमती अंजू देवी धानका** (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय...

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसको जब आप बजट के आधार पर देखेंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह पढ़ना चाहूंगा, वर्ष 2016-17 में हमने इसको 7 करोड़ 59 लाख करोड़ रुपये पर रखा है और वर्ष 2017-18 में 8 करोड़ 40 लाख करोड़ रुपये रखा गया है और 2018-19 में इसको बढ़ाकर 9 करोड़ 40 लाख करोड़ किया गया है। इससे अंदाजा लगता है कि हमारी सरकार का विकास का ढांचा है, किस प्रकार से राजस्थान का विकास होगा, उसको रखने का काम किया गया है।

(श्री मानसिंह)

**(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को स्वीकार करता हूं कि राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ा है, लेकिन एफआरबीएम कानून के तहत सकल घरेलू उत्पाद को हमने 2.98 प्रतिशत पर नियंत्रित रखने का काम किया है। वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा 2.99 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.46 प्रतिशत हुआ है, उसका एकमात्र कारण राष्ट्रीय स्तर पर काले धन के खिलाफ जो अभियान चला, उसके कारण हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पूंजीगत व्यय है, हमारा ऋण को देखने का काम होता है, उसके दूसरे पहलू को आप देखेंगे तो 2017-18 के दौरान कुल पूंजी का 90 प्रतिशत उपयोग हमने पूंजीगत खर्च यानी सम्पत्ति निर्माण पर किया है। इस सरकार ने कर्जा लेकर कोई लुटाने का काम नहीं किया, खैरात बांटने का काम नहीं किया। जनता के अन्दर पूंजीगत निर्माण करने का काम किया है और यह पूंजीगत निर्माण राजस्थान के विकास को वह आयाम देने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने किया है कि 90 प्रतिशत हमारा पूंजीगत ऋण का खर्च है, वह हमारा इस पर, सम्पत्ति निर्माण पर हुआ है।

**(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं एक और निवेदन आपके बीच में करना चाहूंगा कि हमारा जो बजट है, कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रेरित बजट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि पर जब आप तुलना करेंगे, इनसे कृषि पर तुलना करेंगे तो हमारा 6,744 करोड़ रुपया और इनका आप देखिये, 2,855 करोड़ रुपया। ग्रामीण विकास पर हमारा 14,473 करोड़ और इनका 3,780 करोड़। सामुदायिक विकास पर हमारा 44,135 करोड़ और इनका 14,965 करोड़...

**श्री अध्यक्ष**: लोमड़ियों की आवाज आ रही है, लोमड़ियों की आवाज आ रही है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): गीदड़-से बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, गीदड़-से बोल रहे हैं सदन में आज।

**श्री अध्यक्ष**: लोमड़ियों की आवाज आ रही है, लोमड़ियों की।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): ...सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसलिए जोर से बोलना पड़ रहा है कि इन लोगों को राजस्थान की चिंता नहीं है...

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगली जानवरों की आवाज आ रही है।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर हमने 3,126 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है इनके 1,350 करोड़ से जब आप तुलना करते हो तो कांग्रेस की 2013-14 में योजना थी, वह 39,576 करोड़ रुपये की थी और हमारी 1 लाख 7,865 करोड़ रुपये की योजना है। आप चार साल के अन्दर अगर मुद्रास्फीति को भी जोड़ेंगे...

**श्री अध्यक्ष**: Go to your seat. Go to your seat.

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): ...तो 100 प्रतिशत से अधिक है। यह हमारी आर्थिक मजबूती का, आर्थिक ढांचे को किस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में रखा है, इस बात का द्योतक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा निश्चित रूप से ऋण बढ़ा है लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के 32.76 प्रतिशत पूर्व सरकार से आनुपातिक रूप से तुलना करते हैं तो कम है। यह घाटा बोलता है। इनके ऋण और हमारे ऋण की सकल घरेलू उत्पाद से जब हम आनुपातिक तुलना करते हैं तो कांग्रेस का ऋण ज्यादा था, हमारा ऋण कम है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि इस प्रकार का वित्तीय प्रबन्धन करके सरकार ने जिस प्रकार से राजस्थान के विकास के ढांचे को आगे किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के विकास और ग्रामीण को प्रेरित बजट है, जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी योजनाओं को आप देखेंगे...

**(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)**

...ग्रामीण विकास, आज की तारीख में ग्रामीण का सबसे बड़ा सपना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने 1,328.64 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी के साथ-साथ महानरेगा के अन्दर 2,084.47 करोड़ रुपये का हमने प्रावधान किया है। स्वच्छ भारत मिशन, उसके अन्दर 2,249.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और पंचायती राज संस्थाओं को 3,048.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है...

**श्री अध्यक्ष**: बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): ...यह साबित करता है कि यह बजट ग्रामीण को, किसान को प्रेरित बजट है जिससे राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होगा, राजस्थान का आधारभूत ग्रामीण ढांचा मजबूत होगा।

(श्री मान सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए जो राशि का प्रावधान किया गया है, 758.16 करोड़ रुपये, यानी किसान का हर तरीके से ध्यान रखा गया है कि चाहे बेमौसम में हमला हो, चाहे किसान की मजबूती का हो, उसके लिए बजट का प्रावधान यह साबित करता है कि...

**श्री अध्यक्ष**: स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। अब मैं प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करता हूं कि वह अपना वक्तव्य दें। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा तो साहब, निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): हम सदन चलाना चाहते हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष को, जब उनके वीडियो की बात आ रही थी...

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें एक मिनट भी बोलने का समय बजट पर नहीं मिला है। आपने कैसे दे दिया। आपने ट्रेजरी बैंच को मौका कैसे दे दिया? बजट पर एक मिनट का समय भी नहीं मिला है। यह कैसा अन्याय है। यह सरकार का आखिरी बजट है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप अपना वक्तव्य दीजिये। आप अपना वक्तव्य दीजिये।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): ...जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्रीजी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, आप जवाब सुनना चाहते। (व्यवधान) मुझे बोलने नहीं देना चाहते माननीय अध्यक्ष महोदय, और आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे। आपने जिस तरीके से सदन का दुरुपयोग किया है...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सदन का दुरुपयोग आप कर रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): आपने किया है दुरुपयोग।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप कर रहे हो।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): ...और आप कर रहे हो। आप हरी किताब दिखाते हो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जिस सीट पर बैठे हो, उसका अपमान कर रहे हो। (व्यवधान) आप कर रहे हो दुरुपयोग। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आसन ने बड़ी उदारता से आपको पूरा समय दिया था, आपने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया .. (व्यवधान) आपको आसन ने कह दिया आपको कोई टोकेगा नहीं, आप अपनी पूरी बात कहें, तो अपनी बात क्यों नहीं रखी ..(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय.....

**श्री अध्यक्ष**: प्रतिपक्ष पक्ष के सदस्य उनके नेता को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, मैं बन्द करता हूं इनका बोलना। माननीय मुख्य मंत्री जी अब आपका वक्तव्य दीजिए। (व्यवधान)

**श्रीमती वसुन्धरा राजे** (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं, बजट पर जो बहस हुई है, उस बहस के ऊपर उन्होंने भाग लिया और भाग लेकर अपने बहुत ही अच्छे, बहुमूल्य सुझाव इस हाउस के सामने रखने का काम किया।

यही पवित्र सदन है जो हमारे और जनता के बीच की एक कड़ी है। सात करोड़ जनता इस हाउस को आज क्या, हमेशा देखती है कि इस हाउस के अन्दर, क्या डिसीजन लिये जाते हैं, उनकी खुशहाली के, उनकी दिनचर्या के बारे में क्या भाषणबाजी होती है और क्या डिसीजन होकर उन तक पहुंचाने का ये काम हम लोग करते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आप आराम से, धीरे-धीरे भाषण दीजिए। सारा राजस्थान देख रहा है।

**श्रीमती वसुन्धरा राजे** (मुख्य मंत्री): भले ही हम लोग पक्ष हों, भले ही हम विपक्ष हों, मैं तो यह मानती हूं कि हम सबको हाउस के अन्दर गम्भीर होने की जरूरत है और गम्भीर होकर, सबकी जो मुसीबत हों, प्राब्लम्स हैं, उन मुसीबत और प्राब्लम्स को इस हाउस के अन्दर लाने की कोशिश करनी है। अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तुत हुए 7 दिन हो गये, 7 दिन में से 4 दिन तो छुट्टी के थे और वे 3 दिन के अन्दर, इन लोगों ने सबने बैठकर कवर टू कवर बजट भी पढ़ लिया, उसके बारे में उन्होंने सोच भी लिया, उसका एनालिसिस

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

भी कर लिया, ये 4 दिन के अन्दर इन्होंने सब कुछ काम कर लिया है और आज यहां बोलने के लिए खड़े हैं, इसीलिए यह आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस बजट के बारे में कुछ बोलने के लिए है नहीं। वैसे कभी कोई कहता है कि वित्तीय प्रावधान नहीं है, कभी कोई कहता है कि इतनी सारी घोषणाएं बजट के अन्दर कर दीं, क्या ये घोषणाएं पूरी हो सकेंगी या नहीं और इसके साथ यह कहते हैं कि लोक-लुभावनी हैं। क्या यह लोक-लुभावना बजट वाकई में जनता के सामने आ सकता है? उसके साथ कहते हैं कि चुनावी बजट है। परन्तु एक चीज, अध्यक्ष महोदय, यह हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है कि इसकी निन्दा किसी ने नहीं की है, सबसे बड़ी बात तो यह है।

मैं यह मानती हूं कि इन सबको चिन्ता है और इसी वजह से यह शोर-शराबा हो रहा है कि इनको चिन्ता है कि कहीं यह बजट जमीन पर आ गया तो इनका सबका क्या होगा, प्राब्लम यह है।

अब कुछ दिन पहले जैसे ही बजट कमप्लीट हो गया था तो उसके तुरन्त बाद हम लोगों ने प्रेस कान्फ्रेंस की और उस प्रेस कान्फ्रेंस के अन्दर, हमसे किसी ने पूछा कि ये परफोर्मेन्स क्या है, आप क्या गारन्टी दे सकते हो कि इस बजट के अन्दर जो-जो भी चीजें आपने कही हैं, वे जमीन पर आ जाएंगी। मैं उसको जैसे कहा था वैसे ही, इन कोट्स, आपके सामने रखना चाहती हूं। उसने यह कहा कि प्रेस कान्फ्रेंस का रेलेवेंट पोर्शन, पत्रकार ने यह कहा मैम, एक सवाल है, क्या गारन्टी है कि जितनी भी बजट की घोषणाएं हैं, वे आप 6 महीने के बाद, क्योंकि इलेक्शन मोड में चले जाओगे, पूरी सरकार चुनावी मोड में चली जाएगी तो क्या होगा। मेरा जवाब सिर्फ इतना ही है अध्यक्ष महोदय, कोई गारन्टी नहीं है एक्सैप्ट हमारा नार्मल आचरण, Please don't compare us with the Congress. We are way above them. हम जो कहते हैं उसको करते हैं। और भला, मैं यह पूछना चाहती हूं, इसमें क्या गलती थी?

मैं नहीं समझती हूं कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए किसी सेंटेंस के एक हिस्से को इस्तेमाल कर लो, फिर पूरे दिन चलाओ, पूरे दिन उसको चलाओ कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इसकी कोई गारन्टी नहीं है, उसकी गारन्टी नहीं है। मैं खाली यह पूछना चाहती हूं कि उसके पीछे का जो सेंटेंस

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

था, उसको उन्होंने क्यों इस्तेमाल नहीं किया। अगर पूरा सेंटेंस इस्तेमाल होता तो मैं समझती हूं कि सबके सामने यह बात उछल कर आ जाती। According to me, Sir, this is not news. It is the imposition of one's views on news. You can't do that. और जनता को गुमराह करने की इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, जितना भी कर सकते थे, उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, जनता इनके काबू में नहीं आने वाली, न इनकी बातों में आने वाली है और मैं नहीं समझती हूं कि इनकी तरफ से कभी भी कोई किस्म से गुमराह नहीं हुई। Let me set the record straight. मैं यह कहना चाहती हूं कि पिछले चार साल के अन्दर 2050, जो हमारी घोषणाएं हुई थीं, 4 बजट्स के अन्दर, उसमें से 1847 घोषणाएं हमने अब पूरी कर दी हैं, and in other words 90% of the Budget declarations have all been brought on the ground so far.

इसी प्रकार से हम जब सुराज संकल्प की बात करते हैं तो उसके इमप्लीमेंटेशन के लिए भी 4 साल के अन्दर, सर, Total number of actionable points were 665, उन 665 में से 507 पाइन्ट्स ऐसे थे जिनको हमने पूरा कर दिया, आप यह मानकर चलिए कि करीबन 84 प्रतिशत, ऐसा काम किया है कि हमने 84 प्रतिशत, हमारे ये सब पाइन्ट्स कमप्लीट हो चुके हैं और इस साल का प्रोग्रेस अपन देखेंगे और उसको लेंगे, तो मैं समझती हूं कि इस साल के अन्त तक 90 परसेन्ट सुराज संकल्प के भी वादे हमारे पूरे हो जाएंगे। ध्यान तो इनको इस चीज पर रखने की जरूरत है, सर, कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लम्बा जेस्टेशन पीरियड है और उस जेस्टेशन पीरियड को अपने ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष के अन्त तक मुझे विश्वास है कि जो हमने बजट में दिया है, वो हम पूरा करके छोड़ेंगे।

कुछ इकोनोमिक इंडिकेटर्स हैं, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले विकास दर, विकास के आकलन का या डवलपमेन्ट का यह एक बहुत इम्पोर्टेन्ट इंडिकेटर है और मैं मानती हूं कि पिछले 4 साल के अन्दर हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो विकास पूरे प्रदेश के अन्दर करने की कोशिश की है। और मैं यह कहना चाहती हूं कि यह अकेली नहीं। परन्तु ये सब लोग और पूरे लोग जो अपनी टीम के लोग हैं, टीम राजस्थान के बलबूते के ऊपर हम लोगों ने पूरा काम करके राजस्थान की जनता तक अपने अच्छे काम को पहुंचाने का काम किया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हम Gross State Domestic Products को देखते हैं at current prices तो 2013-14 के अन्दर 5 लाख 51 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 के अन्दर हम लोग इसको 8 लाख 40 हजार 263 करोड़ तक लेकर आए हैं। मुझे मालूम है, अध्यक्ष महोदय, इनको यह कन्वीनिएंट नहीं है, इसलिए इनको हल्ला करना जरूरी है और ये करते रहेंगे। मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि पर Per Capita Income at current prices वर्ष 2013-14 में 69480 रुपये थे, जो अब बढ़कर 2017-18 में 1 लाख 551 करोड़ रुपये हो गए हैं। इसका सोर्स है इकोनोमिक सर्वे रिव्यू, जो 2017-18 का है, केन्द्र के दिशा निर्देशों से और बजट प्रोसेस के अन्दर जो उन्होंने बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेज किये हैं, उनको ध्यान में रखते हुए राज्य को लाभ हुआ है।

यह हम मानते हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो राज्य का बजट है वो एक महीने पहले हम लोगों ने आपके सामने रखा है, प्रस्तुत किया है राजस्थान की जनता के सामने। इन वित्तीय साधनों का विभागों के अन्दर आबंटन जल्दी-जल्दी हो जाए और जो भी प्रोमिसेज किये हैं बजट में उनको जमीन पर जल्दी लाया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको एक महीने पहले लाने की कोशिश की है। अब राज्य के ऊपर जो कर्ज भार है, इसके ऊपर भी चर्चा तो हुई है। चर्चा होगी हाउस में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो राज्य के विकास के लिए कर्जा नहीं लेती है। यह तो लेना ही पड़ता है। हमको सबको लेना पड़ता है, परन्तु हमने जो कर्जा लिया है, हमने उसका गरीब लोगों की कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल करने के लिए, उनका निर्माण करने के लिए, असैट्स क्रियेशन के लिए हमने इस पैसे को इस्तेमाल किया है और आगे करते हुए मैं दिखाना चाहती हूं कि कैपिटल आउटलै टू जीएसडीपी का जो रेश्यो है वो 1999-2003 के अन्दर 1.95% कांग्रेस के टाइम में था। 2003-2008 जो बीजेपी का समय था उसके अन्दर this went up to 2.96%. 2008-2013 में कांग्रेस के समय यह फिर नीचे गया to 1.97% और आज मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि विषम आर्थिक स्थितियों के बाद भी हम लोगों ने इस कैपिटल आउटलै टू जीएसडीपी को 2.72% तक लाकर छोड़ा है। यह कोई आसान काम नहीं था। मैं अपने-आप मानती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह काम कमेंडेबल है और यह अच्छा काम रहा है। मतलब सिर्फ इतना ही है कि असेट्स क्रियेशन और प्रोडक्टिव एक्सपंडीचर के ऊपर हम सब लोगों को ज्यादा जोर देना चाहिए जो कि होना भी चाहिए।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैंने 2017-18 की तुलना में जो रेवेन्यू डेफीसिट है आगामी वर्ष का वो 2,711 करोड़ से कम करने का अब प्रयास किया है। फिस्कल डेफीसिट, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको भी गत वर्ष की तुलना से 1100 करोड़ और कम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं हमारे स्टेट जीएसडीपी की तीन परसेंट की जो सीमा है, उसके अन्दर है। यहां अब मैं इनको बताऊंगी कि फ्रेंक्लिन रूजवेल्ट एक अमेरिका के प्रेसीडेंट हुआ करते थे, उन्होंने यह कहा था और उनकी पंक्तियों को मैं कोट करती हूं, उन्होंने यह कहा था "The best of our progress is not whether we add more to the abundants or those who have much. It in whether we provide enough for those who have little." और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजरी पर आना चाहती हूं। 15 फरवरी को बजरी को लेकर जोरदार हंगामा, ये आज कर रहे हैं वैसे ही जोरदार हंगामा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुनकर बहुत ही अजीब लगा। समझ में नहीं आया ये ही लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इन सबसे पूछना चाहती हूं कि बजरी खनन से सम्बन्धित कानून के बदलाव को कौन लेकर आया था? बजरी कानून का जो खनन से सम्बन्धित कानून था उसका बदलाव लाया कौन था? नंबर-2, हजारों-हजारों स्क्वायर किलोमीटर के तहसील स्तरीय एकल पट्टे क्यों दिये गये? यह भी एक प्रश्न पूछने लायक है और उनकी एन्वायरन्मेंट क्लियरेंस नहीं मिली थी। बिना एन्वायरन्मेंट क्लियरेंस के इन्होंने उनको पट्टे दिये हैं और इसके कारण भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगायी गयी है। यह सब लोगों को, पूरे राजस्थान के लोगों को, जनता को हम बताना चाहते हैं। मुझे यह बताएं कि कांग्रेस राज में 128 खनन पट्टों के लिए 82 एलओआइज, इन धारकों को 25.11, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इन्होंने दिया वो 25 नवम्बर, 2013 को ही अनुबंध क्यों किया? मैं याद दिलाना चाहती हूं सबको कि 4 अक्टूबर को आचार संहिता लगी, 1 दिसम्बर को चुनाव हुआ और 25 नवम्बर को यह काम किया यानी पांच दिन पहले। इसमें मुझे तो बड़ी बू आ रही है और मैं समझती हूं कि इसके अन्दर भी जांच करने की जरूरत है कि क्या हुआ। आप भी मानेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि दाल में कुछ काला है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि ये हल्ला करके, ये शोर मचा करके मैं नहीं समझती कि कोई भी सच को ये झुठला सकते हैं पर हमने तय किया है कि बजरी की अब हम

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

नयी पालिसी बनाएंगे और हमने यह भी तय कर लिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि छोटे-छोटे खनन पट्टे देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब हम लाभान्वित करने का काम करेंगे तो ये मामला इनका एकदफा फिर रफा-दफा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसान की बात है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी। इस बजट में अगर सबसे इम्पोर्टेंट घोषणा है...।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): किसान की बात तो सुन लो।

**श्रीमती वसुन्धरा राजे** (मुख्य मंत्री): सुनना थोड़े चाहते हैं ये। इनको तो हल्ला ही मचाना है। अगर कोई इम्पोर्टेंट घोषणा है इस बजट भाषण में तो वो है लघु और सीमान्त किसानों के कर्जे की जो माफी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट इश्यु तो यह है, जिसे सुनते ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको इतना जोरदार धक्का लग गया कि बस इसमें मीनमेख कैसे निकाला जाए, उसी के ऊपर ये सब लोग लग गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, पचास साल तक ...।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सुनो। किसान की बात तो सुनो कम से कम।

**श्री अध्यक्ष**: राजेन्द्र जी।

**श्रीमती वसुन्धरा राजे** (मुख्य मंत्री): ये सुनने वाले नहीं हैं, इनका किसान से कोई इंट्रेस्ट नहीं है। पचास साल तक राज किसने किया था, माननीय अध्यक्ष महोदय? किसने राज किया था और किसान को इस हालात में पहुंचाया किसने? जिन लोगों ने पचास साल तक राज किया उन लोगों ने अगर किसान की हालत को समझा नहीं, उन लोगों ने अगर किसानों को सही रास्ते पर खड़ा करने में मदद नहीं की तो आज किस मुंह से खड़े होकर इस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं? उस समय तो किसान की चिन्ता नहीं हुई और आज बड़ा ज्ञान हमको दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आपने उस समय किसानों के कर्जे को माफ क्यों नहीं किया? यह हम पूछ रहे हैं। आपको मौका मिला था। आप कर सकते थे। आराम से कर सकते थे, परन्तु आपने नहीं किया।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर भी देखिये।

**श्रीमती वसुन्धरा राजे** (मुख्य मंत्री): पूरे पचास साल मिले माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पचास सालों में क्या नहीं कर सकते थे, परन्तु नहीं किया और राजस्थान में पहली बार कर्जा माफ हुआ है किसानों का और वह हम सबने किया है, क्योंकि हमें किसानों की चिन्ता है। अब हां, माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने जरूर दो बार कर्ज माफ किया था।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, लिखित वक्तव्य हाउस की टेबल पर रखने की इजाजत दीजिये। आपसे निवेदन है कि लिखित वक्तव्य देने की इजाजत प्रदान करें।

**(श्री मानिकचन्द सुराना, श्रीमती अंजू धानका व श्री नन्दकिशोर महरिया के लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)**

**श्री अध्यक्ष**: आप लाइये यहां। हां, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप चालू रखिये।

**श्रीमती वसुन्धरा राजे** (मुख्य मंत्री): पहली बार वी.पी. सिंह जी नेशनल फ्रंट कोएलीशन गवर्नमेंट जिसमें हम थे। वी.पी. सिंह जी की नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी, सर और इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी बाहर से उस कोएलीशन को सपोर्ट कर रही थी। दूसरी बार यूपीए की सरकार थी, जिसमें चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। 2008 में उन्होंने भी वी.पी. सिंह जी से सीख लेकर कर्जा माफ करने की बात उठाई थी। यूपीए सरकार में भागीदार कौन थे? सबसे पहले एक तो ये सामने जो खड़े हैं वो थे और जो लेफ्ट फ्रंट के लोग थे, वो भी थे। किन्हीं लोगों ने अन्दर से किया, किन्हीं लोगों ने बाहर से सपोर्ट किया। मैं खाली यह बताना चाह रही हूं कि चिदम्बरम जी ने देश के पूरे 28 स्टेट्स के अन्दर 71 हजार करोड़ बांटने का काम किया। एवरेज अगर लेते हैं तो करीबन ढाई हजार करोड़ पर स्टेट उन्होंने मार्क किया और 2008 की कर्ज माफी का क्या असर राजस्थान में हुआ उस पर भी अपने को ध्यान देने की जरूरत है। मैंने यहां निकाला तो देखा कि इसके अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र के अन्दर 4 लाख 91 हजार किसानों को 868 करोड़ रुपये कर्ज में माफ हुए। अब आप बताओ, एग्जेक्टली मैं एग्री करती हूं, लघु और सीमान्त कृषकों का कर्जा माफ करने की बात जब ये लोग करते हैं तो मैं यह कहना चाहती हूं कि इस तरीके से कर्जा माफ करने का मजाक था, उसको अगर एक तरफ आप देख लें, फर्क कितना बड़ा है।

हम लोगों ने 20 लाख से ऊपर किसानों को फायदा दिया है और 8-9

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हजार करोड़ रुपये की राहत हम उनको दे रहे हैं। सहकारी बैंक से ऋण लेने वाले कुल 70 प्रतिशत से अधिक किसानों को इस घोषणा से लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, बात यहां खतम नहीं होती है, मैं इसके साथ-साथ आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि बजट भाषण में हम लोगों ने राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में गठन करने की घोषणा की है। इस सम्बन्ध में हमने यह तय किया है कि उच्च स्तरीय अंतर विभागीय कमेटी, इससे सम्बन्धित जो अन्य बिन्दु हैं इनके अलावा इन बिन्दुओं पर भी, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, पर विचार करने वाली है। सबसे पहले किन श्रेणियों के ऊपर किसानों को और किस दायरे में उन किसानों को लाया जाना है, नंबर एक। नंबर दो, किस सीमा तक और किस प्रकार से उनको राहत देनी चाहिये और अगर गैर सरकारी बैंक या अन्य बैंकों को आयोग के दायरे में शामिल किया जाना है तो उन्हें किन शर्तों के ऊपर हम शामिल करेंगे। इस अंतर विभागीय समिति की जो रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए उसको एक वैधानिक दर्जा दिया जाएगा और एक कानून भी उसके लिये लाया जाएगा जिससे कि आयोग को पूर्ण रूप से कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाएगा. It will become a legal entity. राजस्थान में किसान के कर्ज सम्बन्धी समस्या के स्थाई समाधान के लिये मैं समझती हूं कि इस दिशा में एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है। हम किसानों की राजनीति नहीं कर रहे हैं बल्कि किसानों को समृद्ध, सशक्त और खुशहाल बनाने की हमारी कोशिश है, ऐसी राजनीति हम कर रहे हैं। किसान हमेशा से हमारे लिये एक विकास की तरफ देखते हुए और अगर हम विकास की नींव रखना चाहते हैं तो किसानों के लिये, मैं समझती हूं कि हमारे विजन में एक आधुनिक राजस्थान अगर हमें बनाना है तो उस आधुनिक राजस्थान में जब तक सशक्त किसान बनाकर नहीं रखा तब तक यह राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इतना बड़ा कदम हम ले रहे हैं, यह शार्ट टर्म बात नहीं है कि आज हमने किसान का कर्जा माफ कर दिया और फिर कल भूल गये। हमने कर्जा भी माफ किया और आगे चलकर आयोग भी स्थापित किया ताकि किसानों की जो जो प्राब्लम है लगातार उसमें उसको हम देखते जाएंगे और उसको सुझलाने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां हम किसानों की बात कर रहे हैं वहां एक और घोषणा जो महत्वपूर्ण है, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। मिड डे

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मील प्रोग्राम में जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान में पहली बार हम लोगों ने तय किया है कि एक सप्ताह में तीन दफा बच्चों को दूध पिलाने का काम करेंगे। यह राजस्थान में पहली बार हो रहा है। गांव-गांव में बच्चों को महिला डेयरी द्वारा, महिला डेयरी बहुत सारी उठ गई हैं और हम उनको और प्रोत्साहित करेंगे, उनके द्वारा पौष्टिक दूध उनको दिया जाएगा। इसके लिये ढाई सौ करोड़ रुपया हम लोगों ने अलग रखा हुआ है। इससे न केवल बच्चे बल्कि किसान, महिला किसान और पशुपालकों को भी फायदा होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ हो जाएगी और शिक्षित भी रहेगी, कोई बाहर नहीं जाएगा। यह सोच कर हमने इसका भी इंतजाम आपके लिये किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहती हूं कि पिछली सरकार ने जो सहकारी क्षेत्र में लगभग 25 हजार करोड़ का फसली ऋण पांच वर्षों में दिया था, वहां हमारी सरकार ने 15 फरवरी तक लगभग 62 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण बांट दिये हैं। 2018-19 की समाप्ति तक करीबन 80 हजार करोड़, 62 से 80 हजार करोड़ तक इसको ले जाने का काम हम करने वाले हैं जो अपने आप में ही एक रिकार्ड है। इतना ऋण आज दिन तक राजस्थान में किसी ने नहीं बांटा है। पिछली सरकार ने अपने समय सहकारी भूमि विकास बैंक के द्वारा लोगों को 12.10 परसेंट की इंट्रेस्ट रेट पर एग्रीकल्चर लोन दिया है। हमारी सरकार ने उनके हितों को देखते हुए एग्रीकल्चर लोन की इंट्रेस्ट पहले 5 परसेंट कम करते हुए 7.10 परसेंट किया, उस पर लोन दिलवाया और अब 1 जनवरी, 2018 से किसानों को सिर्फ 5.5 परसेंट की इंट्रेस्ट रेट पर लोन देने का हम लोग काम कर रहे हैं, 12.10 परसेंट से लेकर जनवरी, 2018 में डाउन टू 5.5 परसेंट यह दर्शाता है कि कौन किसान हितैषी सरकार है।

जहां तक बीमा का सवाल है, ब्याज मुक्त फसली ऋण लेने वाले सभी 25 लाख किसानों को सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा से जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है। पिछली सरकार के टाइम में मुश्किल से 50 हजार रुपये का बीमा इन लोगों को मिलता था, उसको अपने समय में 12 गुना बढ़ा कर हम लोगों ने 6 लाख रुपये तक कर दिया और अब 1 अप्रैल, 2018 से यह बीमा की राशि 10 लाख हो जाएगी। मैं समझती हूं कि यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो गया है। अगर इस पूरे को गिनती कर लो तो मैं यह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मानती हूं कि हमारी सरकार ने पिछले चार सालों में अलग-अलग मदों के ऊपर करीबन 38 हजार करोड़ का अनुदान हमारे लाखों किसान परिवारों में बांटा है। अब इसके साथ 8-9 हजार करोड़ और जोड़ दीजिए तो करीबन 50 हजार करोड़ अनुदान सब लोगों के बीच में बंट रहा है। किसान इन एवरी सेंस आफ द वर्ड हमारे अन्नदाता हैं और हम जितना भी उनके लिये करेंगे मैं समझती हूं कि वह कम है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए तकलीफ दूर करने के लिये ईमानदारी के साथ हम किसानों की पहल भी करेंगे और उनके लिये काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमने कृषि को प्राथमिकता दी है। कृषि और सहायक क्षेत्र में लगभग 8 लाख 226.43 करोड़ का प्रावधान इस बजट में हमने किया है। जो वर्ष 2012-13 में, इनके समय में, अभी तो हमने 8 हजार कुछ दिया है, इनके समय 2012-13 में 3050 की तुलना में लगभग हमने तीन गुना दिया है। हमारे इस कार्यकाल में किसान की विद्युत दरें भी नहीं बढ़ी हैं, उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है बल्कि रेगुलेटरी कमीशन ने जब राशि बढ़ाई तब उसका सब क्रास-सब्सिडाइज हमने किया और वह लगभग 28 हजार करोड़ रुपये का भार मानते हुए सरकार के कंधे के ऊपर लेने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, उदय योजना में तो आप जानते ही हो कितना जोरदार कर्जा पिछली सरकार हमको छोड़ कर गई थी। अब उदय योजना के अन्तर्गत 62 हजार 500 करोड़ रुपये का कर्ज हमने अपने ऊपर लिया, सरकार ने अपने ऊपर लिया। निश्चित तौर पर इसका प्रभाव बजट पर आना स्वाभाविक है परन्तु मैं खुशी से आपको यह कह सकती हूं कि हमारी विद्युत कंपनियों की माली हालत अब सुधरी हुई है और उनमें जो घाटा था, वह कम हुआ है। सो माने, progress in the right direction has been made, और जो उपभोक्ता को बिजली मिल रही है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी सुधरी है।

अध्यक्ष महोदय, दलित वर्ग को हमने अपना परिवार माना है और उनको अपने राज्य का एक प्रमुख हिस्सा माना है और यह सोचते हुए हमने समग्र विकास करने का काम चालू किया है और इनकी भागीदारी को उस विकास में जोड़ने की कोशिश की है। मैं मानती हूं कि सपनों का नया राजस्थान तभी बन सकता है जब सब लोग एक परिवार के रूप में राजस्थान

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

को आगे बढ़ाने के लिये मेहनत करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए सभी नगर पालिकाओं में हमने अंबेडकर भवन का निर्माण करने की घोषणा की है। हमारे सभी एससी, एसटी के भाई उसमें अपनी सामाजिक गतिविधि कर सके, अपने कार्यक्रम कर सके, यह सोचकर हमने जल्दी से जल्दी उन भवनों का निर्माण करने का काम करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण बिन्दु के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। वह है Rajasthan SC/ST Finance Development Corporation. इसके द्वारा कई वर्षों से स्वच्छकार हों या एस.सी., एस.टी. हो या ओ.बी.सी. हो या दिव्यांग हों, उनको ऋण दिया जाता है। इतने वर्षों में पहली बार दो लाख तक का बकाया ऋण और उसके ब्याज की हम लोगों ने माफी की है। मैं समझती हूं कि वह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ये लोग भी कर सकते थे, परन्तु नहीं किया। आज छोटे कामगार हों, केश कलाकार हों, कुम्हार हों, मोची हों, बढ़ई हों, प्लम्बर्स हों, रिक्शा वाले हों, इनको दो लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण हम देंगे।

'गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ' का नारा सालों से हमारे कानों में गूंजता आ रहा है। ऐसा खोखला राजनीतिक नारा, अध्यक्ष महोदय, हमने आज तक नहीं देखा है और अब पूरी तरह से साबित भी हो गया है। इनका पचास साल तक राज रहा और इस वर्ग को इन्होंने अपना वोट बैंक समझकर उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ी। पोलिटिक्स और राजनीतिक के पायदान को बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश में इन्होंने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। इस वर्ग को किस तरह से स्वरोजगार बनाए, उसके ऊपर हम सब काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको ऐसे अवसर मिलें। यहां किसी के सामने खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़े और इसको सोचकर हमने अब भैरोसिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना को खड़ा किया है, उसकी शुरुआत की है और इसी तरीके से ई.बी.सी. के अन्दर सुंदरसिंह भंडारी ई.बी.सी. स्वरोजगार योजना शुरु कर रहे हैं। इसमें 50 हजार रुपये तक लोन 50 हजार युवाओं को भैरोसिंह जी वाले में भी और भंडारी जी वाले में भी, इनको बिना collateral के लोनिंग किया जा सकेगा। ओबीसी फाइनेंस डवलपमेंट कारपोरेशन में भी ऋण और ब्याज अनुदान के रूप में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने अलग से रखा है। यह हमारा संकल्प है, इस संकल्प को हम पूरा करेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अध्यक्ष महोदय, अब अपन काला कानून पर आएं। अध्यक्ष महोदय, जिस बिल को हमने सलेक्ट कमेटी को रैफर कर दिया, जिस आर्डिनेंस को हमने लैप्स होने दिया, जो आज प्रदेश का कानून बना ही नहीं है, तो हम उसको क्या वापिस लें। पर फिर भी चलो, जो भी है, हमने उसे सलेक्ट...

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री कालू लाल गुर्जर** (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने और माननीय मुख्य मंत्रीजी का भाषण पूरा होने तक बढ़ाया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: क्या आपकी सहमति है?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय बढ़ाया गया।

# आय-व्ययक

## आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**श्रीमती वसुन्धरा राजे** (मुख्य मंत्री): जो बिल सलेक्ट कमेटी में गया, जिस आर्डिनेंस को हमने लैप्स होने दिया, जो आज प्रदेश का कानून ही नहीं है। जब कानून ही नहीं बना है तो हम क्या वापस लें? यह सोचने की जरूरत है। फिर भी चलो, जो भी हो हम उसे सलेक्ट कमेटी से वापस ले रहे हैं, पर प्रतिपक्ष से हमें यह पूछना है और याद दिलाना है कि देश के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता था, जिसे इमरजेंसी कहते हैं। उसके लिए इन्होंने कभी भी किसी देश या प्रदेश से माफी मांगी? अब याद दिलाने के लिये..। मैं इसको कोट करूंगी। माननीय राज्यपाल महोदय ने इसी सदन के अन्दर 19 जुलाई, 1977 को एक अभिभाषण के अन्दर और मैं उनको कोट करती हूं। इमरजेंसी के बारे में बात कही, I Quote. इनका ये है कि चाहे याद करें या न करें, इश्यू तो यह है कि देश उसे कभी नहीं भूलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं उनको कोट करती हूं 'आपातकालीन स्थिति (माने इमरजेंसी) देश के इतिहास का एक काला पृष्ठ है, एक व्यक्ति को सत्ता में बनाये रखने के लिये सारे देश को भंयकर उत्पीड़न सहना पड़ा। हजारों लोग अकारण ही जेलों में डाल दिये गये।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

गिरफ्तारी व यातनाओं से एवं समाचार प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाकर', फिर से पढ़ूं, 'गिरफ्तारी और यातनाओं से एवं समाचार प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाकर देश में भय का वातावरण उत्पन्न किया गया।' 'व्यक्ति पूजा इस हद तक पहुंची कि देश को एक ही व्यक्ति का पर्याय समझा जाने लगा। न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित कर दिया गया, यहां तक कि संसद में जनता में चुने प्रतिनिधियों के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के प्रकाशन पर भी रोक लगा दी गयी। सत्ता के गैर संवैधानिक केन्द्रों द्वारा सत्ता का खुलेआम दुष्प्रयोग किया गया। विरोधी दलों के सम्मानित नेताओं के विरुद्ध निम्न स्तर का झूठा एवं अनर्गल प्रचार निरन्तर चलता रहा' I close quote. बड़ी संख्या में लोगों को जेलों में बंद करने का काम किया, उनका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं, सिर्फ इतना ही कि लोकतंत्र की रक्षा के लिये वे खड़े हो गये थे और उन्होंने अपनी आवाज उठायी थी। आप जिनको MISA बंदी कहते हैं और हम जिनको लोकतंत्र सेनानी कहते हैं, उनकी पेंशन तक को बंद करने का इन लोगों ने कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, इमरजेंसी का समय देश के इतिहास का सबसे काला अध्याय रहेगा और ये बात उस कानून की कर रहे हैं, जो बना ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर आते हैं। महिला अपने परिवार और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, यह हम सब लोग मानते हैं। एक महिला को सशक्त करने नहीं, अब हम पूरे समाज को सशक्त करने निकले हैं। इसलिये महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बजट के अन्दर घोषणा की कि महिला कर्मचारियों को Child care leave की सुविधा दी जाए। ताकि वे अपने बच्चों को भी सशक्त करके स्कूल में अच्छी तरह से भेजें और अपने घर को अच्छी तरह से संभाल कर अपने परिवार को अपने पैरों पर खड़ा करने के काम में मदद करें। साथ ही, 1 लाख 84 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के अन्दर जो महिला कार्यरत हैं, उनके मानदेय में वृद्धि करने में हमने कोई कंजूसी नहीं बरती है।

अध्यक्ष महोदय, हम थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं नाबालिग बच्चियों पर। यह आज की जरूरत है और इन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं ऐसी घटनाएं जो बहुत ही निंदनीय हैं, जिससे पूरे समाज का सिर शर्म से झुक जाता है। ऐसे घृणित कार्य जो रहे हैं, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आईपीसी में हम संशोधन करेंगे। कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान करेंगे और यहां तक कि मृत्यु दण्ड का भी प्रावधान करने का काम हम करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इसमें तो प्रतिपक्ष के लोग भी हमारा साथ देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है और आज दोहराना चाहती हूं कि हम किसी और से compete नहीं कर रहे हैं, अगर हम compete कर रहे हैं तो अपने आप से ही। हम लोगों ने निरन्तर नए बैंच मार्क सैट किये हैं और उन बैंच मार्क तक पहुंचने के लिये नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास हम लोग करते जा रहे हैं। इस बजट में भी हमने इसी सिलसिले को बनाये रखा। सभी वर्गों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ नयी पहल की। इनमें से कुछ योजनाओं और कुछ घोषणाओं को मैं फिर से आप सबको याद दिलाना चाहती हूं, जो राज्य में पहली बार की गई हैं। मैंने पहले भी रिपीट की है, मैं फिर रिपीट करना चाहती हूं। Please ask everybody to bear with me. पर यह करना जरूरी है। क्या-क्या नई पहल हुई? लघु और सीमांत कृषकों की 50 हजार तक के कर्जे की एकबारीय माफी, ओवरड्यू ऋण में समस्त शास्तियों एवं ब्याज की माफी, कृषि भूमि पर लगने वाले सिंचाई क्षेत्र के स्थाई लगान की माफी, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का गठन, प्रत्येक जिले में एक नंदी गोशाला को गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि से रुपये 50 लाख तक का अनुदान, रोडवेज की बसों में 80 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों को मुफ्त यात्रा सुविधा। मिड डे मील योजना में पहली बार विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध उपलब्ध कराने का काम। भैरोसिंह जी शेखावत की स्मृति में स्वरोजगार योजना। एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एम.बी.सी. वर्ग के पचास हजार परिवारों को पचास हजार रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर बिना सिक्योरिटी उपलब्ध।

ईबीसी के लिए सुन्दर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना, प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में एक-एक अम्बेडकर भवन, एससी-एसटी फाइनेंस डवलपमेंट कारपोरेशन के ऋणियों के दो लाख तक के बकाया ऋण एवं ब्याज की माफी, व्यापारी कल्याण बोर्ड दस करोड़ रुपए के इनीशियल कारपस के साथ रियल एस्टेट मार्केट को बूस्ट करने के लिए इतिहास में पहली बार डीएलसी रेट को 10 परसेंट कटौती करके हमने यह कोशिश की कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तेजी आ जाए, निर्माण श्रमिकों को रोजगार के और भी अवसर मिलें। भामाशाह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सुरक्षा कवच, दिव्यांग कोष जिला मुख्यालय पर बीस लाख रुपए से शहीद स्मारक बनाने का मौका और यह लिस्ट, अध्यक्ष महोदय, हम निरन्तर चलाते रह सकते हैं। परन्तु ये कुछ चीजें हैं जो मैं समझती हूं कि उन्हें आना चाहिए।

अब कुछ घोषणाएं मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। राज्य में कुष्ठ रोग के ग्रसित मरीजों को अभी तक कुष्ठ रोग से मुक्त होने पर 750 रुपए की पेंशन दी जाती है। मैं घोषणा करती हूं कि नि:शुल्क इलाज के साथ ही कुष्ठ रोगियों को 1500 रुपए मासिक पेंशन स्वीकृत की जाएगी। इसी क्रम में होमगार्ड के जवानों के मानदेय में वृद्धि करने की मैं घोषणा करती हूं। इसके अलावा 2500 होमगार्ड जवानों की भर्ती की भी घोषणा करती हूं। इसके अलावा होमगार्ड डायरेक्टरेट के महत्वपूर्ण रिक्त पदों पर भी शीघ्र भर्ती की जाएगी और जेल प्रहरियों के 686 पदों पर भी आगामी वर्ष में भर्ती की जाएगी। कांस्टेबल से हैड-कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं परिणामस्वरूप ज्यादातर कांस्टेबल जिस पद से नौकरी प्रारम्भ करते हैं, बेदाग सेवा के बावजूद भी उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए प्रस्तावित करती हूं कि 6000 हैड-कांस्टेबल के अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा और 18 वर्ष से अधिक सेवाकाल के कांस्टेबल को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से कांस्टेबल को हैड-कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों का हमारे देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं यह घोषणा करती हूं कि राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से लिए गये एक्स सर्विसमैन की संविदा की दरों में आगामी वर्ष में दस प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। बजट में घोषित 500 आर.ओ. प्लांट के अतिरिक्त फ्लोराइड से प्रभावित 500 बसावटों में सोलर पावर बेस्ड डिफ्लोराइडेशन यूनिट्स स्थापना करने की घोषणा करती हूं।

अब कुछ आईटी की घोषणाएं-मैं आगामी वर्ष में जयपुर में भामाशाह टैक्नो हब की स्थापना की घोषणा करती हूं। भामाशाह टैक्नो हब में एक ही स्थान पर डिजिटल म्यूजियम, इनक्यूबेटर और इनोवेशन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टार्ट-अप मूवमेंट को आगे ले जाते हुए मैं 500 करोड़ रुपए का भामाशाह टैक्नो फण्ड बनाए जाने की घोषणा करती हूं जो कि राजस्थान के स्टार्ट-अप उद्यमियों तथा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सीड फण्ड और वैंचर कैपिटल फण्ड की तरह कार्य करेगा। इस फण्ड के अन्तर्गत सौ करोड़ का फण्ड विमन स्टार्ट-अप्स, महिलाओं के स्टार्ट-अप्स और 50 करोड़ का फण्ड

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ग्रीन स्टार्ट-अप्स के लिए अलग से रखा जाएगा। स्टार्ट-अप्स को अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सरकार की ओर से नि:शुल्क प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कोटा, उदयपुर और जोधपुर में भी इनक्यूबेशन सेंटर्स बनाने की घोषणा करती हूं।

वर्तमान में गंगानगर के काश्तकारों को गेट एरिया एवं आउट गेट एरिया के आधार पर गन्ने की क्रय की दरों का भुगतान हो रहा है। अब उपरोक्त वर्गीकरण को समाप्त करते हुए सभी गन्ना उत्पादकों को पंजाब राज्य की घोषित दरों के समान दरों पर वर्ष 2017-18 के लिए गन्ना क्रय की दरों की घोषणा करती हूं। अध्यक्ष महोदय, सदन को मैं समर्पित करना चाहती हूं एक शायरी। मैं सोचती हूं कि जब इतना हो गया तो मैं यह भी बोल ही दूं-

काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए

हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए।

राजनीति तो सब कर लेते हैं,

राजधर्म ऐसे निभाओ कि मिसाल बन जाए।

अध्यक्ष महोदय, मन कर रहा है कि मैं ये फिर से रिपीट करूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूं कि हम इसी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से प्रदेश के विकास में जुटे रहेंगे और नए राजस्थान के निर्माण के सपने को साकार करके ही रहेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: मुख्यमंत्री जी मैं आपके भाषण की दाद देता हूं, आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। आप में हर चुनौती को फेस करने की क्षमता है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 20 फरवरी, 2018 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 16:56 बजे मंगलवार, 20 फरवरी 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

# अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

## टोडारायसिंह गौण मण्डी का कृषि मण्डी में क्रमोन्नयन

175. **श्री कन्हैयालाल** (मालपुरा): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की टोडारायसिंह गौण मण्डी को कृषि मण्डी में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार टोडारायसिंह गौण मण्डी में सब्जी मण्डी यार्ड खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा के मण्डी क्षेत्र में से नगर पालिका टोडारायसिंह एवं पंचायत समिति टोडारायसिंह की समस्त ग्राम पंचायतों के क्षेत्र को पृथक कर नई कृषि उपज मण्डी समिति, टोडारायसिंह के नाम से बनाये जाने का राज्य स्तर पर निर्णय लिया गया है। नवप्रस्तावित कृषि उपज मण्डी समिति, टोडारायसिंह के प्रथम बोर्ड के गठन हेतु राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 7(1)(ख) के अनुसार मनोनीत किये जाने वाले सदस्यों के नाम जिला कलेक्टर टोंक से आने शेष है।

(2) टोडारायसिंह गौण मंडी प्रांगण में सब्जी मंडी यार्ड खोलने हेतु 20 भूखण्ड, निलामी प्लेटफार्म, आंतरिक सडके, प्याऊ एवं चैकपोस्ट चिन्हित है। मण्डी प्रांगण में चिन्हित भूखण्डों के प्रथम चरण में आवंटन के लिए आरक्षित दर के अनुमोदन का प्रस्ताव मण्डी समिति से प्राप्त हो गया है। आरक्षित दर के अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अनुमोदन पश्चात मण्डी समिति द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी।

# सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

## प्रदेश के राजस्व गांवों में राशन की दुकानें खोलने की योजना

178. **श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में नई राशन की दुकान स्वीकृत करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि झुंझुनू जिले के राजस्व गांवों में अब तक राशन की दुकान स्वीकृत नहीं की गई? यदि हां, तो किन-किन राजस्व गांवों में व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के सभी गांवों में राशन की नई दुकानें स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर अन्नपूर्णा भण्डार खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में 500 राशनकार्ड अथवा 2000 यूनिट पर नई राशन की दुकान स्वीकृत करने के प्रावधान हैं। इस सम्बन्ध में जारी पत्र दिनांक 07.04.2010 की प्रति परिशिष्ट-1 पर एवं जारी दिशा-निर्देश दिनांक 17.02.2016 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) उचित मूल्य दुकान का आबंटन राजस्व गांव के आधार पर न किया जाकर ग्राम पंचायत में उपलब्ध कुल उपभोक्ताओं एवं राशन कार्डों की संख्या के आधार पर किया जाता है। झुन्झुनूं जिले में वर्तमान में 739 उचित मूल्य दुकान संचालित हैं। जिन राजस्व गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित नहीं है, उन्हें नजदीक की उचित मूल्य दुकान के माध्यम से राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। झुन्झुनूं जिलें के राजस्व गांवों, जिनमें उचित मूल्य दुकान संचालित नहीं है, की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 07.04.2010 के अनुसार सम्पूर्ण प्रदेश में 500 राशनकार्ड अथवा 2000 यूनिट पर राशन डीलर नियुक्त करने का प्रावधान है। यदि किसी ग्राम में उचित मूल्य दुकान खोले जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो निर्धारित प्रावधानानुसार नई उचित मूल्य की दुकान खोले जाने की कार्यवाही की जाती है।

(4) उदयपुरवाटी तहसील में कुल 14 उचित मूल्य दुकानों पर

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

अन्नपूर्णा भण्डार संचालित है, जिसमें से 11 अन्नपूर्णा भण्डार ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संचालित है। इच्छुक उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अन्नपूर्णा भण्डार संचालन हेतु आवेदन किये जाने पर आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने पर अन्नपूर्णा भण्डार खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बिराणियां (फतेहपुर) के स्कूल का शहीद के नाम पर नामकरण

179. **श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में शहीद के नाम पर स्कूल/चिकित्सा संस्थान व अन्य संस्थानों के नामकरण के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कितने व कब से? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्तावों पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रस्ताव लम्बे समय से विचाराधीन हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है व उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के बिराणियां गांव में स्कूल के नामकरण का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त स्कूल का नामकरण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) शहीद के नाम पर संस्थाओं के नामकरण करने के क्या नियम व प्रक्रिया है? क्या सरकार नियमों का सरलीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शहीदों के नाम से स्कूलों का नामकरण करने के सम्बन्ध में विचाराधीन प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) स्कूल नामकरण के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा जारी नीति अनुसार परीक्षण किया जाकर नामकरण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है।

(3) जी हां। शहीदों के नाम से स्कूलों के नामकरण के लम्बित

(राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण)

प्रस्तावों के त्वरित निस्तारण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए विलम्ब की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गयी है।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के बिराणियां गांव में शहीद परमेश्वर लाल गोदारा के नाम से स्कूल के नामकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शहीद के ग्राम बिराणियां में राजकीय प्राथमिक स्कूल ही संचालित है। शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नामकरण नीति अनुसार शहीद के ग्राम में स्थित क्रमश: राप्रावि/राउप्रावि/रामावि/राउमावि का ही नामकरण किया जा सकता है, जबकि शहीद के आश्रित राउमावि बिराणियां का नामकरण करवाना चाहते हैं। उक्त स्कूल के नामकरण के प्रस्ताव तैयार नहीं किये जा सके हैं। शिक्षा निदेशालय के स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) शहीदों के नाम पर संस्थाओं के नामकरण के नियम व प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

जी हां। शहीदों के नाम पर स्कूलों के नामकरण नीति में समय-समय पर संशोधन/सरलीकरण किये जाते रहे हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के भवन का निर्माण

**180. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नवीन भवन के निर्माण की वर्तमान की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति क्या है?

(2) उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? समयबद्ध कार्ययोजना सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नवीन भवन के मुख्य भवन एवं एडवोकेट चैम्बर्स का 99.75% कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

इस कार्य हेतु 220.07 करोड रुपये की संशोधित स्वीकृति जारी की गयी है जिसमें से दिसम्बर 2017 के अन्त तक 188.50 करोड रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(2) मुख्य भवन का 99.75% कार्य पूर्ण कर दिया गया है। केन्द्रीय

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

डोम में डेडो का कार्य शेष है, इसके लिये विभिन्न सैम्पल्स स्वीकृति हेतु माननीय उच्च न्यायालय की माननीय भवन निर्माण समिति को प्रस्तुत किये गये हैं, तथा स्वीकृति के पश्चात् ही यह कार्य शुरु किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त भवन में LAN का अतिरिक्त कार्य आडियो विडियो कार्य, एस्केलेटर फिक्सिंग कार्य एवं अभिभाषक भवन का विस्तार कार्य एवं लैड स्केपिंग कार्य (स्वीकृति वर्ष 2017) प्रगति पर है तथा अक्टूबर 2018 तक कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

नवम्बर 2017 में माननीय भवन निर्माण समिति (राज. हाई कोर्ट) द्वारा नवनिर्मित भवन में फर्नीचर इन्स्टालेशन का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालनार्थ जारी किये गये निर्देश एवं विशिष्टकरण अनुसार बिड डाक्यूमेण्ट बनाकर स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा माननीय समिति को प्रेषित किया गया। जिसकी स्वीकृति के उपरान्त ही निविदाएं आमंत्रित कर तदनुसार कार्य करवाया जाना सम्भव होगा। क्रियान्वन हेतु संभावित विस्तृत कार्य योजना निम्नानुसार है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | माननीय उच्च न्यायालय की माननीय भवन निर्माण समिति को प्रस्तुत बिड डाक्यूमेण्ट की स्वीकृति की संभावित दिनांक | 05.02.2018 |
| 2. | निविदा प्रकाशन की संभावित दिनांक | 15.02.2018 |
| 3. | निविदा प्राप्त करने की संभावित दिनांक | 15.03.2018 |
| 4. | प्राप्त होने वाले विभिन्न सैम्पलों का अनुमोदन एवं स्वीकृति एवं कार्यादेश जारी करने की संभावित दिनांक | 30.04.2018 |
| 5. | कार्य पूर्ण होने की संभावित दिनांक | 29.08.2018 |

## प्रदेश के होमगार्ड्स के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की योजना

**181. श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के पुलिस थानों में गत पांच वर्षों में पुलिस की स्वीकृत नफरी कम हो जाने के कारण होमगार्ड्स से ड्यूटी ली जा रही है? यदि हां, तो वर्तमान में कुल कितने-कितने होमगार्ड्स, कहां-कहां व कब-कब से कार्यरत हैं? वर्षवार, पुलिस थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल)

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड्स को कितना-कितना मानदेय/वेतन एवं अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार होमगार्ड्स के मानदेय, वेतन व अन्य देय सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है? यदि हां, कितना व कब तक यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। वर्तमान में जोधपुर जिले में रात्रिगश्त ड्यूटी हेतु 57 एवं यातायात ड्यूटी हेतु 195 होमगार्ड्स नियोजित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) होमगार्ड स्वयं सेवक नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं। अतः इन्हें वेतन नहीं बल्कि मानदेय/पारिश्रमिक दिया जाता है। वर्तमान में होमगार्ड्स को निम्नानुसार मानदेय व भत्ते देय हैः-

| क्र. सं. | होमगार्ड को देय भत्ते | शहरी/ग्रामीण | बोर्डर होमगार्ड |
|---|---|---|---|
| 1. | ड्यूटी (पारिश्रमिक भत्ता) | 325/- प्रति दिवस | 7100/- प्रतिमाह |
| 2. | वर्दी धुलाई भत्ता | 75/- प्रति माह | 75/- प्रतिमाह |
| 3. | किराया | 20/- प्रति दिवस (ड्यूटी स्थल 8 कि.मी. की अधिक दूरी होने पर) | अन्य जिले में नियोजन पर वास्तविक किराया |
| 4. | महंगाई भत्ता | शून्य | नियमानुसार (राज्य कर्मियों को देय महंगाई भत्ता के अनुरूप) |

उपरोक्त के अतिरिक्त सभी होमगार्डों को यात्रा भत्ता नियमों के नियम-34 में अनुज्ञेय होने पर जयपुर के अलावा रु. 250/- व जयपुर में 350/- रु. प्रतिदिवस यात्रा भत्ता देय है। स्वयं सेवक की मृत्यु होने पर गृह रक्षा कल्याण निधि से 1,00,000/- रु. तक सामूहिक दुर्घटना बीमा पालिसी में

(गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री)

1,50,000/- तक तथा ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर राजस्थान पैंशन नियम 1996 के उप नियम 75-76 के अन्तर्गत रु. 20.00 लाख तक अनुग्रह अनुदान देय है। स्वयं सेवकों को गृह रक्षा कल्याण निधि से दुर्घटना/घायल/बीमार होने पर इलाज खर्च राशि का सरकारी दर से पुनर्भरण एवं इनके पुत्र-पुत्रियों को अध्ययनरत होने पर नियमानुसार छात्रवृति भी स्वीकृत की जाती है।

(3) प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय, भत्ते व अन्य सुविधाएं इत्यादि दिये जाते हैं एवं समीक्षा कर समय-समय पर इनमें वृद्धि की जाती है। गृह रक्षा स्वयं सेवी संगठन है। अधिनियम 1963 के अन्तर्गत ये नियमित कार्मिक नहीं है, इन्हें वेतन देय नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## झाड़ोल में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी

182. **श्री हीरा लाल दरांगी** (झाड़ोल): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की पंचायत समिति झाड़ोल फलासिया व कोटड़ा में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत अब तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए व उनमें से कितने आवेदक पात्र तथा कितने अपात्र घोषित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत पात्र व अपात्र घोषित करने हेतु वास्तविक व निष्पक्ष तरीके से सर्वे की कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो सर्वे कार्यवाही का आधार क्या रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रधान मंत्री आवास योजना से वंचित पात्र व्यक्तियों का पुन: सर्वे करवाकर उन्हे भी यथाशीघ्र इस आवासीय योजना से लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल (फ.) की पंचायत समिति झाड़ोल फलासिया व कोटड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत कुल 13040 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 12991 पात्र एवं 49 अपात्र पाये गये हैं। पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है:-

(ग्रामीण विकास मंत्री)

| पं. स. | कुल आवेदन | पात्र | अपात्र |
|---|---|---|---|
| कोटड़ा | 5309 | 5297 | 12 |
| झाड़ोल | 3519 | 3504 | 15 |
| फलासिया | 4212 | 4190 | 22 |
| **कुल** | **13040** | **12991** | **49** |

(2) जी हां। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) 2011 की सूची में पात्रता हेतु निर्धारित 14 मापदण्डों के परीक्षण उपरान्त ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची एवं जिला अपीलेंट कमेटी को प्राप्त अपीलों के निस्तारण/सत्यापन उपरान्त वरीयता सूची निर्धारित की है।

(3) जी हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-11060/16/2017-RH(M&T) दिनांक 24.01.2018 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 09.02.2018 द्वारा जिलों को नाम जोड़ने की प्रक्रिया हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं, जिसके अनुसार निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कराकर वंचित पात्र परिवारों की तैयार की गयी सूची ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अंतिम निर्णय हेतु प्रेषित की जानी है। विभागीय पत्र दिनांक 09.02.2018 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## भदवासिंया (जोधपुर) में नवीन फल सब्जी मण्डी का निर्माण

**183. श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी, पावटा (फल-सब्जी), जोधपुर को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लि. की भदवासिया, जोधपुर स्थित वर्कशाप वाली जमीन पर स्थानान्तरित करने व कृषि उपज मण्डी समिति पावटा (फल-सब्जी) की जमीन केन्द्रीय बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए राजस्थान रोडवेज को देने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो उक्त निर्णय कब, किन-किन अधिकारियों की मौजूदगी में, कब लिया गया तथा इसके सम्बन्ध में क्या दस्तावेज निष्पादित किये गये? क्या उक्त दोनों जमीनों का मौके पर आदान-प्रदान हो गया है व केन्द्रीय बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए राजस्थान रोडवेज को मौके भूमि उपलब्ध करवा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री जोगाराम पटेल)

(2) उक्त बंटवारे से पूर्व उक्त कृषि उपज मण्डी में कुल कितने तरह के लाइसेंसशुदा व्यापारी थे व उनके पास किस-किस साइज की कितनी दुकानें थी तथा उक्त लाइसेंसशुदा व व्यापार कर रहे व्यापारियों को भदवासिया स्थित न्यू मण्डी में किस-किस क्षेत्रफल के कितने भूखण्ड कब-कब आबंटित किये तथा क्या उन्होंने आबंटित शुदा भूखण्डों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) भदवासिया स्थित न्यू मण्डी, जोधपुर में कितने-कितने भूखण्ड सब्जी के व्यापारियों, फल व्यापारियों व किसानों के लिए आरक्षित थे? क्या सरकार प्रथम चरण के आबंटन के उपरांत द्वितीय चरण में उन गैर-आबंटियों को भी जो कृषि उपज मण्डी समिति पावटा के लाइसेंसधारी थे किन्तु उनके पास दुकान नहीं थी, को भी प्रथम चरण की शर्तों व दर पर भूखण्ड आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। दिनांक 19.06.2012 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उक्त निर्णय लिया गया था। बैठक में लिये गये निर्णय, उपस्थित अधिकारियों की सूची हेतु बैठक कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

उक्त निर्णय की अनुपालना में रोडवेज विभाग द्वारा अपने भदवासिया स्थित वर्कशाप की 3.72 बीघा भूमि मण्डी समिति को उपलब्ध करवायी गयी है। भूमि का हस्तानान्तरण दिनाक 06.02.2013 को किया जाकर हस्तानान्तरण/कब्जा पत्र निष्पादित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अन्य कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किये गये हैं।

गौण मण्डी प्रांगण पावटा की शिफ्टिंग के विरूद्ध डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2295/2016 दायर की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनाक 04.09.2017 को आदेश पारित किया गया है कि मुख्य मण्डी प्रांगण भदवासिया में सम्पूर्ण मूलभूत सुविधाओं का विकास कर सुविधाओं सम्बन्धी शपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर करे। तदनुरूप माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उप मण्डी प्रांगण पावटा के आबंटियों को मुख्य मण्डी प्रांगण भदवासिया में स्थानान्तरित किया जाए। उक्त याचिकाकर्ता आबंटियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही (पैनल एक्शन) नहीं करने बाबत आदेशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में नवीन मण्डी प्रांगण भदवासिया में आधारभूत सुविधाएं

(कृषि मंत्री)
उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है। सम्पूर्ण आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर गौणमण्डी प्रागंण पावटा के व्यवसाय को नवीन मण्डी प्रांगण भदवासिया में स्थानान्तरण की कार्यवाही किये जाने के पश्चात पावटा स्थित गौणमण्डी यार्ड की भूमि रोडवेज को दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जोधपुर के गौण मण्डी प्रांगण पावटा में "क" वर्ग, संयुक्त वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं फुटकर व्यापारी वर्ग सहित कुल 323 अनुज्ञापत्रधारी/गैर अनुज्ञापत्रधारी आबंटी व्यापारी थे। आबंटी व्यापारियों का नाम एवं दुकानों की साईज का विवरण परिशिष्ट "ब" अनुसार है। इसके अतिरिक्त गौण मण्डी प्रांगण पावटा में गैर आवंटी अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी 239. है। विवरण संलग्न परिशिष्ट "स" अनुसार है। आबंटन समिति की बैठक दिनाक 14.06.2016 द्वारा भदवासिया स्थित नई मण्डी में सब्जी का व्यवसाय करने वाली फर्मों को 18×50 तथा फलों का व्यवसाय करने वाली फर्मों को 12×30 साइज के भूखण्डों का आबंटन किया गया। विवरण संलग्न परिशिष्ट "द" अनुसार है।

जी हां। नवीन मण्डी प्रांगण भदवासिया के सब्जी प्रांगण में लगभग 70 आबंटियों द्वारा अपनी दुकान का निर्माण कार्य करवा लिया गया है तथा फल प्रांगण में लगभग 25 आबंटियों द्वारा अपनी दुकानों का निर्माण भी करवा लिया गया है। शेष आबंटियों को दुकान निर्माण करने बाबत नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

(3) भदवासिया स्थित फल सब्जी मण्डी प्रांगण में 225 भूखण्ड सब्जी एवं 172 भूखण्ड फल व्यवसाय हेतु चिन्हित थे। गौण मण्डी यार्ड पावटा के व्यापारियों को आबंटन के पश्चात शेष उपलब्ध भूखण्डों में से 13 भूखण्ड महिला कृषकों हेतु आरक्षित रखे गये हैं।

जी हां। मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण नीति 2013 के बिन्दु संख्या 3 (8) के अनुसार पावटा मण्डी में अधिसूचित कृषि जिन्स का व्यवसाय करने वाले गैर आवंटी अनुज्ञापत्रधारियों को अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 के प्रथम चरण के प्रावधानानुसार निर्धारित दर पर आबंटन किया जाना है। इस हेतु आबंटन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में खिलाड़ियों को देय सुविधाएं

**184. श्री गोरधन** (धोद): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा विद्यालय

(श्री गोरधन)

व कालेज स्तर पर खिलाड़ियों के लिए क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं व उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा खिलाड़ियों को जिला स्तर, राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर खेलने पर सरकारी नौकरी या अन्य सुविधाएं दी जाती हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के माध्यम से निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

**(अ) प्रशिक्षण**

1. नियमित प्रशिक्षण
2. प्रशिक्षण शिविर
3. प्रतिभाखोज
4. अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण
5. पे एण्ड प्ले स्कीम
6. खेल छात्रावास/खेल अकादमियां

**(ब) खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन**

1. पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार

(i) भारत सरकार द्वारा देय राशि के अतिरिक्त Summer व Winter Olympic Game विजेताओं को तथा एशियन गेम्स तथा कामनवेल्थ गेम्स विजेताओं को पुरस्कार राशि प्रदान करने की योजना।

(ii) राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियमों के अन्तर्गत पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के अनुसार आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।

2. अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के स्तर के आधार पर नि:शुल्क व रियायती दर पर मकान व भूमि आबंटन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आबंटन।
3. राजकीय नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण।
4. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को बिना पारी नियुक्ति

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

5. खिलाड़ियों को पेंशन योजना।
6. खिलाड़ियों को राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर दैनिक भत्ता।
7. उत्कृष्ट पुरस्कार

(i) खेल रत्न पुरस्कार

(ii) महाराणा प्रताप पुरस्कार

**(स) आधारभूत खेल संरचनाएं का विकास**

1. राज्य में आधारभूत खेल संरचनाओं के निर्माण एवं विकास हेतु समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम-2015
2. निजी क्षेत्र की सहभागिता
3. सीएसआर के तहत विकास कार्यक्रम

उपरोक्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु विद्यालय व कालेज के खिलाड़ी भी पात्र हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 के द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए राजकीय नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 03.07.2017 के द्वारा राज्य में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाडियों को बिना पारी नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान भी किया गया है। जारी की गई अधिसूचनाओं की प्रति क्रमश: पताका '"क" व "ख" पर संलग्न है तथा खिलाड़ियों को जो अन्य सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही हैं, का विवरण बिन्दु संख्या-1 में उल्लेखित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सांभर साल्ट्स लि. द्वारा नमक का उत्पादन

**185. श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सांभर साल्ट्स लि. द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक कितना नमक उत्पादित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सांभर झील का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सांभर झील में अवैध रूप से बोरिंग लगाकर सालाना करीब 300 करोड़ रुपये का ब्राइन (नमक बनाने वाला पानी) चुराया जा रहा है?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(4) क्या यह भी सही है कि सांभर झील की निगरानी के लिए दिसम्बर, 2016 से आर.ए.सी. तैनात करने के उपरान्त भी बोरिंग लगाकर लाखों गैलन ब्राईन की चोरी कर सांभर साल्ट्स लि. द्वारा उत्पादित नमक से कई गुना ज्यादा नमक पैदा किया जा रहा है?

**उत्तर**

(1) सांभर साल्ट्स लि द्वारा गत तीन वर्षों 2015-16 में 2.07 लाख मै. टन वर्ष 2016-17 में 2.62 लाख मै. टन. एवं वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक 1.76 लाख मै. टन नमक का उत्पादन किया गया।

(2) राजस्व अभिलेख के अनुसार सांभर झील का कुल क्षेत्रफल 19552 हैक्टेयर है जिसमें सांभर झील फुलेरा 8539 हैक्टेयर एवं सांभर झील नावां 11013 हैक्टेयर है।

(3) जी नहीं। इसकी कोई अधिकृत सूचना नहीं है कि सालाना 300 करोड़ रुपये की राशि का ब्राइन चोरी किया जा रहा है, परन्तु सांभर साल्ट्स लि. ने ब्राइन की चोरी करने के सम्बन्ध में कुल 12 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी हां। सांभर झील क्षेत्र में अस्थाई चैक पोस्ट लगाने हेतु प्रथम बटालियन आरएसी जोधपुर की एक कंपनी दिनांक 19.11.2016 से उपलब्ध करवायी गयी है। माननीय एनजीटी के आदेशों की अनुपालना में माह नवम्बर 2017 से अब तक उन विद्युत कनेक्शन्स को हटाया गया है जिनकी सहायता से झील क्षेत्र से ब्राइन निकाला जा रहा था।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## उदयपुर जिले में राशन सामग्री वितरण में अनियमितता की शिकायतें

**186. श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को राशन सामग्री में क्या-क्या राशन, कितनी मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त राशन सामग्री पात्र अभ्यर्थियों को मिल रही है?

(3) उदयपुर जिले में गत दो वर्षों में राशन सामग्री वितरण की के

(श्री फूलसिंह मीणा)

सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में राशन डीलरों के माध्यम से राशन वितरण करने से सरकार पर कितना व्यय भार पड़ता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त राशन सामग्री का वितरण राशन डीलरों से नहीं करके उतनी राशि लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तांतरित करने से सरकार को कितना लाभ होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार राशन सामग्री डीलरों के माध्यम से वितरण कराने के स्थान पर इसमें होने वाले धन के अपव्यय को देखते हुए उतनी राशि लाभार्थी के खाते में हस्तांतरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रतिमाह अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार तथा अन्य पात्र लाभार्थियों को 05 किलोग्राम प्रति यूनिट गेहूं 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रावधानानुसार खाद्य सामग्री (गेहूं) उपलब्ध करवाई जा रही है।

(3) उदयपुर जिले में राशन सामग्री वितरण के सम्बन्ध में कुल 161 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत परिवहन, संग्रहण एवं वितरण व्यय (राज्य निधी एवं केन्द्रीय सहायता) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 41338.26 लाख रुपये का व्यय हुआ था एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनवरी, 2018 तक 20014.03 लाख रुपये का व्यय हो चुका है।

(5) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों को राशन सामग्री के स्थान पर राशि उनके खातों में हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(6) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों को राशन सामग्री के स्थान पर राशि उनके खातों में हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बायतू (बाड़मेर) में उपखण्ड कार्यालय के भवन का निर्माण

**187. श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): क्या राजस्व राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड कार्यालय बायतू (बाड़मेर) का भवन नहीं होने के कारण सरकारी कार्यों को संपादित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

(2) क्या सरकार बायतू में उपखण्ड कार्यालय भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। उपखंड कार्यालय बायतु भवन वर्तमान में राजस्व परिसर में संचालित हो रहा है तथा सरकारी कार्यो को संपादित करने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड रहा है।

(2) उपखण्ड कार्यालय बायतू भवन के लिये वर्ष 2009-10 में रुपये 15.00 लाख की स्वीकृति जारी की गयी थी, जिसका व्यय किया जा चुका है। परन्तु यह भवन उपखण्ड कार्यालय के लिए अपर्याप्त है। निर्माण विस्तार के प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति

**172. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त कार्मिकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नीति अथवा नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में परिवीक्षा काल पर नियुक्त किन-किन कार्मिकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण किये गये? जिलेवार एवं पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त कार्मिक द्वारा परिवीक्षा काल में उचित माध्यम से स्वीकृति उपरान्त अन्य जिला न्याय क्षेत्र में सीधी भर्ती के माध्यम से समान पद पर नियुक्ति होने पर क्या उसकी पूर्व सेवावधि का सकल परिवीक्षा काल में गणना की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? सम्बन्धित आदेशों/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त कार्मिकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश क्रमांक 01/P.I./2014 दिनांक 06.02.2014 जारी किये हुए हैं जिसकी प्रति प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2008 से वर्ष 2013 के मध्य प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में परिवीक्षा काल पर नियुक्त कार्मिकों के अंतर जिला स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सूचना प्रदर्श-2 पर संलग्न है।

जिला न्यायालय से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के अधीन अन्य विभागों के अन्तर्गत परिवीक्षा काल में स्थानान्तरित कर्मचारियों की सूचना प्रदर्श-3 पर संलग्न है।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त कार्मिक द्वारा परिवीक्षा काल में उचित माध्यम से स्वीकृति उपरान्त अन्य जिला न्याय क्षेत्र में सीधी भर्ती के माध्यम से समान पद पर नियुक्ति होने पर उसकी पूर्व सेवावधि को सकल परिवीक्षाकाल में गणना के सम्बन्ध में राजस्थान सेवा नियम के नियम 26-4 (क) में अपवाद में प्रावधान वर्णित है जिसकी प्रति प्रदर्श-4 पर संलग्न है।

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

नियम 26-4(क) में अपवाद निम्नानुसार है :-

"यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में/परिवीक्षा पर सेवारत कोई सरकारी कर्मचारी पद की निर्धारित परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये बिना किसी दूसरे (प्रोबेशनर) पद पर नियुक्त हो जाता है तो पूर्व पद पर की गई सेवा को नवीन पद के सम्बन्ध में नहीं गिना जाएगा अर्थात् उस पूर्व के पद की सेवा अवधि का कोई लाभ नवीन पद पर प्राप्त नहीं होगा।"

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## मावली में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विद्युत कनेक्शन

173. **श्री दलीचन्द डांगी** (मावली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विधान सभा क्षेत्र मावली के 352 गांव व ढाणियां को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) उक्त योजना के तहत अगस्त, 2015 से 31 दिसम्बर, 2017 तक विधान सभा क्षेत्र मावली में कौन-कौनसे गांव व ढाणियों में कौन-कौन से कार्य कराये गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में किन-किन बीपीएल व एपीएल परिवारों ने विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया व किन-किनको बिजली के कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा कितने कनेक्शन दिया जाना लम्बित हैं? ग्रामवार नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में किये गये किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मावली की सम्मिलित ढाणियों को माह जून, 2018 तक विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली में उक्त योजनान्तर्गत माह अगस्त, 2015 से 31 दिसम्बर, 2017 तक किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मावली में उक्त योजनान्तर्गत 257 बी.पी.एल. एवं 43 ए.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं,

(ऊर्जा मंत्री)

जिनका नाम एवं ग्रामवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट "ब" व "स" पर उपलब्ध है। शेष वंचित परिवारों का विवरण परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध हैं, जिन्हें शीघ्रातिशीघ्र सतत् प्रक्रिया के तहत् विद्युत कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त योजनान्तर्गत किये गये कार्यों पर वर्तमान तक कुल 34,57,679 रुपये की राशि व्यय की गयी है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में केन्द्र द्वारा संचालित विद्युतीकरण की योजनाएं

**174. श्री रमेश** (सपोटरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विद्युतीकरण की कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालित अधिकांश विद्युतीकरण योजनाएं भी केन्द्र द्वारा प्रदत्त राशि से संचालित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में विद्युतीकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

**(अ) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए**

1. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व RGGVY 12वां प्लान प्रथम चरण)
2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (द्वितीय चरण)

**(ब) शहरी क्षेत्रों के लिए**

3. इन्टीग्रेटेड पावर डवलपमेन्ट स्कीम

उक्त योजनाओं का विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ-1", "अ-2" एवं "अ-3" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त तीनों योजनाएं केन्द्र प्रवर्तित हैं। इनमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व RGGVY 12वां प्लान) में 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत राशि विद्युत वितरण निगमों द्वारा वहन की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (द्वितीय चरण) एवं इन्टीग्रेटेड पावर डवलपमेन्ट स्कीम में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष राशि विद्युत वितरण निगमों द्वारा वहन की जाएगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में प्रीपेड मीटर लगाने के दिशा-निर्देश

**175. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बिजली कम्पनियों द्वारा शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के प्रीपेड विद्युत मीटर लगाए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या विद्युत निगमों द्वारा प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 05.10.2012 को विद्युत वितरण निगमों के पुनर्गठन की योजना (एफ.आर.पी.) में निहित शर्त की अनुपालना में ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 09.07.2015 को जारी परिपत्र के द्वारा सभी सरकारी विभागों में वर्तमान में स्थापित मीटर के स्थान पर प्रीपेड मीटर लगाना प्रस्तावित किया गया था जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

तत्पश्चात् अध्यक्ष, डिस्काम्स् के द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.05.2017 के द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी के इच्छुक स्थायी उपभोक्ताओं के यहां भी प्रीपेड मीटर लगाने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिसकी प्रति परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## मारवाड़ जंक्शन में कुएं बनाने हेतु आर्थिक सहायता

**176. श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2016-17 में अतिवृष्टि से किसानों के कुएं ढह गये थे? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में किन-किन किसानों के? गांववार नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन किसानों के कुएं ढह गये उन्हें नया कुआं बनाने हेतु आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। पाली जिले में वर्ष 2016-17 में अतिवृष्टि से किसानों के कुएं ढह गए थे। पाली जिले में विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में किसानों की गांववार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

(2) एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मापदण्डों में ढह गये कुओं को नया बनाने हेतु सहायता दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जालौर जिले में आपदा एवं राहत के प्रबन्ध

**177. श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जालौर जिले में जुलाई, 2017 में हुई बरसात के कारण विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा सहित पूरे जालौर जिले में अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो गई थी? यदि हां, तो उक्त जिले में बरसात से पूर्व जिला स्तर पर आपदा एवं राहत के क्या प्रबन्ध किये गये थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। अतिवृष्टि एवं बाढ़ से निपटने के लिए आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के स्तर से समस्त जिला कलक्टर्स को दिनांक 5.5.2017 को परिपत्र जारी कर दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्ष 2017 सक्रिय होने के मद्देनजर रखते हुए पूर्व बचाव उपाय हेतु तैयारियां करने बाबत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये थे। जिसकी पालना में जिला स्तर पर "जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.05.2017 को आयोजित कर जिले का बाढ़ कन्टींजेन्सी प्लान" तैयार करने हेतु सभी सम्बन्धित विभागों को जिला का बाढ कन्टीजेन्सी प्लान तैयार कर राज्य सरकार तथा सभी सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ भिजवाया गया था। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर (ई.ओ.सी.) स्थापित करने के साथ ही साथ जिले की समस्त तहसील/ उपखण्ड मुख्यालयो तथा सभी सम्बन्धित विभागों में दिनांक 15.06.2017 से 06.10.2017 तक बाढ़ नियंत्रण-कक्ष स्थापित कर सक्रिय रखा गया।

## प्रदेश में हत्या के दर्ज प्रकरण

**178. श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत 4 वर्षों में हत्या के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(2) पुलिस द्वारा उक्त दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों का खुलासा कर कितने अपराधियों को पकड़ा गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खुलासा किये गये प्रकरणों में से कितने अपराधियों को सजा सुनाई गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में विगत 4 वर्षों (2014 से 2017 तक) में हत्या के 6091 प्रकरण दर्ज हुये। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पुलिस द्वारा उक्त प्रकरणों में से 5680 प्रकरणों का खुलासा किया गया एवं 9090 अपराधियों को पकडा गया। जिलेवार संख्या विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ के कालम संख्या 4 व 5 पर अंकित है।

(3) उक्त खुलासा किये गये प्रकरणों में से 220 अपराधियों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। जिलेवार संख्या विवरण संलग्न परिशिष्ट अ के कालम संख्या 6 पर अंकित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जोधपुर शहर में वाहन चालकों के ई-चालान

**179. श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में यातायात नियमों की पालना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ई-चालान योजना शुरु की गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर शहर में वर्ष 2017 में यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के कितने ई-चालान किये गये एवं उनमें से कितने ई-चालानों का निस्तारण हुआ व कितने लम्बित हैं? निस्तारण नहीं होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि यातायात व थानों में तैनात पुलिसकर्मियों के बीच आपसी तालमेल नहीं होने के कारण उक्त योजना अब मात्र औपचारिकता बनकर रह गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ई-चालान योजना को और अधिक प्रभावी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। यह सही है कि यातायात नियमों की पालना के लिये ई-चालान योजना प्रारम्भ की गई थी। यह योजना पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की यातायात शाखा द्वारा 30.06.2011 से जोधपुर शहर में तथा पुलिस आयुक्तालय जयपुर की यातायात शाखा द्वारा 01.05.2015 से जयपुर शहर में शुरु की गई।

(2) जोधपुर शहर में गत वर्ष 2017 में यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले कुल 2241 वाहन चालकों के ई-चालान किये गये, जिनमें से 178 ई-चालानों का निस्तारण हुआ एवं 2063 ई-चालान लम्बित हैं।

ई-चालानों के निस्तारण नहीं होने का मुख्य कारण, ई-चालान तामील होने के पश्चात् भी वाहन स्वामी द्वारा ई-चालान का निस्तारण नहीं करवाना है, इसके अलावा वाहन स्वामी द्वारा अपने घर का पता बदल लेने एवं वाहन का बेचान कर देने से ई-चालान की तामील नहीं होने के कारण निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

(3) यह कहना गलत है, यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा बनाये गये ई-चालानों के नोटिसों की तामील पुलिस थानों के माध्यम से ही करवाई जा रही है।

(4) जी हां। सरकार ई-चालान योजना को और अधिक प्रभावी बनाने का विचार रखती है। ई-चालान योजना को और अधिक प्रभावी व सुदृढ़ बनाने, चालान व्यवस्था के डिजिटलाइजेशन एवं डिवाइस की खरीद हेतु 205.24 लाख रुपये उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति अनुमोदन उपरान्त प्रक्रिया में है।

## चाकसू के पुलिस थानों में रिक्त पद

180. **श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (चाकसू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार सहायक आयुक्त, पुलिस चाकसू के कार्यालय का भवन निर्माण चाकसू कस्बे में करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र चाकसू के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थानों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? स्वीकृत व रिक्त पदों का थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) एसीपी चाकसू आफिस वर्तमान में बीलवा चौकी के भवन में संचालित किया जा रहा है। जिलाधीश जयपुर द्वारा एसीपी चाकसू कार्यालय हेतु चाकसू में खसरा न. 11213 रकबा 5.68 हैक्टेयर, किस्म भूमि चरागाह में से 0.81 हैक्टेयर भूमि आबंटित की गयी है, उक्त जमीन का कब्जा लिया जाकर आगे की कार्यवाही की जावेगी।

(2) विधान सभा क्षेत्र चाकसू के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थानों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) पदोन्नति एवं नवीन भर्ती प्रक्रिया से पुलिस कर्मी उपलब्ध होने पर आवश्यकतानुसार रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## गोगुन्दा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी

**181. श्री प्रताप लाल भील** (गोगुन्दा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित था व कितने आवास बने तथा कितने आवास बनाये जाने शेष हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के तहत बनाये गये आवासों में से कितने आवास आबंटित कर दिये गये हैं? ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत कुल लक्ष्य 4934, निर्मित आवास 902 व शेष आवास 4032 हैं। ग्राम पंचायतवार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 902 आवास बनाये जा चुके हैं। सूची परिशिष्ट-2 (अ) पर संलग्न है। निर्माणाधीन आवासों के लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट-2 (ब) पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## झुन्झुनूं जिले की ग्राम पंचायतों में लिपिकों के रिक्त पद

**182. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझनूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

(1) प्रदेश की ग्राम पंचायतों में लिपिकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उक्त पदों में से कितने पद भरे हुये हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) झुंझुनूं जिले की ग्राम पंचायतों में लिपिकों के कितने पद भरे हुये हैं व कितने रिक्त हैं तथा उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश की ग्राम पंचायतों में लिपिक ग्रेड द्वितीय के 18348 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 7974 पद भरे हुए हैं एवं 10374 पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत शेष पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) झुन्झुनूं जिले की ग्राम पंचायतो में लिपिको के 348 पद भरे हुए हैं व 228 पद रिक्त हैं। कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 में झुंझुनूं जिले के अन्तर्गत शेष पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## हिण्डौन की ग्राम पंचायतों में स्वीकृत जनता जल योजना

**183. श्रीमती राजकुमारी** (हिण्डौन): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन की कितनी ग्राम पंचायतों में जनता जल योजना संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की वंचित ग्राम पंचायतों में उक्त योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन की 21 ग्राम पंचायतों में जनता जल योजना संचालित है, विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जनता जल योजना की स्थापना का कार्य जन स्वास्थ्य

(पंचायती राज मंत्री)

अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। योजना स्थापित होने के उपरान्त इसके संचालन/रखरखाव हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित की जाती है। ज्योंहि पीएचईडी द्वारा शेष ग्राम पंचायतों में जनता जल योजना विकसित की जावेगी, उनका संचालन भी ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जावेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर आपरेटर लगाने की योजना

**184. श्री समाराम गरासिया** (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में ग्राम पंचायतों में कार्यरत अधिकांश ग्राम सेवकों के चयन के समय कम्प्यूटर दक्षता योग्यता अनिवार्य नहीं थी परन्तु वर्तमान में कार्मिकों को कम्प्यूटर की जानकारी आवश्यक हो गई है?

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर आपरेटर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में ग्राम सेवक पद की शैक्षणिक योग्यता स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता थी परन्तु अधिसूचना क्रमांक एफ 4(7)अमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2014/397 दिनांक 08.06.2016 के द्वारा इसके साथ कम्प्यूटर योग्यता भी जोड़ी गई है।

(2) जी नहीं। ग्राम सेवक एवं कनिष्ठ लिपिक की योग्यता में कम्प्यूटर दक्षता अनिवार्य किये जाने के कारण ग्राम पंचायतो में कम्प्यूटर आपरेटर लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## प्रदेश में किसानों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

**185. श्री खेमाराम** (सुजानगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किसानों के कल्याण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) किसानों हेतु संचालित उक्त योजनाओं में वर्ष 2018 के लिये किस-किस जिले में क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के कितने किसानों को वर्ष 2017 में उक्त योजना में लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में किसानों हेतु कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2018 अन्तर्गत कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में किसानों हेतु चल रही विभिन्न योजनाओं में जिलेवार एवं योजनावार निर्धारित लक्ष्यों का विवरण परिशिष्ट-2 व 3 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा वर्ष 2017 अन्तर्गत योजनावार लाभान्वित कृषकों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-4 व 5 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जायल में फसल बीमा योजना के लाभार्थी

**186. डॉ. मंजू बाघमार** (जायल): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र जायल में 'नवीन फसल बीमा योजना' के लिए अब तक कुल कितना बजट जारी कर कितने किसानों को उक्त योजना से लाभान्वित किया जा चुका है? नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

विधान सभा क्षेत्र जायल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2016, रबी 2016-17 व खरीफ 2017 में कृषक प्रीमियम राशि, राज्यांश व केन्द्रीयांश प्रीमियम राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

| जिला | तहसील | मौसम | कृषक प्रीमियम राशि (करोड़ में) | राज्यांश प्रीमियम राशि (करोड़ में) | केन्द्रीयांश प्रीमियम राशि (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| नागौर | जायल | खरीफ 2016 (अनुमानित) | 1.95 | 9.59 | 9.59 |
| | | रबी 2016-17 (अनुमानित) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | | खरीफ 2017 (अनुमानित) | 3.10 | 10.54 | 10.54 |

(कृषि मंत्री)

खरीफ 2016 व रबी 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषकों को दिए गए बीमा क्लेम व लाभान्वित कृषकों का विवरण निम्न प्रकार है:-

| जिला | तहसील | मौसम | बीमा क्लेम राशि (करोड़ में) | लाभान्वित कृषक संख्या (लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| नागौर | जायल | खरीफ 2016 (अनुमानित) | 2.79 | 3746 |
| | | रबी 2016-17 (अनुमानित) | 1.16 | 863 |

खरीफ 2016 व रबी 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत तहसील जायल में लाभान्वित किये गये कृषकों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

खरीफ 2017 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नागौर जिले मे अधिसूचित फसलों के औसत उपज समंक राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर से प्राप्त होना शेष है उनसे प्राप्त औसत उपज समंक की निर्धारित गारंटी उपज से तुलना कर कृषकों को बीमा क्लेम दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत नागौर जिले के लाभार्थी

**187. श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित बीमा कंपनी द्वारा नागौर जिले की मुंडवा, मेड़ता व खींवसर तहसील के कितने किसानों को क्लेम राशि दी गई? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में फसल खराबे के क्लेम हेतु किसान के खसरे को इकाई मानकर क्लेम राशि दिए जाने का प्रावधान है?

(3) क्या उक्त योजना के तहत सम्बन्धित बीमा कंपनी द्वारा वर्ष 2017 में योजना के प्रचार-प्रसार हेतु नागौर जिले में कोई सेमिनार का आयोजन किया गया था?

**उत्तर**

(1) वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सम्बन्धित बीमा कम्पनियों द्वारा नागौर जिले की मूंडवा, मेड़ता व खींवसर तहसील के कृषकों को दी गई बीमा क्लेम राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। खरीफ 2017 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नागौर जिले में अधिसूचित की गई फसलों के औसत उपज समंक राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर से प्राप्त होना शेष है। इनसे औसत उपज समंक प्राप्त होने पर उसकी निर्धारित गारण्टी उपज से तुलना कर कृषकों को बीमा क्लेम राशि दी जावेगी।

(2) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में अधिसूचित की गई फसलों के पटवार स्तर पर 04 व तहसील स्तर पर 16 फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज समंक की निर्धारित गारण्टी उपज से तुलना कर बीमा क्लेम निर्धारित किये जाते हैं।

(3) खरीफ 2017 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा नागौर जिले में दिनांक 08.08.2017 को कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जिले के बैंक कर्मी, जिला अधिकारी, जनप्रतिनिधि व क्षेत्रीय कृषकों सहित कुल 36 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया था।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड प्रथम के रिक्त पद

**188. श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत चार वर्ष से क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड प्रथम के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश की वन नीति में अधीनस्थ वन कर्मियों को सेवाकाल में कम से कम तीन पदोन्नति देने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्तमान में कार्यरत कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को तीन पदोन्नति दी जा चुकी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जो कार्मिक 2018 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको अब तक कितनी पदोन्नति दी जा चुकी हैं एवं कितनों को पदोन्नति दिया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वन विभाग में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पिछले चार सालों में रिक्त रहे पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

| दिनांक | स्वीकृत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| 1.4.2014 | 258 | 102 |
| 1.4.2015 | 258 | 97 |
| 1.4.2016 | 258 | 158 |
| 1.4.2017 | 258 | 166 |

(2) जी नहीं। राज्य की वन नीति में तीन पदोन्नति देने का कोई प्रावधान नहीं है। अपितु राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की तीन पदोन्नति देने की मंशा रखती है इसलिये कर्मचारियों को पदोन्नति न मिलने पर भी 9, 18 एवं 27 वर्षीय संतोषप्रद नियमित सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति पर प्राप्त स्केल में चयनित वेतनमान दिया जाकर वित्तीय लाभ दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों की पदोन्नति रिक्त पदों की स्थिति एवं अनुभव की योग्यता पूर्ण करने पर राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम के प्रावधानान्तर्गत की जाती है।

(3) वन विभाग में वर्ष 2018 में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के सेवानिवृत्त होने वाले 10 अधिकारियों में से 7 अधिकारियों को 2 पदोन्नति दी गई हैं। पद रिक्त होने के बावजूद भी अनुभव की योग्यता की दृष्टि से पात्र अधिकारी नहीं होने के कारण शेष पदोन्नति हेतु पात्र नहीं हैं।

वन विभाग में वर्ष 2018 में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के 43 अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं उनमें से 40 सीधी भर्ती वाले वनपालों को 1 पदोन्नति तथा 3 वनरक्षकों को 3 पदोन्नति दी गई है। अब अनुभव की योग्यता की दृष्टि से पात्र नहीं होने के कारण आगामी पदोन्नति हेतु कोई अधिकारी पात्र नहीं है।

वन विभाग में वर्ष 2018 में 48 वनपाल सेवानिवृत्त होंगे, उनमें से 41 वनरक्षकों को 2 पदोन्नति दी गई हैं, इनमें से लगभग 25 वनरक्षकों को इस वर्ष होने वाली डीपीसी में तृतीय पदोन्नति हेतु भी विचार किये जाने की सम्भावना है।

## गंगापुर सिटी में पौधरोपण कार्य पर व्यय राशि

**189. श्री मान सिंह** (गंगापुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मान सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में गत चार वर्षों में सरकार द्वारा कितने एवं किस-किस किस्म के पौधे कहां-कहां पर लगाये गये हैं व उक्त पौधों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नये पौधे लगाने पर कितना-कितना व्यय किस-किस मद में किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गंगापुर सिटी के वन क्षेत्र के लिए बजट आबंटित किया गया है? यदि हां, तो कब व कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2017 तक कराये गये कार्य व उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) गंगापुर सिटी विधान सभा क्षेत्र में चार वर्षों में लगाये गये पौधों का विवरण एवं वर्तमान स्थिति सूचना संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है।

(2) वर्ष 2017-18 में कोई भी वृक्षारोपण कार्य नहीं हुआ है इसलिए नये पौधे लगाये जाने पर कोई व्यय नहीं किया गया।

(3) जी हां। वर्ष 2017-18 में गंगापुर सिटी के वन क्षेत्र के लिए सुरक्षा दीवार हेतु कैम्पा निधि मद में रु. 12.00 लाख का बजट आबंटित किया गया।

(4) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में वर्ष 2014 से 2017 तक कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश के उपखण्ड मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम का निर्माण

**190. श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों के उपखण्ड मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम बनाने की कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कब एवं कार्य योजना के मानदण्ड क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में खेल स्टेडियम बनाने हेतु सर्वे किया गया है? यदि हां, तो कब? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश नारायण)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य में खेलों की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु समन्वित स्टेडियम (खेल आधारभूत संरचनाएं) विकास कार्यक्रम-2015 चलाया जा रहा है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है साथ ही उपखण्ड स्तर पर खेल मैदान बनाये जाने हेतु अधिकतम राशि रुपये 10.00 लाख की मैचिंग ग्रान्ट दिये जाने का भी प्रावधान है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में खेल स्टेडियम बनाये जाने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा सर्वे नहीं किया गया है।

भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इण्डिया योजना के तहत् राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जमवारामगढ़ में मल्टीपरपज इण्डोर हाल के निर्माण हेतु दिनांक 28.09.2017 को राशि रुपये 01.50 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है जिसकी प्रति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य में खेलों की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु समन्वित स्टेडियम (खेल आधारभूत संरचनाएं) विकास कार्यक्रम 2015 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में सेज के लिये अवाप्त भूमि का मुआवजा

**191. श्री घनश्याम** (टोडाभीम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कृषि भूमि व अन्य किस्म की भूमि सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) के लिए अवाप्त की गयी है? यदि हां, तो कहां, कितनी भूमि व किन दरों पर?

(2) क्या यह सही है कि सेज के प्रयोजनार्थ अवाप्त भूमियों पर न तो आज तक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं और न ही कृषि भूमि अवाप्ति पेटे सम्बन्धित कृषकों को मुआवजा या मुआवजे पेटे विकसित भूमि-भूखण्ड दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? वर्तमान में किन-किन सेज क्षेत्रों में भूमि रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम)

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के सेज क्षेत्रों में आबंटित भूमि को विभाजित कर अन्य प्रयोजनार्थ क्रय-विक्रय किया जा रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में कृषि भूमि व अन्य किस्म की भूमि सेज के लिए अवाप्त की गई है का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार ने महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. जयपुर की करीब 1472 एकड़ भूमि सेज क्षेत्रों के लिए अधिसूचित की है उस पर महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. जयपुर ने आईटी इंजीनियरिंग एवं सम्बन्धित उद्योग एवं हैण्डीक्राफ्ट के सेज स्थापित किये गये है तथा यह सेज क्षेत्र में कार्यरत हो चुके हैं। इन सेज क्षेत्रों में 50 कम्पनियां जिसमें से 31 इकाइयां कार्यरत हैं। वर्ष 2016-17 में इन सेज क्षेत्रों से करीब 1244 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर, 2017 तक करीब 953 करोड़ रुपये का निर्यात हो चुका है। भारत सरकार ने सभी उपरोक्त अधिसूचित सेज क्षेत्रों को एक बहुउत्पाद सेज में मर्जर करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब भारत सरकार की अधिसूचना के पश्चात् यह एक बहुउत्पाद क्षेत्र हो जाएगा।

वर्तमान में इस सेज क्षेत्रों में करीब 650 एकड़ भूमि आबंटन हेतु उपलब्ध है।

कृषि भूमि अवाप्ति के पेटे सम्बन्धित कृषकों को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.2005 के तहत 25 प्रतिशत विकसित भूमि उनके आवेदन करने पर दी गयी शेष रही भूमि की लीज डीड उनके आवेदन करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी।

(3) जी नहीं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सोनियाना औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की योजना

**192. श्री सुरेश धाकड़** (बेगूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार सोनियाना औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रीको प्रभावित गांवों में सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेश धाकड़)

(3) क्या यह सही है कि एच.जेड.एल./बिड़ला सीमेन्ट में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नमूने लिए थे? यदि हां, तो कब-कब व उन पर क्या कार्यवाही हुई तथा नमूने लेते समय कौन-कौन अधिकारी मौके पर उपस्थित थे? मय नामों के विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र सोनियाना के विकास हेतु ग्राम सोनियाना, गुलाबपुरा एवं नक्शनपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ की कुल 361.5 हैक्टेयर भूमि निगम हक में अवाप्त/आबंटन की गई है। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु सहमति दिनांक 13.01.2017 को जारी हो चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु कुल 393.44 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 08.08.2017 को जारी की गई है। विकास कार्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रारम्भ कर चरणबद्ध रूप से लगभग दो वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। विगत एक वर्ष के दौरान मैसर्स एच.जेड.एल./बिड़ला सीमेन्ट, चित्तौड़गढ़ के लिए गये नमूनों, नमूने लेने वाले अधिकारी के नाम एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## आदर्श नगर में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी

**193. श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ने से कितने पात्र व्यक्ति वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में कितने व्यक्तियों द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन किये व उनमें से कितने व्यक्तियों के नाम जोड़े गये तथा कितने व्यक्तियों के आवेदन निरस्त किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने के लिए अपीलीय प्रक्रिया दिनांक 05.11.2015 से लागू है, जिसके अन्तर्गत पात्र व्यक्ति साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही आदेश दिनांक 02.08.2017 द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला रसद अधिकारी को भी अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों का समावेशन एवं अपात्र व्यक्तियों का निष्कासन एक सतत् प्रक्रिया है।

(2) वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने के लिए अपीलीय प्रक्रिया दिनांक 05.11.2015 से लागू है, जिसके अन्तर्गत पात्र व्यक्ति साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ समावेशन पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही आदेश दिनांक 02.08.2017 द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला रसद अधिकारी को भी अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 29.09.2017 द्वारा अपीलीय प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है, जिसके अन्तर्गत निर्धारित "खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन पत्र" के साथ अपीलार्थी समावेशन पात्रता के वांछित दस्तावेज संलग्न कर अपील प्रस्तुत कर सकता है। जारी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र आदर्शनगर में 832 व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुडवाने हेतु आवेदन किये, जिनमें से 650 व्यक्तियों के नाम जोड दिये गये एवं शेष में जांच प्रक्रिया विचाराधीन है। कोई आवेदन खारिज नहीं किया गया है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भण्डार खोले जाने की योजना

**194. श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी राशन की दुकानों पर

(श्री हमीरसिंह भायल)

अन्नपूर्णा भण्डार खोले जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में अब तक कितनी राशन की दुकानों पर उक्त सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में नई राशन की दुकानें आबंटित करने हेतु क्या प्रावधान किये गये हैं? विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ऐसे कितने राजस्व गांव हैं जिनमें अभी तक राशन की दुकानें नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) बाड़मेर जिले में मार्च, 2018 तक 336 राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भण्डार खोले जाने का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 315 राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भण्डार खोले जा चुके हैं।

(2) प्रदेश में 500 राशनकार्ड अथवा 2000 यूनिट पर नई उचित मूल्य दुकान खोले जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में जारी पत्र दिनांक 07.04.2018 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कुल 240 राजस्व गांव हैं, जिसमें से 129 स्थानों पर उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, शेष 111 राजस्व ग्रामों में उक्त प्रावधानानुसार राशनकार्डो/यूनिट की संख्या कम होने के कारण उचित मूल्य दुकानें संचालित नहीं हैं। प्रावधानों के अनुसार राशनकार्ड/यूनिट होने पर ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर नवीन दुकान स्वीकृत की जा सकती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बीकानेर क्षेत्र के आबंटियों को खातेदारी अधिकार

**195. श्री भंवरसिंह** (कोलायत): क्या उपनिवेशन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर क्षेत्र में समस्त प्रकार के आबंटियों को बकाया संदाय करने पर स्वत: खातेदारी अधिकार दिए जाते हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत दो वर्षों से स्वत: खातेदारी अधिकार जारी नहीं किए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों व वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक की अवधि में कितने आबंटियों द्वारा समस्त बकाया संदाय किया गया व कितने आबंटियों को खातेदारी अधिकार दिए गए? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरसिंह)

(3) क्या सरकार बीकानेर क्षेत्र के समस्त प्रकार के आबंटियों द्वारा समस्त बकाया संदाय (जमा) करवाने पर स्वत: खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। जिला बीकानेर के क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (उपनिवेशन) क्षेत्र में राजस्थान भूमि विक्रय एवं आबंटन नियम 1975 के नियमों के तहत आबंटित भूमि के आबंटियों को उनके द्वारा समस्त संदेय राशि जमा कराने व आबंटन के तीन वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की शर्त सं. 9 के अनुसार विहित शर्तों की पालना करने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। शर्त सं. 9 की प्रति संलग्न है।

(2) जिला बीकानेर क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (उपनिवेशन) क्षेत्र के आबंटियों को राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की शर्त सं. 9 की पालना होने पर नियमानुसार खातेदारी सनद प्रदान की जाती है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 की चालू अवधि तक कुल 5136 आबंटियों द्वारा समस्त बकाया राशि का संदाय किया गया है। सूची परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है, जिनमें से 4916 आबंटियों को खातेदारी सनद प्रदान की गई है एवं खातेदारी सनद जारी करने से शेष रहे आबंटियों की संख्या 220 है। बकाया का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(3) आबंटियों द्वारा समस्त बकाया संदाय (जमा) करवाये जाने व विहित शर्तों की पालना किये जाने पर खातेदारी सनद प्रदान की जा रही है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पालूखुर्द (मौजमाबाद) में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का सीमांकन

**196. श्री झाबर सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा विवादित आराजीयात खाता संख्या 139 के आराजी खसरा नं. 223/1/1, 223/1/2 एवं 227 वाके ग्राम पालूखुर्द तहसील मौजमाबाद, दूदू के सीमांकन कराकर विवाद को समाप्त करने हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं अन्य स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त आराजीयात की भूमि पर बाद जांच एवं सीमांकन के राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में तारबंदी करने में मौके पर व्यवधान व शांति भंग करने के दोषियों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि की तारबंदी हेतु क्या-क्या कानूनी कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मौके पर पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने हेतु थानाधिकारी दूदू को निर्देशित किया गया था? यदि हां, तो स्थानीय पुलिस द्वारा जाप्ता उपलब्ध कराया गया अथवा नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अनुसूचित जाति की भूमि पर पुलिस जाप्ते की मदद से तारबंदी कराने एक सींवमेर को खुर्द-बुर्द होने से बचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) अनुसूचित जाति के खातेदार व्यक्ति के खाता संख्या 139 के खसरा नं. 223/1/1, 223/1/2 एवं 227 वाके ग्राम पालूखुर्द तहसील मौजमाबाद में रोशनलाल पुत्र प्रभुदयाल जाति रैगर निवासी दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर द्वारा सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.11.2013 को सीमाज्ञान करवाया गया। खातेदार द्वारा भू-प्रबन्ध विभाग से सीमाज्ञान चाहने पर भू-प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया जाकर दिनांक 27.05.2014 को मौके पर सीमाकंन करते समय पड़ौसी खातेदार द्वारा शान्ति भंग का माहौल बनाये जाने के कारण सीमांकन का कार्य सम्भव नहीं हो सका।

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक दूदू के आदेश क्रमांक आर.ए./2015/729 दिनांक 21.05.2015 की पालना में राजस्व विभाग की टीम द्वारा दिनांक 15.06.2015 को पुलिस जाप्ते के साथ दोनों पक्षों की मौजूदगी में उक्त खसरा नं0 का सीमाज्ञान एवं तारबन्दी मौके पर कच्ची डोल बनाकर करवायी गयी, किन्तु दोनों पक्ष द्वारा कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं होने पर पुन: भू-प्रबन्ध विभाग को सीमाज्ञान हेतु जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा लिखा गया है।

(2) जी हां। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक दूदू के आदेश क्रमांक आर.ए./2015/729 दिनांक 21.05.2015 की पालना में राजस्व विभाग की टीम

(राज्य मंत्री, राजस्व)

द्वारा दिनांक 15.06.2015 को पुलिस जाप्ते के साथ दोनों पक्षों की मौजूदगी में उक्त खसरा नं. का सीमाज्ञान एवं तारबन्दी मौके पर कच्ची डोल बनाकर करवायी गयी, किन्तु दोनों पक्ष द्वारा कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं होने पर पुन: भू-प्रबन्ध विभाग को सीमाज्ञान हेतु जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा लिखा गया है।

(3) जी हां। दिनांक 15.06.2015 को पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में सीमाज्ञान कार्यवाही की गयी थी।

(4) जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पुन: भू-प्रबन्ध विभाग से सीमांकन के लिए समय तय करने हेतु लिखा गया है।

# परिशिष्ट 1

## आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद पर माननीय सदस्यों का लिखित वक्तव्य

### श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

आदरणीय अध्यक्षजी, राजस्थान के लघु एवं सीमांत किसानों को जो ऋण माफी की 8 हजार करोड़ की घोषणा है, उसका स्वागत है। उक्त घोषणा से 16 लाख किसान लाभान्वित होंगे। जब आपने इतना किया है, तो कुछ और राशि खर्च करके सभी किसानों को लाभान्वित करते तो, इसका बहुत बडा संदेश किसानों में जाएगा। किसानों के मन-मस्तिष्क में एक सकारात्मक भावना पैदा करेगा।

**किसानों को अधिक ऋण :-**

यदि गत चार सालों में किसानों को अधिक अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 2000 करोड रुपये की अंशदान पूंजी सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक में देती तो शायद किसानों की स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। किसानों को जो अपनी पूरी आवश्यकता का ऋण कुल 50 प्रतिशत ही उपलब्ध हुआ है। कृषि व कृषि से संबंधित पशुपालन, डेयरी आदि का सहकारी विभाग में भारी नियोजन करने की आवश्यकता है।

**अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण :-**

पैरा नं. 91, राज्यपाल अभिभाषण वर्ष 2018 में राज्यपाल महोदय ने कहा कि- "केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2017-18 में जनवरी, 2018 तक 11 हजार 747 करोड़ रुपये के अल्पकालीन व 454 करोड़ रुपये के मध्यमकालीन ऋणों तथा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा लगभग 179 करोड़ रुपये के ऋणों का वितरण किया गया है।"

यह राशि केन्द्रीय सहकारी बैंकों की पूंजी व नाबार्ड से लिए गए ऋण से दी जा रही है। राज्य सरकार तो मुख्यतया ब्याज अनुदान दे रही है।

(कृषि:- राजस्व व्यय-8226.43 करोड, पूंजीगत व्यय-601.58 करोड़)

**किसान के लिए अधिक अल्पकालीन ऋण के लिए :-**

मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि सिर्फ कर्ज माफी के साथ प्रत्येक सहकारी बैंक को 2 हजार करोड़ का अंशदान प्रतिवर्ष दिया जाना आवश्यक है, ताकि उनकी मूल पूंजी बढ़ने से नाबार्ड से उनको इसमें अधिक धनराशि मिलेगी और किसानों को अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण अवश्य सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध हो सके।

किसानों की आय दुगुना करने का एक बड़ा साधन समर्थन मूल्य है, आपने मूंगफली की खरीद में सिर्फ 25 क्विंटल की खरीद की है। ऐसा पहली बार हुआ है, जो बिलकुल अवांछनीय कदम है। समर्थन मूल्य की घोषणा करने का मतलब ही यह है कि किसानों की पूरी मूंगफली खरीदी जाए। (बजट पैरा 55 में यह अंकित है कि गंगानगर में 5 लाख 57 हजार 25 मैट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन 2814 करोड़ में खरीदा गया है। ऐसा करके आपने किसानों में सरकार के प्रति गलत संदेश दिया है।

गंगानगर शुगर मिल्स में हर साल गन्ने का मूल्य तय किया जाना चाहिए, जो आपने इस वर्ष घोषित ही नहीं किया गया है। गत वर्ष 275 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गन्ना राजस्थान में खरीदा गया। जबकि हरियाणा में 330 रुपये प्रति क्विंटल एवं पंजाब में 310 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का समर्थन मूल्य रहा है। एक बीघा में 200 क्विंटल गन्ना पैदा होता है।

55/- रुपये प्रति क्विंटल कम मिलने से प्रत्येक किसान को 11 हजार रुपये प्रति बीघा का नुकसान है। माननीय खाद्य मंत्री टी.टी. साहब बताएं कि ऐसी स्थिति में गंगानगर में वोट लेने का क्या साधन होगा?

किसानों के प्रति अपने हर Action से लगाव साबित करना होगा, तभी 2020 तक आप किसानों की आमदनी को दुगुना कर सकेंगे।

**विद्युत**

विद्युत कम्पनियों ने जो अनेक घोषणाएं की हैं, उनमें

बजट वर्ष 2018 ऋण को अनुदान में conversion की राशि 12 हजार करोड़ के बिना संशोधित अनुमान वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटा राशि 8 हजार 165 करोड़ 98 लाख संभावित है। (वास्तव में 20 हजार 165 करोड़ का राजस्व घाटा)

कनवर्ट करने की क्या आवश्यकता है और हम पर अनावश्यक के 3 वर्ष में 45 हजार करोड़ देने की कौनसी बाध्यता है।

**सिंचाई**

राज्य में पिछले 4 वर्षों में 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई क्षमता का सृजन किया है। लम्बे समय से जनता की मांग को देखते हुए मैं 52 हजार करोड़ लागत की निम्न परियोजनाओं की घोषणा करती हूं, जिन्हें आवश्यक clearances प्राप्त करने के पश्चात, प्रारम्भ किया जाएगा- प्रदेश के 13 जिलों-कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, दौसा, बारां एवं धौलपुर के पेयजल एवं सिंचाई की दीर्घकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए 37 हजार करोड़ की लागत

वाली ERCP परियोजना की डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने 52,000 करोड़ की योजनाओं की तो Clearance की बात की है और उसके अलावा बीसलपुर बांध, ब्राह्मणी एवं बनास परियोजनाओं के लिए 6 हजार करोड़ की बात की है। बनास में बांध निर्माण की बात कही है।

कुल मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने 52000 करोड़ की योजनाएं एक और उसके अलावा 25000 करोड़ की योजनाएं इसके अलावा और घोषणा की है, जिसमें मुख्यत: ताजेवाला हैड से 575 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के लिए carrier system बनाना है, जिससे झुंझुनूं एवं चूरू जिले लाभान्वित हो सकेंगे। इसके अलावा भी 31,000 करोड़ की घोषणा की गई है।

कुल-मिलाकर 77,000 करोड़ की योजनाएं घोषित की गई हैं, 77,000 करोड़ की घोषणाएं निश्चित रूप से चकाचौंध करने वाली हैं और प्रभावित जनता के दिमाग में एक तरफ आकर्षण व एक तरफ संदेह की धारा बहना स्वाभाविक है।

जिस तरह सिंचाई के क्षेत्र में सरकार ने 77 हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणा इस बजट में की है, उसी तरह से सरकार को यह मन भी बनाना होगा कि आने वाली 4 सालों में प्रत्येक वर्ष 15 हजार करोड़ की पूंजी निवेश कर 77 लाख जोत धारकों की आमदनी को दुगुना कर सकें। आमदनी बातों से दुगुनी नहीं हो पाएगी, जब बिजली कम्पनियों के लिए रुपये उपलब्ध हो सकते हैं, तो खेती के लिए क्यों नहीं?

मैं विनम्रता से यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान की वर्तमान सिंचाई पर राजस्व खर्च 2,333 करोड़ एवं पूंजीगत खर्च 3,040 करोड़ है, जो राज्य वर्तमान में 4 वर्ष के शासन के बाद मात्र 3040 करोड़ पूंजीगत खर्च कर रहा है, उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 77,000 करोड़ की घोषणाएं निश्चित रूप से चकाचौंध करने वाली हैं और प्रभावित जनता के दिमाग में एक तरफ आकर्षण व एक तरफ संदेह की धारा बहना स्वाभाविक है।

मेरा सुझाव है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया 8 महीने में 37,000 करोड़ की योजना, जिसकी डी.पी.आर. प्रस्तुत कर दी गई है, उसी को स्वीकृति करवाकर शुरुआत करवा देंगे तो सिंचाई के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

ऋण लेना है तो ऋण तो पहले भी लिया जा सकता था, और आज भी लिया जा सकता है और ये दरवाजा जो आज भी बंद नहीं है।

## श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उन 17 विधान सभा क्षेत्रों की जनता को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुख्यमंत्री को लोक-लुभावन बजट बनाने को मजबूर किया है।

अध्यक्ष महोदय हमारे मा. प्रधानमंत्री जी एक देश एक चुनाव का नारा देते हुए लोक सभा व विधान सभा के चुनाव एक साथ कराने की बात कहते हैं। परन्तु केन्द्र व राज्य के चुनावी बजट को देखते हुए राजस्थान की जनता कह रही है कि पांच साल में एक बार नहीं हर साल में चुनाव होने चाहिए ताकि सरकारें हर वर्ष लोक-लुभावन बजट पेश कर सके, ताकि सरकारें मजबूर होकर किसान, गरीब, बेरोजगार की चिन्ता करें।

अध्यक्ष महोदय, परम्परा सी हो गई है, चुनाव से पूर्व लोक-लुभावन बजट बनाने की। आश्चर्य तो यह है कि हम पूर्व सरकारों के अनुभव से सीख भी नहीं लेते। याद कीजिए कांग्रेस सरकार के अंतिम बजट को, उसमें क्या नहीं था। किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, शहर, गांव सबके लिए शायद दस सालों की सर्वश्रेष्ठ बजट। परन्तु जब चुनाव हुए तो क्या नतीजा निकला। भाजपा और कांग्रेस दोनों को सोचना चाहिए कि सबके लिए खजाने का पिटारा खोलकर भी जनता आपको नकार क्यों देती है, क्या कारण है?

हर सरकार दिखावे के लिए ही सही कागजों में गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार सबके लिए अच्छी से अच्छी योजना बनाती है, पैसा भी खर्च होता है, पर सरकार को फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन योजनाओं का लाभ उनके वास्तविक उपयोगकर्ताओं को नहीं पहुंच पाता। तथा बजट की घोषणाओं को लालफीताशाही कभी-कभी जमीन पर आने ही नहीं देती। आज जब सरकार लगभग वेंटीलेटर पर है तो मैं अपने भाषण में समस्याओं के साथ समाधान की भी बात करना चाहूंगी, जिससे सरकार को लाभ मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को किसानों की अधूरी कर्ज माफी के लिए बधाई तो देना चाहूंगी पर वास्तविकता यह है कि सरकार ने सिर्फ Co-operative बैंकों से लिए गये कर्ज को ही माफ किया है। जबकि ऐसे किसानों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसका लाभ सबको मिले इसलिए किसी भी बैंक से लिए कर्ज को माफ किया जाए।

दूसरा सिर्फ 50,000 रु. का कर्ज माफ करना पर्याप्त नहीं है, किसान

आत्महत्या कर रहे हैं तो कम से कम एक लाख रु. की कर्ज माफी की घोषणा की जाए। यह बात लगभग सभी सदस्य यहां पर कह चुके परन्तु मैं इस समस्या के स्थायी समाधान की बात करना चाहती हूं। तेलंगाना राज्य में किसानों को फसल से पूर्व प्रति एकड़ 8000 रु. का अनुदान दिया जाता है, क्योंकि किसानों पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। कभी पाला, कभी ओले, कभी पानी की कमी आदि। बाद में सरकारें गिरदावरी कराती हैं। गिरदावर बिना मौके पर गए जांच रिपोर्ट तैयार कर लेता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। रिपोर्ट विभाग में सालों से पड़ी रहती हैं। जैसे 2015 का मुआवजा भी अभी ही मिला है। इसलिए तेलंगाना की तरह फसल से पूर्व प्रति एकड़ 8000 रु. अनुदान दे ताकि उसे कम मूल्य तथा प्राकृतिक आपदा से राहत मिल सके।

इस बजट में हर बार की तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी को कुछ नहीं मिला। पिछले 10 सालों में लगातार हर साल हर सरकार से मैं सिफ महिला महाविद्यालय की मांग करती रही हूं। बस्सी 1-50 किमी. में फैला हुआ है, चारों ओर से जयपुर के नजदीक है परन्तु समय की मांग है कि बालिका सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए और बेटी बचाओ, बेटी पढाओ का नारा पूर्ण करते हुए बस्सी में महाविद्यालय की घोषणा की जाए। हर बार कालेज की मांग करने पर सरकार की ओर से Policy's का हवाला दिया जाता है, तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि जो कालेज आपने दिए हैं, बजट में वहां सभी जगह निजी कालेज हैं तो बस्सी में ही policies का हवाला क्यों दिया जाता है। उदाहरण के लिए 1. अटरू में केशव महाविद्यालय, 2. नदबई में एस.आर.पी. कालेज तथा श्रीमती निहाल कौर महाविद्यालय, 3. नगर में आदर्श महिला महाविद्यालय तथा महाराजा अग्रेसन कालेज, 4. डूंगरगढ़ में महिला महाविद्यालय।

सरकार की यह सोच सही नहीं है कि बस्सी में विधायक पार्टी का नहीं है क्योंकि विधायक निर्दलीय है तो क्या बस्सी की जनता, वहां की बेटियां भी राजस्थान की ही नागरिक हैं जिनके प्रति भी सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है। मैं फिर निवेदन करना चाहती हूं कि बस्सी में इसी सत्र के Final बजट में बालिका महाविद्यालय की घोषणा करें।

अध्यक्ष महोदय, लगभग 60-70 वर्षों में न जाने कितने नामों से कितनी तरह की जनहित की कार्य योजनाएं सरकारें लायी है, पर हम सब अन्दर से जानते हैं कि उसका कितना असर हो पाया है। इसका कारण उन

योजनाओं का सही ढंग से मानिटरिंग नहीं होना है। मनरेगा जैसी योजना जिसके कारण यूपीए-2 सरकार बनी, आज भ्रष्टाचार का दूसरा रूप बन गया है। आज कई सरपंच चुनाव में MLA के चुनाव से ज्यादा खर्च होता है क्यों? यह सोचने का विषय है। इस कारण 1994 में राजस्थान में स्वतंत्र सोशाल आडिट की परिकल्पना की गई तब बहुत कुछ सामने आया था। तब सम्पूर्ण भारत में स्वतंत्र सोशल आडिट इकाई गठन की बात चली और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने स्वतंत्र सोशल ऑडिट की पूरी प्रक्रिया को औपचारिक मान्यता दी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे गवर्नेंस विस्तार के लिए आवश्यक माना। परन्तु अफसोस की बात है कि जिस सोच का जन्म राजस्थान में हुआ। पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जहां स्वतंत्र सोशल आडिट इकाई का गठन नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो यही मनरेगा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ना होकर गरीब मजदूर को रोजगार देने का सबसे उत्तम आसरा होता।

इसी प्रकार सारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे-राशन की दुकान, छात्रवृत्ति, देवनारायण योजना, पेंशन, ग्रामीण विकास आदि पच्चीसों योजनाओं पर सैंकड़ों करोडों रुपया खर्च होता है पर आज 50-60 वर्ष बाद भी उनकी क्या स्थिति है यह हमारा स्वतंत्र मीडिया कभी-कभी हमें आइना दिखाता है और हमारी सरकार और अधिकारी छोटा-मोटा एक्शन लेकर इतिश्री कर लेते हैं जबकि इसको Surgery की जरूरत है।

इसी दिशा में शानदार पहल भारत के छोटे से राज्य मेघालय ने की है। उन्होंने मेघालय समग्र सोशल एक्ट 2017 पास किया है। वहां समाज कल्याण की 21 योजनाएं इस एक्ट के तहत आती हैं। इसकी जानकारी देने के लिए राज्य में सघन प्रचार कार्यक्रम चलाया गया और आज स्थिति यह है कि इस एक्ट के तहत स्वतंत्र सोशल आडिट समूह गांव के लोगों के सहयोग से गांवों में कार्यक्रम आयोजित करते हैं उसमें सरकारी रिकार्ड के अनुसार क्या विकास कार्य हुए सुनाया जाता है, लोग सवाल उठाते हैं और संबंधित अधिकारी को उसका जवाब देना होता।

जैसे किसी उचित मूल्य की दुकान से जो सामान उस गांव के लोगों को दिया गया, उनके नाम ओर मात्रा बताई जाती है। रजिस्टर में दर्ज व्यक्ति को सामान या मात्रा गलत पाई जाने पर उक्त डीलर पर कार्यवाही की जाती है। राशन या विकास कार्यों का पैसा हजम करने वालों पर नकेल कसने के

लिए सरकार मेघालय की तरह ही इसी सत्र में जनसेवा सोशल आडिट अधिनियम पास करे तो राजस्थान में एक क्रान्ति घटित हो जाएगी परन्तु मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि न भाजपा न ही कांग्रेस ऐसा चाहती है। शायद कहीं न कहीं हम सब भ्रष्टाचार के मूक समर्थक हैं।

यहां हम सिर्फ इस पर बहस करते हैं आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया। हम तो दूध के धुले हैं और सामने वाला भ्रष्टाचारी। मेरा सम्पूर्ण सदन से आपके माध्यम से निवेदन है कि यह आरोप-प्रत्यारोप, यशोगान छोड़कर सभी मिलकर इस प्रकार के कानून लाने पर विचार करें।

धन्यवाद।

## श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, रिफाइनरी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, सबसे बड़ा इंवेस्टमेंट अगर कोई बढ़ सकता था तो समय से रिफाइनरी शुरु करने से बढ़ता।

सबसे बड़ा रोजगार जो बढ़ता वो समय पर रिफाइनरी लगने व रिसजेंट राजस्थान के एमओयू धरातल पर आते तो इंवेस्टमेंट बढ़ता, रोजगार बढ़ता। इंवेस्टमेंट बढ़ता तो बेरोजगारी कम होती, बेरोजगारी कम होती तो अर्थव्यवस्था सुधरती, सभी क्षेत्रों में सुधार होता।

अगर यह रिफाइनरी समय पर आती तो इसके केस केडिंग इफैक्ट से रोजगार के लाखों अवसर उपलब्ध होते और लोगों की आय बढ़ने से जीवन स्तर सुधरता व साथ ही बहुत से छोटे-मोटे उद्योग इससे पनपते व अब तक वो सब धरातल पर आ जाते व आज प्रदेश में एक खुशहाली का माहौल होता अगर यह समय पर शुरु होती तो।

"न तेल देखो न तेल की धार देखो, इस प्रदेश में जो छप गए वो इश्तिहार देखो"

ऐसा लग रहा है कि असली ख्वाहिश यह थी कि रिफाइनरी का ख्वाब जमीन पर न उतरे और उतरे तब तक प्राइवेट रिफाइनरी को रेगिस्तान का तेल मिलता रहे।

हमारे प्रदेश को तेल जामनगर की रिलाइंस रिफाइनरी व अन्य रिफाइनरियों में जाता है जो कि 700 किमी दूर है उसमें जाता रहा है व अभी कई वर्षों और जाएगा यह सिर्फ भौगोलिक फासला है वैसे रिलाइंस व प्रदेश बहुत नजदीक है।

तेल शोधन से हजारों करोड़ का सालाना लाभ दूसरी रिफाइनरियों को

वर्षों से मिल रहा है व आगे भी जब तक रिफाइनरी पूरी नहीं होती तब तक मिलता रहेगा। देखने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें रिफाइनरी न लगे व देर से लगे तो फायदा हो और राजस्थान के हितों का तेल कहीं और निकलता रहे।

उप चुनावों के रिजल्ट पर सरकार कह रही है कि हम अपने कार्य जनता तक पहुंचा नहीं पाएं जबकि हकीकत यह है कि कार्य जनता तक पहुंचे हैं तभी तो यह परिणाम आए हैं।

बेरोजगारों को रोजगार देने में सरकार की क्या स्थिति है यह पूरा प्रदेश अच्छी तरह से जानता है। शिक्षकों के पद खाली थे तो स्कूलें बंद करके पदों को समाप्त किया गया ताकि यह नहीं कहा जा सके कि कांग्रेस राज में इतने पद खाली हैं और हमारे राज में इतने। जो लोग शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे थे उनके सपनों को धराशायी कर दिया। पद भरने का सरकार ने भी जोरदार तरीका निकाला। जो पद खाली पड़े हैं उन्हें समाप्त कर दो अपने आप पद भर जाएंगे। गत वर्षों में 60 हजार से ज्यादा पद समाप्त कर दिए। बजट में बताया गया है कि डेढ़ लाख को सरकारी नौकरी दे दी यह नहीं बताया गया कि रिटायर्ड कितने हो गए हैं बीते चार सालों में ढाई लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। यह भरे होते तो न जनता परेशान होती, न बेरोजगार परेशान होते व न अधिकारी परेशान होते।

एक तरफ बजट में कहा जा रहा है दो लाख से अधिक युवाओं को अलग-अलग व्यवसाय में कौशल प्राशिक्षण दिया गया है। चलो डेढ़ लाख सरकारी लग गए, दो लाख को कौशल प्रशिक्षण देकर लगा दिया तो तेरह लाख को रोजगार कैसे मिल गया? यह कोई समझाए तो सही।

बेरोजगारी के यह हालात भविष्य की भयावह तस्वीर दिखा रहे हैं। इस दंश से प्रदेश व देश को छुटकारा दिलाना सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में और भी स्थिति खराब हो जाएगी। देश व प्रदेश में इतने बेरोजगारों की फौज तैयार हो जाएगी लेकिन फिर भी सरकारों को चिंता नहीं है। चिंता होती तो जरूर कोई न कोई रोड मैप बनाते।

आरबीआई, नीति आयोग, वित्त विभाग सब मान रहे हैं कि नोटबंदी व जीएसटी के बाद निवेश मात्र 30 प्रतिशत रह गया है। स्वत: रोजगार भी 30 प्रतिशत ही रहेंगे। करोड़ों लोगों को देश में रोजगार देने की बातें जो थीं वो इन रिपोर्टों के अनुसार 30 प्रतिशत पर आ गई। न ही प्रदेश में व न ही देश में ऐसी कोई योजना लाई जा रही है जिससे रोजगार बढ़े।

राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की चर्चा बजट में हुई, बड़ी अच्छी योजना है लेकिन शुरू होने से अब तक के डाटा बता रहे हैं कि मरीजों के बजाए प्राइवेट/सरकारी अस्पतालों के लिए ज्यादा अच्छी है। शुरु में सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों का अनुपात 65 व 35 था, अब 85 प्राइवेट व 15 सरकारी पर पहुंच गया। अगर पूरा एवरेज भी निकालें तो 65 व 35 का है। प्राइवेट अस्पतालों, स्वास्थ्य माफिया, ईश्योरेंस कंपनी के दलालों, और सरकारी मुलाजिमों का गठजोड़ तो देखिए कि गत दो साल में प्राइवेट अस्पतालों के मात्र आठ लाख के क्लेम रिजेट हुए और सरकारी अस्पतालों के क्लेम एक तिहाई हैं, उनके 80 करोड़ के। इससे स्पष्ट है कि लाभ कहां जा रहा है? फिर बीमार होने के बाद मरीज के घर वालों को पता लगता है कि सिर्फ भामाशाह कार्ड ही काफी नहीं है खादय सुरक्षा में भी सम्मिलित होना पड़ेगा जब तक उसका परिवार खादय सुरक्षा में शामिल होने की प्रक्रिया से गुजरता है उससे पहले ही मरीज गुजर जाता है। अगर सरकार की लाभ देने की मंशा है तो इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए।

आज अपने प्रदेश में परिवहन की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। जो राजस्थान रोडवेज प्रदेश के यात्रियों की लाइफ लाइन के रूप में काम आती थी वो आज स्वयं अपनी लाइफ बचाने के लिए वेंटीलेटर पर है। रोडवेज के कर्मचारियों को वेतन भत्ते तक समय पर नहीं मिल रहे हैं। बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो सरकारें कर देती हैं। लेकिन उन घोषणाओं का क्लेम सरकार द्वारा रोडवेज को नहीं दिए जाने की वजह से आज रोडवेज की यही स्थिति है। बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों को निगमों को सातवां वेतन आयोग मंजूर कर दिया रोडवेज को अब तक नहीं। ऐसा क्या अन्याय है इनका? राज्य सरकार की नीति तो देखों, आज यूपी की रोडवेज हमारे प्रदेश में 35 हजार किमी घूमती है और किराया लेकर जाती है। हम भी घूम सकते हैं वहां लेकिन बसें नहीं हैं। ओवरटाइम तो दूर इनके भत्ते भी नहीं मिल रहे है।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने भी लोक परिवहन सहित कई निजी बसों के बारे में कई आदेश दिए हैं लेकिन एक की भी पालना नहीं हो रही। पहले प्रदेश के लोगों की बसें अनुबंध पर ली जाती थीं, इससे लोगों को रोजगार मिल रहा था। अब सारी की सारी बसें पंजाब व अन्य प्रदेशों में बनी कंपनियों से ली जा रही हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को 39 से ऊपर रियायती व नि:शुल्क सुविधा दी जा रही है।

500 करोड़ से ऊपर रुपया आज के दिन रोडवेज विभाग सरकार के

मांगता है और वो पैसा भी सरकार दे दे तो रोडवेज की स्थिति ठीक हो सकती है।

सड़कें प्रदेश में खूब बन रही हैं लेकिन आज भी प्रदेश राष्ट्रीय लेवल से बहुत पीछे है जिस स्पीड से सड़कों का काम चल रहा है उससे अगले दस साल भी हम राष्ट्रीय लेवल तक नहीं पहुंच सकते।

गांवों की सड़कें खास तौर से अपने क्षेत्र की बता सकता हूं कि सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोगों की रिश्तेदारी व दोस्ती के लोगों की बन रही है। लोक परिवहन लोभ परिवहन का ही दूसरा नाम है। रोडवेज को मारकर प्राइवेट लोक परिवहन या लोभ परिवहन कह दो उसको मैदान दिया जा रहा है। यह एक तरीके से अवैध बसों को वैध लाइसेंस दिया जाने जैसा है।

माना कि आपके पूर्ववर्ती शासक नकारा थे लेकिन आप तो ईश्वरीय अवतार हो, घाटे की रोडवेज को चलाकर दिखाओ। रोडवेज तो घाटे में है इसलिए बंद करना चाहते हो घाटे, में तो सरकार भी है फिर उसे चलाना क्यों आपको गवारा है।

देश में कर्नाटक, बैंगलोर मैट्रो, उड़ीसा व हरियाणा, यूपी रोडवेज मुनाफा लाकर दे रही है। राजस्थान आज बेबस है क्योंकि कहीं रियासत की बसें हैं तो कहीं बस वालों के बस में सियासत है। रोडवेज की बस स्टैण्डों की बेशकीमती जमीनें बेचने की फिराक में दलाल लगे हैं।

पेयजल की बहुत सी योजनाएं बजट में दी गई कईयों में बजट का प्रावधान है कई सिर्फ घोषणाएं हैं लेकिन हमारे क्षेत्र फतेहपुर में 2012 से चल रही योजना जो 2015 तक पूरी हो जानी चाहिए तो वो आज तक पूरी नहीं हो पाई।

आज भी प्रदेश में विद्युत की कमी है दो लाख कृषि कनेक्शन व सात लाख नए घरेलू विद्युत कनेक्शन देने की घोषणाएं हुई हैं प्रदेश पहले से बिजली की कमी से जूझ रहा है वो कैसे पूरी होगी यह प्रावधान बजट में नहीं दिया गया वो भी देना चाहिए था।

हाल ही में केन्द्र सरकार ने जो अपना बजट पेश किया। बजट में वितमंत्री ने झूठ पर झूठ बोलकर किसानों को गुमराह किया। वितमंत्री का बयान हैरान करने वाला है, उनका कहना है कि रबी की फसल को डेढ़ गुणा में खरीदा गया। यह सरासर झूठ है। इससे बड़ा झूठ क्या होगा। अभी तक लागत ही नहीं मिल रही है। पूरे प्रदेश में सिर्फ छह प्रतिशत फसलों को ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। सभी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीद करने व

उनका 50 प्रतिशत बोनस देने की घोषणा थी। हालात यह है कि मूंग की खरीद बीच में ही बंद कर दी। जिनसे खरीदी गई उनको कई दिनों से पेमेंट हुआ।

अभी वित्तमंत्री ने कहा कि खरीफ की फसल को डेढ़ गुणा मूल्य पर खरीदेंगे। इन्हीं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया था कि हम 50 प्रतिशत से ज्यादा लागत मूल्य नहीं दे सकते, तो फिर अब यह नाटक क्यों रचा जा रह है। या तो वो शपथ पत्र वापस लें या फिर इस झूठ के लिए देश से माफी मांगें।

फूड कारपोरेशन ने माना है कि 2015-16 में गेहूं की उत्पादन लागत 2408 रुपये प्रति क्विंटल थी, 2017 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1735 रुपये था, जो कि लागत का 72 प्रतिशत था। यह कह रहे हैं कि हम डेढ़ गुणा दे चुके। डेढ़ गुणा का मतलब है कि 3612 होता है। एक भी किसान को अगर देश में दिया हो तो यह बताएं।

अभी बजट में कर्जा माफी की घोषणा हुई, लेकिन किसान फिर एक बार भेदभाव का शिकार हुआ। कई राइडर लगा दिए गए। काश्तकार का लघु होना जरूरी, उसका सीमांत होना जरूरी। आज की परिस्थिति में यह समझने की आवश्यकता है कि जितना बड़ा किसान है उतना बड़ा कर्जा है व उतना ही बड़ा घाटा है तो यह राइडर हटाने चाहिए व सभी किसानों को चाहे उन्हें किसी भी बैंक से लिए हों चाहे उनके कितनी भी जमीन हो, सम्पूर्ण कर्जमाफी की जानी चाहिए। जब देश व प्रदेश की सरकारें औद्योगिक घरानों के लाखों करोड़ों रुपये माफ कर सकती है, उनके घाटे में चल रहे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए हजारों करोड़ रुपये दे सकती है, हजारों करोड़ की जमीनें औने पौने दाम पर दे सकती हैं तो अकाल, अतिवृष्टि व सरकार की मार से मार मर रहे किसान को राहत क्यों नहीं दी जाती है।

मैं तो कहता हूं कि किसान को किसी अनुदान, आपकी दया, भीख, सब्सिडी की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसकी फसल का समर्थन मूल्य दे दें। हमारे प्रदेश में गत चार साल में लगभग आठ सौ लाख मैट्रिक टन फसलों का उत्पादन हुआ है और समर्थन मूल्य पर मात्र 20 लाख 94 हजार 418 मैट्रिक टन फसल खरीदी गई। यानी मात्र 2.63 प्रतिशत फसल ही खरीदी गई। किसानों के लिए कई घोषणाएं की गईं, लेकिन अगर हम बजट प्रावधान को देखें तो जल होद निर्माण के मामले में अनुदान की राशि 75 हजार से 90

हजार की गई है बड़ी अच्छी बात है लेकिन प्रावधान पांच करोड़ 40 लाख का। यानी 600 किसान, प्रति विधान सभा क्षेत्र में मात्र तीन किसानों को यह अनुदान मिल पाएगा। ग्रीन हाउस पर अनुदान दस लाख प्रति इकाई किया गया है, और लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति को 70 प्रतिशत किया हैं। बजट प्रावधान मात्र 32 करोड़ किया गया है यानी सिर्फ 320 किसानों को लाभ मिलेगा। प्रति विधान सभा 2 को ही नहीं मिलेगा।

जिन कंपनियों के ग्रीन हाउस लगाने के लिए आज किसान को बाध्य किया जा रहा है उनकी कीमत 20 लाख है 10 लाख तो अनुदान दे दोगे बाकी 10 लाख किसान कहां से लाएगा।

किसान के अनुदान के नाम पर कौन दान प्राप्त कर रहा है यह पता करना जरूरी है।

ऐसे ही हालात तीन एचपी व पांच एचपी पंप जिस पर 3 साल पहले अनुदान 86 प्रतिशत था अब 60 कर दिया गया है लेकिन उन पंपों के वेण्डर हैं, उनकी रेट देखने की जरूरत है। अनुदान के दाम पर तो बाजार में मिल रहे हैं आखिर किसान के नाम पर किसी की जेबें भरी जा रही हैं?

प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में 5 दिसम्बर को कहा कि मिट्टी की सेहत कम होती जा रही है। इसकी जांच करवाई। हमने मिट्टी की जांच करवाकर आवश्यक दवाइयां दीं। नजीता यह हुआ कि 2016-17 में गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ तीन से चार गुणा वृद्धि हुई है। राजस्थान में 77 लाख किसानों को साइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध करवा दिया है। तो फिर प्रदेश में 4 गुणा ज्यादा उत्पादन क्यों नहीं हुआ?

कोई सरकार इस देश में औद्योगिक क्रांति लाई- नेहरु एक सरकार हरित क्रांति लाई- लाल बहादुर

श्वेत क्रांति लाई- इंदिरा गांधी

कम्प्यूटर क्रांति लाई- राजीव गांधी

आथर्कि क्रांति लाई- मनमोहन सिंह

वर्तमान सरकार कौनसी क्रांति ला रही है यह सोच का विषय है।

बजट में गायों के लिए गौशालाओं को अब तीन माह के बजाए छह माह का अनुदान दिए जाने की घोषणा हुई है। अच्छी बात है लेकिन शर्म करनी चाहिए कि 2016 में गायों के नाम पर लगाए गए सैस से जितनी राशि वसूल की गई उतनी राशि दी ही नहीं गई। 2016 में 138 करोड़ गाय के नाम पर वसूले व गौशालाओं को महज 92 करोड रुपये दिए। जबकि जब कोई सैस

नहीं वसूला जाता था उस समय 2010 में 146 करोड़ का अनुदान दिया गया था। ऐसे में कैसे गौवंश का भला सरकार कर रही है यह सामने आ रहा है।

सरकार ने बजट में कहा है कि 67 हजार शिक्षकों एवं कार्मिकों को नियुक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। 77 हजार एक सौ को भर्ती किया जाएगा। अभी जो रीट की परीक्षा हुई है 35 हजार की वो कौनसे में शामिल है? यह तो बताओ।

सुराज संकल्प पत्र में प्रदेश के हर उपखण्ड मुख्यालय पर सरकारी कालेज व सरकारी कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। फतेहपुर में मुख्यमंत्री जी गये थे, छात्रों ने कालेज मांगी तो लाठियां मिली।

अभी बजट में घोषणा की गई है कि आरपीएससी व अधीनस्थ बोर्ड की इंटरव्यू में जाने वाले को फ्री बस सुविधा दी जाएगी, लेकिन नौकरी के लिए 426 करोड़ रुपये आवेदनों पर खर्च कर दिए गए। उन बेरोजगारों का क्या होगा? उन्हें कौनसी लोभ परिवहन में यात्रा करवाओगे?

सरकार ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों, पर्यटन स्थलों के कन्जवेंशन के जीर्णोद्धार की बात कर रही है, हैरिटेज सर्किट की बात कर रही है आध्यमिक सर्किट की बात कर रही है। बडी अच्छी बात है लेकिन असलियत में सरकार की पर्यटकों को संवारने वाली इकाई आरटीडीसी का एक नमूना मैं आपको बताना चाहूंगा। आरटीडीसी के प्रदेश में 39 होटल व 22 मोटल 7 कैफेटेरिया व अन्य इकाइयों को मिलाकर कुल 76 इकाई काम कर रही थीं। आज के दिन हालात यह है कि इनमें से कितनी होटलें बंद हो गई।

हैरिटेज सिटी फतेहपुर में भारत पर्यटन निगम का आरटीडीसी के द्वारा संचालित बहुत ही सुंदर होटल हवेली, बिना किसी सक्षम आदेश के अचानक बंद कर दिया गया।

यह राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं पूरे जिले में एकमात्र होटल था। पहले जो होटल इन्होंने बंद किए थे उनके आज ए सी, गेट, लाइटें सब ले गए। उनकी कोई सार संभाल नहीं है। उनकी सार संभाल के लिए चौकीदार रखने पड़ेगे नहीं तो जो सम्पत्ति है वो भी खतम हो जायेगी। चूरू में जैसे कब्जे हुए है वैसे कब्जे हो जाएँगे। यह कौनसा पर्यटन विकास हो रहा है? आज जब एक पर्यटक शहर में आता है। वह कुछ न कुछ और जगह भी पैसा देकर जाता है। आरटीडीसी की नजर उस इनडाइरेक इन्कम पर नहीं होकर सिर्फ और सिर्फ होटल्स को किस तरह बंद किया जाए और पर्यटकों को किस तरह से कम किया जाए इस पर रह गई हैं। पता नहीं यह कौनसे ट्रेवल

एजेसियों से मिले हुए हैं। जो पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाओं को दिन प्रतिदिन कम करने पर आमादा हैं, व निजी ट्रेवल्स व लपकों को लूटने की खुली छूट दे रहें हैं।

होटल हवेली फतेहपुर के लिए भारत सरकार ने जमीन व पैसा दिया। ऐसी और भी कई होटल जिन्हें बंद करने का कुकृत्य प्रदेश की जनता कर रही है।

या तो यह पर्यटकों के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें बंद कर दें या फिर ऐसे कुकृत्य करने बंद कर दें।

मेडिकल कालेज, मीठे पानी की पेयजल योजना- नीमकाथाना को जिला बनाना, टयूरिज्म सर्किट, मिनी सचिवालय, सीकर पुलिया को चौडा करना, विवि भवन, एयर कनेक्टिविटी जाम से छुटकारा, हर्ष का पर्यटन, आवारा पशुओं से निजात, ट्रेन नहीं चल रही है।

धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

जय हिन्द।

**नन्दकिशोर महरिया**

(फतेहपुर)